कार्यवाही विवरण

मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट चरण–II ग्राम–आरमुड़ा, छपोरा, बोरझरा, देवलसुरा, महलोई, रियापाली, लारा, झिलगिटार एवं कांदागढ़, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ में प्रस्तावित उष्मीय शक्ति संयंत्र क्षमता–2x800 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 20 फरवरी 2023 का** कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट चरण–II ग्राम–आरमुड़ा, छपोरा, बोरझरा, देवलसुरा, महलोई, रियापाली, लारा, झिलगिटार एवं कांदागढ़, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ में प्रस्तावित उष्मीय शक्ति संयंत्र क्षमता–2x800 मेगावाट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 20.02.2023,** दिन–सोमवार **को प्रातः 11:00 बजे से स्थल–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप का मैदान, ग्राम–महलोई,** तहसील–**पुसौर जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाइ के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रारंभ हुई। आदरणीय अपर कलेक्टर महोदय श्री राजीव कुमार पाण्डेय जी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अंकूर साहू जी माननीय अधिकारीगण एवं सभा में उपस्थित माननीय प्रभूतगण एवं बच्चे महिलाएं। आज की इस सभा में एन.टी.पी.सी., लारा और समस्त एन.टी.पी.सी. परिवार की तरफ से मैं आप सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एन.टी.पी.सी. कंपनी की स्थापना 1975 में हुई थी, और विगत 47 वर्षो में एन.टी.पी.सी. ने बिजली के क्षेत्र में अनेक कृतिमान स्थापित किये है। एन.टी.पी.सी. की यह 47 वर्षो में आज 71,594 मेगावाट तक की जो उपलब्धियां हासिल की है, वे आप सभी लोगों के समर्थन एवं सहयोग का ही परिणाम है। हम आप लोगों के पास 23 दिसम्बर 2021 को आये थे, जिसके अंतर्गत हमने लारा के स्टेज–01 की 02 यूनिट की स्थापना का जो प्रपोजल ले कर आये थे और व दोनो यूनिट सूचारू रूप से प्रचालन में है एवं छ.ग. राज्य के दो मैक्सीमम विद्युत सप्लाई वे यूनिट से हो

रही है और हम 11 वर्षो के बाद द्वितीय चरण हेतु आपके सामने आये है। जैसा की आप लोग जानते है, शेष 02 इकाईयां जो कि प्रस्तावित है उनका प्रचालन 2027–28 से प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य को होगी, इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र के एन.ए. इच्छुक राज्य एवं केन्द्र शासित राज्यों को की जायेगी इससे छ.ग. राज्य के विकास को और गति मिलेगी एवं क्षेत्र में रोजगार के नये–नये अवसर उपलब्ध होंगे। यह परियोजना टेक्नोलॉजी से आधारित होगी जो परंपरागत सब टी.टी.ए. टेक्नोलॉजी के तुलना में अधिक दक्ष एवं पर्यावरण हितैसी है। इस टेक्नोलॉजी में कम कोयला की खपत होगी। लारा सुपर थर्मन पॉवर प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण के अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव नही है, जो कि मुख्य मार्ग, टाऊनशीप ऐश डाईक के लिये भूमि पत्थर उत्खन्न के समय ही अधिग्रहण कर की गई थी। लारा सुपर थर्मन पॉवर प्रोजेक्ट फेस–02 द्वारा कोयले की आपूर्ति अपनी ही गार्इस एनटीपीसी की तेलाईपल्ली से लेना प्रस्तावित है। 85 प्रतिशत प्लांट लोड फेक्ट्री के आधार पर कोयले की अर्धवार्षिक खपत 66 लाख टन होगी इस कोयले में राख की अधिकतम मात्रा 32 से 43 प्रतिशत और सल्फर की अधिकतम मात्रा आधा प्रतिशत होगी। कोल फिल्टर से प्लांट तक कोयला लाने के लिये एनटीपीसी में रेल लाईन की स्थापना हो गई है, जो कि सूचारू रूप से कोयले का वहन कर रही है, जिसे स्टेज–01 में उपयोग किया जा रहा है। 4800 घनमीटर पानी की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति महानदी से की जायेगी, जिसके संबंध में एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली गई है। पानी का उपयोग होने के बाद उसे पुर्नउपयोग किया जायेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय से अनुमति ली गई है। 10 कि.मी. के क्षेत्र में अध्ययन करके विस्तृत आँकड़े को रखा गया है, और इस अध्ययन की रिपोर्ट छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्र के पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिमनी से निकलने वाले राख को कम करने के लिये ई.एस.पी. लगाये जायेंगे, गैस उत्सर्जन नियंत्रण के लिये नियमानुसार चिमनी की उचाई रखी जायेगी। दूषित जल के उपचार के लिये व्यवस्था किया जायेगा, शुन्य निस्सारण रखा जायेगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग किया जायेगा। क्षेत्र को हरा–भरा रखा जायेगा एवं हरितपट्टीका का विकास किया जायेगा, जिससे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकें। अभी तक एनटीपीसी, लारा द्वारा कुल 3,17,000 नग वृक्षारोपण किया है। राख के निस्सारण के लिये कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जायेगा। राख का उपयोग पर्यावरण वन तथा जल परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समायवधि में शत्प्रतिशत उपयोग किया जायेगा। सीमेंट, ईट, भू–भराव एवं खदान भराव में किया जायेगा। वृहद वृक्षारोपण का काम किया जायेगा। परियोजना के चारों ओर ग्रीन बेल्ट लगाये जाने का प्रावधान किया गया है एवं ऐश डाईक क्षेत्र में भी वृक्षारोपण किया जायेगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गई है। गैसो के उत्सर्जन को मानको के अनुरूप रखा जायेगा। परिवेशीय वायु गुणवत्ता की स्थापना कर ली गई है जिसके आंकड़े नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा। उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव को कम किया जायेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में अनेक कार्य किये गये है, ग्राम–छपोरा में 76.96 लाख रूपये खर्च कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया है, मेडिकल कॉलेज को 25 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। जांजगीर चांपा को कोविड के लिये भी राशि प्रदान किया गया है। निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ प्रदाय किया गया है। कर्मचारियों को मास्क एवं अन्य सुविधाये भी प्रदान की गई है यह शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगतिशील है, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया गया है,

प्रोजेक्टर, आर.ओ. भी प्रदान किया गया है। आंगनबाड़ी के लिये 20 लाख रूपये प्रदाय किया गया है, डामर सड़क का निर्माण किया गया है, 268 सोलर लाईट लगाई गई है। पाईप लाईन के माध्यम से जल पहुचाया जा रहा है। गर्मी के मौसम में भी पानी की सुविधा प्रदान किया जाता है। खेल क्षेत्र में सहायता प्रदान किया जाता है। स्वसहायता समुह को ट्रेनिंग भी दिया गया है। 03 वर्षो के दौरान 12 करोड़ रूपये खर्च किया गया है। स्थानिय लोगो के लाभ के लिये प्रावधान किया गया है।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहां सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. जयंत बहिदार, रायगढ़ – आदरणीय पीठाशीन अधिकारी महोदय रायगढ़ जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी और हमारे पर्यावरण क्षेत्रीय अधिकारी आप सब को प्रार्थना करता हूं। सर मेरा ये कहना है कि वहां पर एन.टी.पी.सी. वाले नाम नोट कर रहे है और हस्ताक्षर करवा रहे है। ये जनसुनवाई जिला प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग करवा रहा है, इस लिये उनको रोक देना चाहिए यह उचित नही है अवैध है। जनसुनवाई आप लोग कर रहे है एनटीपीसी को विस्तार देने के लिये, आयोजन आपका है, वे हस्ताक्षर कराने वाले उचित नही है उनको कृपया मना कर दिजिये। महोदय मैंने आपसे प्रार्थना किया है उनको मना कर दिजियें। एनटीपीसी को अधिकार नही है लोगों का नाम, पता व हस्ताक्षर लेने का। पुलिस वाले को कहिये की व मना कर दें। मैं अपनी बात तो रखूंगा लेकिन जब गलत दिख रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि उनकों मना कर दिजियें। जिला प्रशासन करवायें उसको एनटीपीसी वाले नही ले सकतें। आदरणीय महोदय मेरा यह कहना है कि सर अपनी बात रखने वाले के बात को ध्यान देंगें सर। सर ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के परिशिष्ठ चार अंतर्गत कंडिका 6.4 को देखेंगे मैंने उसकी कॉपी भी दिया है। उसमें कंडिका 6.4 में कि स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक पर परियोजना सूचना स्पष्टिकरण मांगने का अवसर दिया जाये। सर आपसे प्रार्थना है कि जो उसके प्रबंधक जो अभी जानकारी दे रहे थे उनसे मुझे स्पष्टिकरण

मांगना है उनको बुला दिजिये। मेरा स्पष्टीकरण दे उनको बुला दिजिये सर ये प्रावधान में है सर। और पर्यावरण विभाग द्वारा नोटशीट चला कर भी दिया गया था। उसमें भी यही चीज है। मेरा आपसे विनती है सर मैं संविधान की बात करूंगा कोई गैरकानूनी बात नही करूंगा। हमारा अधिकार है स्पष्टीकरण लेने का जो हक है वे कैसे लागू होगा। स्पष्टिकरण तो व दे देंगे झूठ सच मिला कर। मगर प्रत्येक व्यक्ति लोग सुनवाई स्थल पर उपस्थित आवेदन से मतलब एनटीपीसी से परियोजना पर सूचना स्पष्टिकरण मांगने का अधिकारी है। बताईये सर वे स्पष्टिकरण फिर आ के दे देगा पर मैं जो मागूंगा व मेरा अधिकार कहां गया। जो भी बोलना है माईक में बोलिये। मैं तो अपनी बात रख रहा हूं प्रावधान की बात कर रहा हूं। भारत सरकार के नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं। और भारत सरकार, मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है यू ही नही कर दिया। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के अधिकार और कानून के तहत् किया है। मैं उसी को बोल रहा हूं कि मेरे को स्पष्टीकरण मांगने का अधिकारी है, बुलाईयें उनको। कृपया नियम का पालन करवा दिजियें सर। मैं 06 बजे तक थोड़े ना रहूंगा। स्पष्टिकरण हर व्यक्ति को मांगने का अधिकार है। नही मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं ये मान रहा हूं कि इनका नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन का लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट ये द्वितीय चरण का लोकसुनवाई हो रहा है, पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये। इसके पहले प्रथम चरण भी हुई थी 2011 में 2012 में भारत सरकार में इसकों पर्यावरणीय स्वीकृति दिया। और उस स्वीकृति में पच्चासें शर्त है भारत सरकार के शर्ते उनका लागू नही हुआ है। उसका भी इप्लीमेंट आज होना चाहिऐ सर। आप जिला दण्डाधिकारी है। आपका न्यायालय चलता है आप न्याय करते है। आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा इस लोकसुनवाई में भी। इस लोकसुनवाई का भी दायित्व उस न्यायालय जितना है। यहां भी आपके निष्पक्ष कार्य करना है। ताकि एनटीपीसी पर कार्यवाही हो सके। सर इसमें 13 दिसम्बर 2012 के पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रथम चरण का उसमें ये है कि 05 साल में इनको अपनी उत्पादन प्रारंभ करना है। मैने ही शिकायत किया था जब 05 साल हो रहा था तो फिर उसके बाद भारत सरकार और पर्यावरण ने अधिसूचना जारी करके उसे और 02 साल बढ़ा दिया। सर ध्यान देंगे। आप दण्डाधिकारी है। 02 साल बढ़ा दिया। 07 साल कर दिया। उसके वैधता का अवधि पर्यावरण स्वीकृति के आदेश के भीतर 07 साल में इनको अपने प्रथम चरण के दोनो यूनिट 800–800 मेगावाट के दोनो यूनिट को प्रारंभ कर लेना था। इन्होने ने जैसे तैसे करके 07 साल के भीतर में पांच साल को दो साल और बढ़ा रहा हूं। उस सात साल के भीतर में पर्यावरण स्वीकृति का पालन करके 800 मेगावाट के यूनिट को प्रारंभ कर लिया। दूसरा यूनिट 800 मेगावाट का उन्हेंने उस वेलेडिटी का उल्लंघन किया है जो 07 साल में भी पुरा नही कर पाया और 6–7 नवम्बर 2020 को उस दूसरी यूनिट का प्रारंभ किया, जो कि 07 साल से कही ज्यादा है। इस पर मैं जवाब मांगता हूं एनटीपीसी के अधिकारी से। चलिये बोलिये सर। मेरा बात पूरा नही हूआ है अभी तो मैं एक–एक चीज का जवाब मांगूगा। ठीक है सर। इन्हेंने आपने ई.आई.ए. रिपोर्ट में भी जो ड्राफ्ट ईआईए बनाया है उसमें लिखा है और इसको प्रस्तुत किया 30.08.2022 को अभी। लारा सुपर थर्मल पॉवर प्लांट एसटीपीपी चरण–01 का 800 मेगावाट इकाई पहली इकाई थी कि स्थापना हो गई है और द्वितीय चरण का स्थापना अंतिम चरण में है।

अब आप समझिऐ की ये रिपार्ट कितनी पुरानी है। तीन साल से भी ज्यादा पुरानी है। ईआए अधिसूचना कहती है भारत सरकार द्वारा जारी नियम व शर्त कहता है कि 03 साल से ज्यादा पुराना ईआईए का अध्ययन नही होना चाहिए और नही तो उनको पुनः अध्ययन कर फिर से बनाना होगा। मगर इनके द्वारा पुराना स्टेडी को भी शामिल कर लिया गया है इस ईआईए में। 2022 में मार्च से मई तक 03 महीने में नया डाटा कलेक्शन किया ऐसा उन्होंने लिख कर दिया वे भी फर्जी है। और अगर पुराना डाटा दिया है तो यह जनसुनवाई नही होनी चाहिऐ यह भी अवैध है यह जनसुनवाई रोक देना चाहिऐ यह अवैध है। नोट करेंगे। मैंने जैसे बताया सर ध्यान देंगे। ये जो इन्वायरमेंट क्लीयरेंस का जो डेट है इसमें फिर से भारत सरकार ने संशोधन किया 12.04.2022 को और उसमें उसमें 07 साल की वैधता थी प्लांट को प्रारंभ करने का उसको 03 साल बड़ा दिया 10 साल किया। परंतु ये मामला एनटीपीसी के द्वितीय यूनिट के लिये लागू नही होता है। क्यो–कि इन्होने एनटीपीसी ने उसको 12 अप्रैल 2022 को संशोधित किया है और इन्होंने ने 6–7 नवम्बर 2020 को दूसरे यूनिट का उत्पादन प्रारंभ किया। वह अवैधानिक है। भारत सरकार के नियम के विपरीत है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एनटीपीसी को जो मंजूरी दिया गया है उसको और इसमें है अगर वे वैलिडिटी का अगर उल्लंघन करता है, उसको नही मानता है उसका दिनांक समाप्त होने के बाद अगर ये उत्पादन करता है, तो उसको रोक दिया जाये और अभी इस लोकसनुवाई को स्थगित कर शासन को लिखा जाये और इस कारखानों का उत्पादन बंद किया जाये और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं बताउंगा अभी आपकों। ये नोटिफिकेशन है सर। अदरणीय हमारे पर्यावरण अधिकारी जानते है कि इन्होने वैधता दिनांक के बाद इन्होंने द्वितीय यूनिट का उत्पादन प्रारंभ किया है। गैर कानूनी काम किया है। अपराध किया है एनटीपीसी के अधिकारियों ने। सर रायगढ़ जिले में हम प्राईवेट कंपनियों का विरोध करते थे करते भी है और मरते दम तक करेंगे। जिंदल और अदानी का विरोध करेंगे। परंतु हम समाजवादी लोग है हम सरकारी कंपनियों का समर्थन करते थे। परंतु हमने कई सुझाव दिये थे इसी एनटीपीसी का समर्थन किया था पुरे गांव के लोग समर्थन किये थे। धोखे में थे क्यो कि इसके उपर में भरोसा किया था। ये जिंदल और अदानी से भी ज्यादा लुटेरा है। उसको भी मैं आगे बता रहा हूं। कितना अपराध किया है यहां का जमीन घोटाला भी एनटीपीसी के अधिकारियों ने किया है। गरीबों का मुआवजा नही दिया। गरीबों को नौकरी नही दिया। 2600 लोग एसडीएम रायगढ़ उसकी रिपोर्ट दे रहा हूं जिसकी सूची निकाला हूं। 2665 किसान प्रभावित हुए है जिनका जमीन गया है। उससे भी ज्यादा लोग है मगर उसने लोगों को छांट दिया और 2665 लागों का सूची दिया है। 2600 लोगों को अपने प्लांट में नौकरी नही दिया है। ठेकेदार के अंदर में काम करते है। इसी एनटीपीसी के अधिकारियों को एक एक मजदूर 15000 से 25000 रिश्वत देता है। पूछ लिजिये। 10 लोगों को नौकरी में नही रखा है। मैं इसी जिले का हूं इसी तहसील में मेरा गांव है। मेरा छोटा भाई जो जनपद समस्य है लारा का उनका जमीन है। इस क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि है सब बेईमान है। इस क्षेत्र के 10 कि.मी. के क्षेत्र के गांवों में इनका धुल धूंआ जा रहा है। फ्लाई ऐश उड़ रहा है। प्रदूषण हो रहा है। खेती नही हो रहा है। साग सब्जी नही हो रहा है। कई प्रजाति विलुप्त हो गये है। पक्षी चिड़ियां विलुप्त हो गये। धन का भी मुआवजा

नही देता है। इसमें तो भारत सरकार ने जब इसको मंजूरी दिया अगर वही कानुन का पालन कर ले तो ये क्षेत्र स्वर्ग हो जायेगा। मगर ये लुटेरे अधिकारी आ गये है। बाहरी अधिकारी रायगढ़ को लुटने आये है यहां के लागों को काम नही देते है। यहां के 10, 12 एवं 15 गांवों के लागों को काम नही दिया। है इसमें सब 8 किलोमीटर का हवा पानी, मिट्टी का सैंपल दिया है और इन्होने ने लिखा है पुसौर क्षेत्र का भी सैंपल लिया है आप जानते है कि पुसौर शहरी क्षेत्र में आता है नगर निगम है आप ही कानून बोलता है। ये अपने रिपोर्ट में प्लांट के सबसे नजदीक का टाउन रायगढ़ को बताया है। रायगढ़ को 14–15 कि.मी. बता दिये है। ताकि अध्ययन के लिये एनओसी लेना ना पड़े। ये पुसौर जो कि यहां से 06 कि.मी. भी नही है। नगर पंचायत से एन.ओ.सी. लिया ग्रामपंचायत से सेम्पल भी नहीं लिया है। ओड़िसा के आधा दर्जन से ज्यादा गांवो में इन्होंने सेम्पल लिया है बताये है। यू झूठी रिपोर्ट है। क्या उस गांव से एनओसी लिया पंचायत से लिखित में लिया पावती लिया। नही लिया है। यहां के हमारे 10 से 12 गावों में बताते है कि वायु व पानी का सेम्पल लिया मिट्टी का सेम्पल लिया। क्या ग्राम पंचायत ने उनको एनओसी दिया है। क्या गांव वालों को मालूम है कि उनके गांव में जांच करने आये थे किसी को नही मालूम। सब घर में बैठ कर एनटीपीसी ने रिपोर्ट तैयार किया है। नोट करेंगे ये बात। ये जो शिकायत पत्र है और ये जो लोकसुनवाई को स्थगित करने की बात कर रहा हूं उसमें ये सब लिखा हुआ है। मैं संक्षिप्त में बाता देता हूं आपको इसमें लिख कर भी दिया है। इसमें एनटीपीसी के ड्राफ्ट ईआईए में भी लिख कर दिया है। इसकी कॉपी मैंने दिया है देख लिजिये कि लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट स्टेज–01 का पहला यूनिट का ऑपरेशन 01 अक्टूबर 2019 को चालू किया और यूनिट दूसरा 07 नवम्बर 2020 में उत्पादन प्रारंभ किया। उसकी जांच कराईये। अगर यह पहले लिखते है अगर छ.ग. विद्युत मंडल को ये बेचा है। उसकी जांच कराईयें अगर उसके पहले अगर ये बेच रहें है। क्यों कि ये चोरी का प्रकरण आ गया बताउं आपको कैसे चोरी करते है, मैं बताउंगा आपको। इसकी भी जांच कराईये। इनसे मैं प्रश्न पुछुगां और ये जवाब देंगें। आपको मैं बताता हूं कि एनटीपीसी कितने बैईमानी कर रहें है। इस क्षेत्र के साथ शोषण कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। ई.आई.ए. जो तैयार हुआ है ये 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 तक किया है जो 03 साल पुराना है। लेकिन उन्होने देखा कि जनसुनवाई अब होगी तीन वर्ष से अधिक हो जायेगा। तो इन्होने फ्रि में हर सेशन का मार्च से मई 2022 तक डाटा कलेक्ट किया है बोलते है तो पुराने रिपोर्ट को इसमें क्यों डाला है। इनके अधिकारियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। हम एनजीटी तो जायेंगें ही और इस कारखाने को चलने नही देंगें। यो लोगों को लूट कर उनका शोषण कर रहें है। इसके प्रदूषण से पशु–पक्षी मर रहे है, मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। फसल का नुकसान हो रहा है जिसका मुआवजा भी नहीं दे रहा है। ये लोगों सब्बल चोरी करके सूई दान कर रहे है। उसकी भी रिपोर्ट है देंगे आपको और इन्होने ये बताया है कि अर्बन क्षेत्र 1.49 हेक्टेयर है और 710 हेक्टेयर को ही अर्बन क्षेत्र मान रहे है। इतने बड़े क्षेत्र उसका कोई महत्व नहीं है क्या ? नगर पालिका से एन.ओ.सी. लेना था और वहां सेम्पल कलेक्ट करना था लेकिन नहीं लिया है। ये इनकी मनमानी है कि ये कब गांव जायेंगे कब टेस्ट करेंगे कोई ठीकाना नही है। पुरा ईआईए रिपोर्ट फर्जी है। इन्होंने जो डाटा कलेक्शन किया है इनसे जवाब

मांग कर मुझे दिजिये। इन्होने उड़ीसा के 5 गांवों में वायु का जो मानक होता है उसका अध्ययन किया है उसमें डीपापारा कलगाबहार, कनकतुरा, लुड़ेबगा और आमापाली है। आपको बता दूं कि जो इन्होनें हिन्दी में ट्रांसलेट लिया है इनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिऐ। गांव का नाम भी झुठ लिखा गया है। क्या उड़िसा वालों से अनुमति लिया। क्या गांवों के पंचायत में किस तारिख को किस समय सेम्पल कलेक्ट किया। उड़िसा में ई.आई.ए. बाटा, और बोलेगा हा हमने दिया और 5–6 सरपंचों का हस्ताक्षर भी बता देगा। पहले चरण का जो भारत सरकार से इन्वायरमेंट क्लीयरेंस लिया है उसको मैंने दिया है ध्यान देंगे। उसको नोट करेंगे। उसका इन्होने पालन नही किया है। इस स्वीकृति के शर्तो का पालन नही किया और ये द्वितीय चरण का लोक सुनवाई हो रहा है ये नही हो सकता और 29 अक्टूबर 2018 को टी.ओ.आर. भारत सरकार ने जारी किया है उसका भी पालन नहीं किया है। महोदय इसको पानी आपुर्ति के लिये महानदी से अनुमति मिला है पहले चरण के लिये और दूसरे चरण के लिये भी हो रहा है उसके लिये भी अनुमति मिला है इनको। परंतु इन्होने अंडरग्राउण्ड पानी भी खिचा है इसका सबुत है हमारे पास। सिंचाई विभाग रायगढ़ का ये दस्तावेज है। इन्होने ने बिना अनुमति के भूमिगत जल सैकड़ो ट्यूबवेल है इनके यहा। भू–जल बिना अनुमति सिंचाई विभाग का पत्र है। 4–5 दस्तावेज है। इन्होने भू–जल का दोहन किया तो सिंचाई विभाग ने 03 गुणा जल कर अधिरोपित किया जो 1639400 रूपये होता है। हम आपको बताते है कि आदरणीय पीठासीन अधिकारी को धन्यवाद की वे बड़े ध्यान से हमारी बात को सुन रहें है और अनुरोध करता हूं कि इस जनसुनवाई को यही स्थगित कर दिया जाये। बहुत से कानुनी मुद्दो को इन्होने तोड़ा है। सिंचाई विभाग का एक और पत्र है बिना अनुमति नैसर्गिक और स्व निर्मित तरीके से जल का दोहन किया है इन्होने ये भी पत्र है ये है 07.01.2016 का और ये जो भूमिगत जल लिया है उसको 30.09.2015 तक 49 लाख 18 हजार पटाने का आदेश है। एनटीपीसी ने हो सकता है ग्राम बोडाझरिया के किसानों, मजदूरो एवं आदिवासियों को मालूम ना हो मगर निर्माणाधीन बोड़ाझरिया जलाशय जो सिंचाई विभाग का है जो खर्च किया था सिंचाई विभाग ने 60 लाख 77 हजार रूपया मांगा है सिंचाई विभाग ने क्यों–कि ये उस पर भी कब्जा कर लिये है। देखिये इनको जो पर्यावरणीय स्वीकृति 13 दिसम्बर 2012 को जो मिल है उसमें जो निर्देश है जो शर्ते है उसको मैं बता रहा हूं। भूमिगत जल लेने का इनकों कोई अधिकार नहीं है चाहे किसी भी ऋतु और मौसम में नही ले सकते इनको ये लिखा गया है लेकिन ये ले रहे है। इसकी भी जांच करवाया जाये। पुछिये इनसे दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। इन्होने बिना अनुमति नैसर्गिक स्व निर्मित जल श्रोतों से भूमिगत जल का दोहन किया ये दूसरा पत्र है मैं उसी को दोहरा नही रहा हूं इन्होने ये 09.03.2016 को किया है। उसका भी ये पैसा मांगे है और जल संसाधन विभाग इनको पत्र दिया और स्मरण कराया और शिकायत किया है कि आपके परिसर में कार्यरत 6 संस्थान ठोका कंपनियों में से 4 लोगों ने भुगतान कर दिया है जल का ताकि बाद में हल्ला ना हो और 2 कंपनी का भुगतान शेष है। सिंचाई विभाग को तो इस कंपनी में ताला मार देना था। मगर सब अधिकारी बिके हुऐ है। तो उन्होने ने बताया है कि मेसर्स एएनआरएल का भुगतान शेष है और मेसर्स ईआईईएल द्वारा अभी तक देयक का भुगतान नही किया गया है। दो ठोक कंपनी जो बाहर से आकर

लुट रहे है जिसमें ये कंपनी के अधिकारी शामिल है। आपको मैं बताता हूं आदरणीय पीठासीन अधिकारी हमारे जिले के दण्डाधिकारी इनको जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिला है उसमें एक शब्द ये भी है कि अगर ये अपने परियोजना में बदलाव करते है, कोयला में धांधली करते है ऐसा लिखा हुआ है धांधली। तो इनकी पर्यावरणीय स्वीकृति रद्द हो जायेगी ऐसा इसमें लिखा है और कारखाने को ताला मारेगा गांव का आदमी हम जायेगे ताला मारने। छपोरा गांव का 50 एकड़ का निस्तारी तालाब उसको इन्होने पाट दिया ये प्रावधान में है कि जल श्रोत है भले ही कंपनी के इलाके में लेकिन उसको पाट नही सकता और बंद नही कर सकता उसका नियम है इसमें। बोड़ाझरिया, कांदागढ़ एवं आरमुड़ा के 7.5 एकड़ का तालाब पाट दिया आप वहां से पानी ले सकते है लेकिन उसे पाट नहीं सकते और उसकों सफाई करते रहना पड़ेगा अगर उसमें राख आदि का कर गिर रहा है तो नियमित उसकी सफाई करके उसका गहरीकरण भी करना पड़ेगा। ये भी नियम में है लेकिन उन्होने ने पाट दिया। 7–8 तालाबो को पाट दिया। इनका विरोध किया जाये ये पर्यावरणीय स्वीकृति में है कि ये नही पाट सकते। आदरणीय महोदय कांदागढ़ का ऐसे 02 तालाब को ये लोग फ्लाई ऐश पंड कहते है उस पांड में पाट दिये है। पांड बनाना था इनको जो निचली सतह होता है उसको पाटने का या वहां फ्लाई ऐश डालने का अधिकार नही है। ये दिया है रिपोर्ट में मैंने नही बनाया है ईआईए मैं कुछ नही जानता। मेरी बेटी इलेक्ट्रीकल इंजीनियर है उसने रिपोर्ट बनाई है और मेरे को दी है और मेरे को समझाया भी है कि ये कहता है भारत सरकार का पर्यावरणीय आदेश। आपको मैं बता रहा हूं। इन्होने उस तालाब को पाट दिया पाटा क्या उसी में राख डाल दिया। ऐश डाईक को बनाना था निचली सतह की जमीन में नही बनाना था। मैं आपको बताता हूं कि पर्यावरणीय स्वीकृति ये कहती है कि जो 2012 में जो इनकों स्वीकृति प्रथम चरण का मिला है कि जो भूमिगत जल है उसको ये खोद नही सकते। इसी का नोटिस दिया था जल संसाधन विभाग व सिंचाई विभाग ने। दूसरी चीज की ऐश डाईक बनाया जायेगा। नियम के तहत् भारत सरकार से जिला प्रशासन से पर्यावरण विभाग से पुछ कर बनाना था। उनका जो डाईग्राम होता है जो वैज्ञानिक तरिका होता है। उसके अनुसार बनाना था। ऐसे ये लोग जो प्राथमिक रूप से निचले जमीन था तालाब था उसमें ये लोग पाटना चालू कर दिये और थोड़ा थोड़ा जमीन को उठा दिये। ताकि प्राकृतिक नाला जो बोड़ाझरिया व झिनकीडांड में बहता है उसमें न जाये और केलो नदी में पानी न जाये। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके ऐश डाईक जो राखड़ बांध है उनका पानी रिस कर प्राकृतिक नाले में जा रहा है, जो गांव का अधिकार है और उसके द्वारा वे केलो नदी में भी जा रहा है और उससे केवल छत्तीसगढ़ के गांव प्रदूषित नही हो रहे है। ओड़िसा के भी गांव बरबाद हो रहे है। यहां का जो मछली पालन है व समाप्त हो रहा है। इनके प्रदूषण के कारण या तो मछली मर रहे है या मछली आ नही रहे है। इन्होने ने अपनी रिपार्ट में बताया है कि हीराकुंड बांध जो रिजर्व वायर है पानी व 12 कि.मी. दूर नही वे 12 कि.मी. दूर नही है। आप ध्यान देंगे जब इसी केलो नदी में जब रायगढ़ से निकलेंगे और जो नेशनल हाईवे बना है वहां से निकल कर आप जब कनकतुरा जायेंगे तो आप तो केलो का पूल है हमारी छत्तीसगढ़ के सीमा पर उस सीमा में 05 मीटर पानी है। 14–15 फुट पानी है। आप देख लिजिये। वे कहां का पानी है केलो नदी का तो

पानी नही है। वे हीराकुण्ड बांध का पानी है। रिर्जव वायर का है। तो ये बोलते है कि 12 कि.मी. दूर नही वे इतना दूर नही है। आप वहां नाव चला लिजिये। आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय उसमें छत्तीसगढ़ का बोट चला लिजिये। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री कहते है कि हम बोट चलायेंगे। चलाईये पर्यटन पैदा करियें यहां से। रायगढ़ से ही बोट चला कर के उड़िसा के बार्डर में जा सकते है। सम्बलपुर और हीराकुण्ड जा सकतें है। तो जब इन्होंने झुठा रिपोर्ट दिया है क्यो दिया। 12 कि.मी. दूर नही है। वे 1–1.50 कि.मी. में ही रिर्जव वायर का पानी आ जाता है। आदरणीय महोदय मैं तो सिर्फ न जो पर्यावरण स्वीकृति मिला है और जो उसका व्याईलेंस हुआ है। मैं उसी को बोल रहा हूं सर जो उन्होने ने पालन नहीं किया उल्लंघन किया है। वे कानूनी बात है। तो इसमें है कि उसने अपने प्रोजेक्ट के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट लगायेंगे और इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि 200 एकड़ में ग्रीन बेल्ट लगायेंगे। अभी के रिपोर्ट में ये जो जनसुनवाई हो रहा है द्वितीय चरण का उसके ड्रफ्ट ईआई में। मैं बोलता हूं आपको 10 साल हो गया प्लांट क्या नही लगाया ग्रीनबेल्ट। इन्होंने एक पेड़ नहीं लगाया है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने प्लांट के सामने और छपोरा गांव के जमीन पर वृक्षारोपण किया है वे जो पहले किया है वहीं है। और इन्हेंने प्लांटेशन नही किया है। उल्टा अपने प्लांट परिसर और अपने गतीविधियों के क्षेत्र में पेड़ को काटें है। गांव का पेंड़ काट दिया है इन्होंने अगर मैं झुठ बोल रहा हूं तो गांव वाले से पुछ लिजिये। वृक्षारोपण नही किया काट दिये है। ग्रीन बेल्ट का विकास नही किया। क्यो नही किया 10 साल में पेड़ से बहुत बड़े हो जाने थे लेकिन इन्होंने लगाया ही नही। और सीएसआर मद से 5 करोड़ रूपये ग्रीनबेल्ट में खर्च करना बताया है। एक पैसा खर्च नही किया है और इनके अधिकारी भ्रष्ठ है। ये कोयला चोरी करते है। कोयला ट्रांसर्पोटर से मिला था तो मैंने शिकायत किया था 02 साल पहले। उस समय रायगढ़ के पुलीस अधीक्षक संतोष सिंह थे। उन्होंने जांच किया और जो खनिज अधिकारी भी फंस रहा था रायगढ़ का सरकारी अधिकारी उप संचालक मेरा पैर पकड़ रहा था। बचा लो मेरे को। मैंने कोई समझौता नही किया और उन्होंने वापस नही लिया वे लोग 02 लाख रूपये ले कर मेरे घर आये थे। उन्हें वापस कर दिया। गोदावरी लॉजिस्टिक कंपनी है कलकत्ता बंगाल का है वो ठेका लिया था इनके भूपदेवपुर या किरोड़ीमल नगर रेक प्वाईंट का और फिर याद आ रहा है वहां का रेक पाईंट है लिखित में है मेरे पास ये वेदांता कोल वाशरी ये वाशरी भी है उनका खरसिया के किसी सेठ का है। ये चपले के आगे है। कुनकुरी के पास वहां रेड प्वाईंट लिया था क्यो सरकारी रेड प्वाईंट में चोरी करते नही बनेगा और ये साबित हुआ है कि कोयला ट्रांसपोर्ट का गाड़ी पहले लाखा गेरवानी किसी कोल डीपो के पास जाता था गेरवानी के और वहां मिलावट होता था। राख मिलावट होता था पत्थर व धूल और जला हुआ कोयला राख मिलावट होता था और उसके बाद प्लांट में आता था और वहां डंप होता था। ये प्रूफ है मेरे पास ये अधिकारी चोर हैं। महा डकैत हैं। भारत सरकार के खजाने को लुट रहे है। ये सभी मिले हुये है। रायगढ़ का खनिज विभाग मिला हुआ है। कलेक्टर को ये सब चीजें नही मालूम इतने व्यस्त रहते है कि उनके ध्यान में लाया जाये ये बात। नये कलेक्टर आये है। ये चोर है सब अधिकारी आज भी कोयला चोरी होता है। गंदा, मिलावटी व घटिया कोयला धांधली करके एन.टी.पी.सी. में जा रहा है और उसमें ट्रांसपोर्टर, कोल डिपो,

खनिज विभाग के अधिकारी व कर्मचारी कमा रहे है और ये एनटीपीसी के अधिकारी कमा रहें है। खाली गाड़ी का पावती दे रहे है। अभी 02–03 दिन हो गया पकड़ाया है इनका गाड़ी फ्लाई ऐश को बहार भेज रहे है कहां भेज रहे है। कहां कहां अनुमति है। छ.ग. सरकार से ले ली अनुमति। पैसा दे कर अधिकारियों को। इस पर्यावरण स्वीकृति आदेश में फ्लाई ऐश को यही डालना था, फ्लाई ऐश का 400 एकड़ का तालाब बना कर और इसमें ये भी ये मैं जितनी बातें कहा रहा हूं इस आदेश में है कि पालन करना था नही किया। सुखा फ्लाई ऐश डालना था और उसको जमीन में दबाना था। लेकिन इन्होंने कोई बांध तो बनाया नही है। चारों तरफ के तालाब को पाट कर गांव के लोगों ये जो क्षेत्र है ये ओड़िसा के लग कर है। इस प्लांट से ओड़िसा के गांवों को प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ यहां ओडिया भांषी ज्यादा है ओडिया, छत्तीसगढ़ी लोग है स्थानीय लोग हैं इन सब का शोषण कर रहा है, ये एनटीपीसी कंपनी। इनको सुखा फ्लाई ऐश डालना था मेरे बात को नोट करेंगे इनको इसमें है और परंतु ये उसमें ये गीला फ्लाई ऐश डालते है। आपको मैं बता दूं और पाईप लाईन के माध्यम से गंदा पानी और गिला फ्लाई ऐश पाईप लाईन के माध्यम से ये जो बनाये है ऐश पाउण्ड उसमें गिराते है। जबकि वे अवैध है। उस पानी को अपने तालाब बनाना था और उसको उपचारित, उचित ट्रीटमेंट उसका रि सायकल करके उसको पुनः अपने उपयोग में लेना था। जो ग्रीन बेल्ट है उसमें डालना था वृक्षारोपण में डालना था उस पानी को। ग्रीन बेल्ट तो विकसित किया नही है। बनाया नही है। पेड़ तो लगाये नही है। कहां डालेंगे ? वे पानी फिर खेतों में जायेगा। कितने होशियार है बताईयें। फ्लाई ऐश का गंदा पानी रिस करके खेतों में जा रहा है। नाले मे जा रहा है और उस पांड में राखड़ बांध में फ्लाई ऐश डाला जा रहा है व उड़कर गांव के घरो एवं खेतों में जा रहा है। पानी का श्रोत है निस्तारी तालाब उसमें जा रहा है और इस तरह से फसल नुकसान हो रहा है। साग भाजी तो हो ही नही रहा है। मैंने जितना जांच किया है थोड़ा पड़ा लिखा आदमी हूं हो सकता है और कई फसल लुप्त हो गये होंगे। किट पतंगें विलुप्त हो गये होंगे। सरकार का जो एजेंसी है विवाद है। इनके जो कॉलेजो में 02–02 लाख रूपये वेतन पाने वाले प्रोफेसर है ना बेईमान लोग चोर लोग उनसे जांच करवना चाहिऐ जो केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। जो फिजिक्स का प्रोफेसर है। जो वनस्पति शास्त्र का प्रोफेसर है उन लोगों से जांच करनी चाहिये, पर्यावरण विभाग को जांच करनी चाहिये, सिचाई विभाग व वन विभाग को जांच करनी चाहिये क्या उनका भूमि प्रभावित हो रहा है ? नही हो रहा है तो रिपोर्ट देना चाहिए और हो रहा है तो कारखाने को बंद करना चाहिऐ। छोटा मोटा मुआवजा देकर ठग नहीं सकते। 10 साल ठग लिया पुरे क्षेत्र में आक्रोश है कि इस कंपनी को ताला मार देगा यहां का जनता। मेरे उपर विश्वास है मैं उनका साथ दूंगा। इस कंपनी के खिलाफ आंदोलन करके हम लोग जेल गये थे। अभी मेरे साथ गांव के लोग है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल अग्रवाल जी है वे भी गिरफ्तारी किये है इस कंपनी के खिलाफ बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे है। संतोष बहिरदार जो इस क्षेत्र के जनपद सदस्य है। राधेश्याम शर्मा जी आये हुऐ है राजेश नायक आये हुऐ है। लल्लू सिंह है हमारे जो नेतनांगर के किसान नेता है। ये तमाम लोग इस कंपनी के खिलाफ आंदोलन किये है। और अपनी जायज मांगों के लिये आंदोलन किये है। मगर इस कंपनी ने कभी मांग पुरा नही किया है इसके लिये हम मजबूर हो

करके इस सरकारी कंपनी का हम विरोध कर रहे है ताकि इसमें सुधार हो बंद हो और पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त हो ताकि आप लोग इन पर कार्यवाही करें। 5–10 साल लगेंगा कार्यवाही करने में। तब तक बंद रहें फिर ये सुधार करे फिर उसके बाद फिर से जनसुनवाई हो मेरा ये कहना हैं कि ये इन्होंने अब आपकों बतातें है इन्होने केलो नदी से पानी के लिये अनुमति मांगा है। जब देखा सिंचाई विभाग छत्तीसगढ़ सरकार का जांच में पकड़ लिया है इनकी चोरी तब इन्होने ने आवेदन लगाया कि हमको अनुमति दिया जाये और तब जा करके इन्होने पैसा पटाया है और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 नवम्बर 2017 को अनुमति दिया है। चोरी तो ये लोग कई साल पहले से कर रहें है और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब से चोरी किया तब से उसका पेनाल्टी शुल्क लेना ही नही है उसको सजा भी देना था। एक आम आदमी चोरी करे तो जेल में डाल देते है न्यायालय सजा दे देती है इनको काहे सजा नही मिलेगा। इस कंपनी को सजा कौन देगा। आप देंगे दण्डाधिकारी महोदय। आज मैं आपको शिकायत करता हूं लिखित में दिया हूं कि कार्यवाही करिये इनके उपर में और ये केलो नदी से 01 मिलियन घनमीटर जल केवल 03 महिना के लिये लेना चाहते है इन्होंने अस्थाई अनुमति मांगा है। क्यो भाई जब तुम तो साराडीह बैराज महानदी से पानी मिल रहा है तो यहा क्या आवेदन दे दिया छत्तीसगढ़ सरकार को धोखे में रख कर ये अनुमति लिया है। बाद में इनकी चोरी पकड़ी गई जबकि भारत सरकार का आदेश पत्र कहता है कि केवल महानदी से दोनो बार लेना है। ये पहले व दूसरे चरण दोनो के लिये अनुमति दे दिया। तो केलो नदी से क्यो पानी लिया चोरी कर रहा था पकड़ा गया। कुछ सिंचाई विभाग के अधिकारी को रिश्वत दिये होंगे। सर उसको आगे बड़ा दे अनुमति दे दिजिये। ये क्या ईमानदार है। इन्होने जितना पानी लिया होगा क्या उसको बतायेंगे। चोरी करने वाला आदमी बताता है कि मैंने कितना चोरी किया। बतायें होगें तो थोड़ा मोड़ा बता दिये होंगे। सूई का दान करके सब्बल का चोरी कर रहे है ये लोग। गांव में भी यही हाल है। ये जो पर्यावरण स्वीकृति आदेश में है 2012 का कि एनटीपीसी लारा के इस गांव से जो भूमिहिन हुये है। आप किसान है सर आपकी जमीन बेच देगें तो मैं मजदूर बेकार हो जाउंगा। तो ऐसे भूमिहीन मजदूरों को भी उनको काम देना है, मुआवजा देना है। कितने लोगों को दिया है 02–04 या 10–20 लोगों को दिया है मुझको मालूम है और फसल नुकसानी का देना था लेकिन नहीं दिया है। आपको हम बताते है कि ये बोलते है कि हमको 26 दिसम्बर 2017 को एनटीपीसी ने चिठ्ठी लिखा है। वे भी दिया हूं मैं आपको कॉपी। कि हमको पहले चरण के टेंस्टिंग कमीशन के लिये जल आवश्यकता हेतू केलो नदी के नैसर्गिक श्रोत से 01 मिलियन घनमीटर का 03 माह हेतु स्थायित्व प्रदान करें। तो भाईया 2010 में आपको साराडीह जगह से पानी लेने की अनुमति मिली 07 साल क्या कर रहे थे आप। वहां से पानी नही लिया। अब केलो नदी से पानी चोरी करना चालू कर दिया और जब पकड़े गये। मैने ही शिकायत किया था इसकी भी। केलो से चोरी कर रहा है। भूमिगत जल ले रहा है। आपको बता दूं सर कि अभी आप जांच करा लो। ये जो छपोरा गांव का नाला है यहा से भी गैर कानूनी तरीके से भी जिसकी अनुमति नही है। ट्यूबवेल से पानी लिया जा रहा है। कितना पानी चाहिऐ इनकों और ये सब इतना पानी इस लिये चाहिऐ ताकि राख को पानी में मिला कर पाईपलाईन के माध्यम से केलो नदी में छोड दे ऐश

डाईक मतलब राखड़ बांध में छोड दे और ओडिसा की तरफ छोड़ दे ये इनका प्लान है। क्योंकि ये अपने सीएसआर मद में बता रहे है कि हमने क्या क्या खर्च किया। ये बताते है कि ऐश डिस्पोजल के लिये पाईप लाईन निर्माण में इतना खर्च किया। पाईप लाईन बिछाने का काम ये कर रहे है फ्लाई ऐश को ले जाने के लिये कैसे ले जायेगें सुखा ले जायेंगे। पानी के माध्यम से ले जायेगे। क्या अनुमति है उनको। कैसे इंजिनीयर काम करते है। सब भ्रष्ट लोग है इसलिये ऐसा कर रहें है। हमारे गांवों को लुट रहे है शोषण कर रहे है। और वे कहते है कि अस्थाई इसकी अनुमति दिया जाये। जो यहां के पाईप लाईन से पानी आना चालू हो गया है। यहां साराडीह बैराज महानदी से एक तालाब को दो भाग किया चलो अच्छो है मगर वैज्ञानिक तरिका हमको नही मालूम। आप जांच कराईये कि वहां का पानी कैसा है और जो गंदा पानी निकलता है उसके लिये कहा है तालाब। साफ पानी में भी नही दे सकते ये भी नियम है। गब्बर सिंह का ये भी आदेश है कि मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं कि गब्बर सिंह का ये भी आदेश है गंदा पानी को जहां तहां नही छोड सकते। उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे और कहा करेंगे। हो सकता है आधा एकड़ में इनका ट्रिटमेंट हो भी और जब सिंचाई विभाग से हमने लड़ कर मांगा तो ये मिला है। ये एनटीपीसी सिंचाई विभाग रायगढ़ को लिखते है अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ को 27.04.2018 को कि कांदागढ़ के समीप से कलो नदी से जल आहरण करेंगे मांग रहें है स्वीकृति और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको स्वीकृति दी है और उसका पेनाल्टी लगाया है पैसा। अब हम आपको बता दे कि ये अगस्त 2017 से अप्रैल 2018 तक इन्होने लिख कर दिया है हमारी सरकार तो जांच करती नही है। इन्होंने ने लिख कर दिया है कि 2678 घंटे जल खीचा है और इनका कहना है कि इन्होने 02–02 मोटर लगाये है, हो सकता है 03 भी होगा। जांच करना चाहिये पर्यावरण विभाग को और वे कहते है कि हम लाखों करोड़ो लीटर पानी लिया है। इसकी जांच होनी चाहिऐ क्यों लिया। अनुमति नही था तो क्या लिया। बिना अनुमति लिया बाद में अनुमति मिला है केलो नदी से पानी लेने का और भूमिगत जल लेने के लिये अनुमति मिल ही नही सकता। अगर अनुमति दे दिया तो जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को जेल होगा। रायगढ़ के जो कार्यपालन अभियंता है वे भी गिरफ्तार हो जायेगा। इस लिये नही दिया। भूमिगत जल लेने का तो नही है। ये आयेगें अभी और बतायेंगे कि हम पेय जल के लिये कितने ट्यूबवेल की जरूरत है। रायगढ़ नगर निगम में जितने ट्यूबवेल है और जो पूरे शहर को पानी का सप्लाई करता है ट्यूबवेल व केलो नदी से भी होता है। उससे कई गुना ज्यादा इनके यहां ट्यूबवेल है। 03 लाख लोगो को पानी पिलाता है रायगढ़ नगर निगम और ये कितने को पानी पिलातें है। कंपनी में कितने लोगों को नौकरी दिये, पुछिये। 1000 आदमी नौकरी नही करते और यही कहते है कि प्रथम चरण में 112 और द्वितीय चरण मिलाकर 622 लोगों को नौकरी देंगे और 2665 लोग भूमि से प्रभावित हुऐ है जिनका जमीन गया है। जिनको मुआवजा मिला है और गांव के हमारों लोग आज इस क्षेत्र के भूमिहिन लोग है जो उन खेतों पर आश्रित थे अनकी आजीविका समाप्त हो गई और जिनका फसल नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं सर आरमुड़ा गांव है उसका 96 प्रतिशत जमीन इन्होने ले लिया। अधीग्रहित कर लिया 96 प्रतिशत को। उसमें 04 प्रतिशत शेष बचा है उसमें एक तालाब है 80–10 एकड़ का और 08–10 एकड़

जमीन खेती बाड़ी के लिये बचा है गांव वाले बताये और इनकी जमीन प्लांट में तो गया है। आरमुड़ा की जमीन पे साहेब ये क्षेत्र ओड़िया क्षेत्र है। ओडिया लोग बहुत है यहां। ओडिया और छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण कर रहें है। देखिये पर्यावरण का रिपोर्ट स्थानीय भाषा में भी होना था। हिन्दी में भी नही है केवल 12–15 पेज का संक्षिप्त सार दे दिया इन्होंने। अंग्रेजी में दे दिया हम तो खुद नही समझते अंग्रेजी। पीठासीन अधिकार सर आप ओड़िया क्षेत्र के लोगों का शोषण कर रहे है ये एनटीपीसी शोषण कर रहे है लूट रहें है और जो लोग आवाज उठा रहे है उनको मारपीट रहे है जेल भेजवा रहें है। पुलीस लोगों को कह कर झूठा केस कर रहे है। जांच कर लिजिये। मेरे को हरियाणा का समझे है क्या, उतरप्रदेश का हूं मै, बंगाल का हूं जहां के लागों के ये नौकरी दिये है। ये आपके बतायेंगे सभी साथी मैं और हमारे ये अनिल अग्रवाल भाई वो मेरे से ज्याद अच्छी तरह से बतायेंगे। ये प्रभावित किसानों की संख्या दिया है। 2665 प्रभावित किसान है जो कि काट छांट कर दिया गया है जबकि 5000 से ज्यादा किसान प्रभावित हुऐ है। मगर इन्होने भूमि घोटाला क्या। एसडीएम रायगढ़ उस समय थे। पटवारी जेल भी गये हैं जमीन घोटाले हुये हैं। 05–05 डिसमिल का तुकड़ा कर लिया। जांच कर लिजिये। प्रकरण लंबित है। इस लोगों को नौकरी दिया 2665 लोगों को। मजदूरी भी करना चाहेंगे तो इनके यहां के अधिकारी हमारे गांव व ठेकेदार लोगों को कहते है कि बाहर का रखना यहां का मत रखना और पैसा लो 25–30 हजार बोलते है और 06 माह से 01 साल भी काम नही मिला ठीक से और उनको निकाल देते है यही अधिकारी व ठेकेदार बिचारा क्या रिश्वत लेगा। रिश्वत तो ये लेते है। अभी स्थानीय तथा विस्थापित लोगों के द्वारा आंदोलन चल रहा है। क्यो नही मिल सकता ठेकेदारी यहां और अभी लगातार 03–04 सालों से आंदोलन कर रहें है। गांव के किसान और युवा बेरोजगार लोग नौकरी के लिये लगातार आंदोलन किये। 08 साल से कर रहे है। कलेक्टर एवं मंत्री लोगों के दबाव से कुछ लोगों को नौकरी दिया है। प्रकरण अभी भी लंबित है। वे भी सरकार दबाव बनाती है तो देते है नही तो इनकी मनसा नही है। तो हमारा कहना है इन्होने जो पुनर्वास के तहत् जो खर्च किये है 31 मार्च 2018 तक जो खर्च किया है वे हम बता रहें है कि फाईनेंसियल हेल्थ इंजीनियर कॉलेज रायगढ़ को किया गया। ठीक है तुम रायगढ़ में खर्ज करों दिल्ली में खर्च करें हमको कोई आपत्ति नही है। मगर आप इंजिनियरिंग कॉलेज को 10 करोड़ रूपये दे चूंके। अच्छा दिये नही है मतलब ठग रहे है ये रिपोर्ट ही गलत है। फिर भी हम पड़ देते है। आईआईआईटी रायपुर को 200 करोड़ रूपये दिये जाने का कमिटमेंट दिया और 87 लाख दिया है। क्यो भाई आप रायपुर को उतना देगें और इस क्षेत्र को क्या लारा, कोड़पाली, बोडाझरिया, झिनकीडांड, कांदागढ़, आरमुड़ा महलोई, छपोरा, रियापाली और ओडिसा का 4–5 गांव जो 10 किलो मीटर में आते है। पुसौर भी आता है उनके उपर कितना खर्चा हुआ उसके बताया है वे भी बताउंगा कितने नकली खर्च किये है। ये बोलते है ड्रिकिंग वाटर टैक निर्माण में 02 करोड़ का पाईप लाईन बिछाने का किये है। ठीक बोल रहे है जनसुनवाई बंद होनी चाहिऐ यह भी मेरी मांग है। आपको बता दूं झिलगीटार व बोड़ाझरिया में उन्होने ओवर हेड टैंक बनाया है मगर पानी आज तक नही दिया गांव वाले बता रहें है और ये वेलफेयर के नाम से 47 लाख रूपये खर्च किये है। सेनिटाइजर के नाम पर इन्होने स्वास्थ्य भारत योजना में छत्तीसगढ़ सरकार

को 03 करोड़ 25 लाख रूपये दिये है। क्यो भईया अच्छा किये 06 करोड़ 20 करोड़ दो आदरणीय मुख्य मंत्री के खाता में। परंतु यहां के गांव वालों क्या गलती कर दिये जो इनको दे रहा है। गांव के स्कूलों को बाउन्ड्री वाल पर 53 लाख रूपये खर्च किये। आपको भी बता दें गांवों में मंदिर है पूजा स्थल है तमाम जगहों पर गांवों पर प्रदूषण फैल रहा है यहां। पुरे गांव में कालिक पोत दिये है। अधिकारी महोदय आप तो नये आये है। पुरा रायगढ़ जिला औद्योगिक प्रदूषण फ्लाई ऐश से पट गया है। रायगढ़ में जिस घर में आप रहते होंगे वहां के छत एवं आंगन में जाईये खड़े नही हो पा रहे है। उसमें भी कालिक पोता हुआ है। कितने प्रदूषण कितना खतरनाक जहर हम लोग खा रहे है अगर सामान्य मौत मरने वाले भी लोगों का पोस्टमार्टम किया जाये तो जानवरों का किया जाये हमारे फेफडों, लीवर और खुन में कोयला और फ्लाई ऐश का राख मिलेगा और खतरनाक केमिकल मिलेगा। मगर ये संभव नही है हर आदमी का पोस्टमार्टम किया जाना। मगर जो पोस्टमार्टम होता है उनकी रिपोर्ट भी डॉक्टर नही देता है। उनकी रिपोर्ट भी नही देता क्योंकि उनके पेट में रायगढ़ का प्रदूषण है उनके पेट में। क्यो नही देता रिपोर्ट क्यो कि रायगढ़ जिले में इस एनटीपीसी में जितना प्रदूषण है दिल्ली में भी उतना प्रदूषण नही है। उतना रायपुर एवं कोरबा में भी नही है। इसका एक तिहाई 600 एमजी से भी ज्यादा जा रहा है। चाहे वे पार्टिकुलेट मेटर 2.5 हो चाहे पीएम 10 वे भी 600 से ज्यादा जा रहा है। खतरनाक हो गया है रायगढ़ का प्लांट और जिंदल उद्योग और अदानी समूह और जितने फेक्ट्री है एनआर उद्योग और सिंघल और अंजनी ये तमाम लोग रायगढ़ के लोगों को बर्बाद कर रहें हैं। अपराध कर रहे है एनटीपीसी के साथ मिल कर। रायगढ़ इनर्जी जो कोरबा वेस्ट का था ये तमाम लोग रायगढ़ को बर्बाद कर रहे है। आपके अनुरोध है आपका अधिकारी है आज ही रायगढ़ जा कर यह आदेश निकालिये जांच करने का और उसमें जो हमारे पर्यावरण के साथी है आदरणीय हमारे भतीजे अनिल अग्रवाल, राधेश्याम शर्मा, राजेश नाग, राजेश त्रिपाठी, हमारी भतिजी सविता रथ, किसान नेता लल्लू सिंह ये भी हमारे और ये संतोष बहिरदार यहां का तो जनता सदस्य है ये सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहीये जांच में। उसमें एनटीपीसी के अधिकारी शासन के अधिकारी आप नेतृत्व करिये उस आंदोलन का और आपके नेतृत्व में जांच हो और ये सब भी शामिल रहे। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। पीएम का जो संगठन है उन सब लोगों को भी बुलाऐगे। राजेन्द्र सिंह व वकीलों को भी बुलायेंगे। तो बुध्दिमान इंजिनीयर इनके यहां ही है क्या हमारे घर में भी है। वे भी जांच करके इनका पोल खोल सकते है। बाउण्ड्रीवाल के नाम से 53 लाख रूपये दे दिया। गांव के पंचायत सीडी वर्क में 45 लाख कमिटमेंट किया 2.25 करोड़ रूपये, रेस्टोरेंशन एस्टमोंचर वर्क के लिये 17 लाख दिये, सीडी वर्क नियम वाई व्हीलेज 2.84 करोड़ कहां दिखता है और ये कैसा किये है। गांवों में तालाब है गहरीकरण, सफाईकरण, सौंदर्यीकरण कौन सा तालाब इस क्षेत्र में सौंदर्यीकरण हो गया है बताईऐ। आप अभी जांच करिये जा कर। इन्होने लुटा है केवल और ये बोलते है कि हम ऐश हेण्डलिंग में हम 99 करोड़ रूपये खर्च किये है 31.03.2018 तक और ऐश पाण्ड डाईक के लिये 25 करोड़ खर्च किये है। ग्रीन बेल्ट के लिये 05 करोड़ खर्च किये। जबकि ग्रीन बेल्ट है ही नही। किसी को ठेका दिये है और पुरा का पुरा पैसा खा दिये है ये लोग। जिला प्रशासन को हम इस लिये बता रहे है कि इसके

धांधली पर जांच करें और इस कंपनी को बंद करें। इन्होने बताया है कि छपोरा का बुढा तालाब उसमें खर्च किया है 14 लाख, बाहनमुड़ा तालाब 575267 रूपये और इन्होने बोला है कि तालाबो को सौदर्यीकरण करने हेतु सर मैं एक नाते से बोल रहा हूं कि इस पर तो जिला प्रशासन को खर्च करना चाहिऐ। कलेक्टर महोदय आपको खर्च करना चाहिऐ। देखिये सर कानून हमको भी मालूम है। अगर हमको पुलिस गिरफ्तार करती है तो बिचारे थानेदार हमको खाना खिलाते है। अगर 01 घण्टे के लिये गिरफ्तार करते है तो चाय नास्ता कराते है और अगर 02–03 घण्टा हो गया तो खाना खिलाते है। पुलिस विभाग को छ.ग. सरकार को अपने जेब से खर्चा नही करती है तो कलेक्टर महोदय आप अपने जेब से खर्चा करीये लोगों को पानी पिलाईये, खाना खिलाईये। सब अच्छे से रखों कलेक्टर साहब को देना है सब। सर इसमें दिया है पर्यावरणीय स्वीकृति में इन्होने कहां है कि जो सल्फर है वे 0.5 मात्रा होनी चाहिऐ जो कोयला उत्सर्जित होता है। राख होता है कोयला जलता है। कोयला का नियमित जांच होना चाहिऐ। इनके तिलाईपाली खदान में हो सकता है अच्छा कोयला मिले मगर ये चोरी करते है मिलावट करते है। इसके लिये सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस लिये इतना परेशानी हो रहा है। यह सब खेतों मे व नदियों जा रहा है। फ्लो गैसों की जो चिमनी है सर नोट करेंगे ये जो चिमनी है उसकी उंचाई 275 मीटर होनी चाहीये। मेरा दावा है ये चिमनी 275 मीटर नही होगा और एक बात नोट करेंगे बड़े ध्यान से इस चिमनी से जो निकलने वाली गैंसे और धुआं है उसकी तीव्रता 22 मीटर प्रति सेकेण्ड उत्सर्जित होनी चाहीये। मैं दावा करता हूं कि इसकी उत्सर्जन तीव्रता 22 मीटर प्रति सेकेण्ड नही है। इसी लिये सब आसपास में फैल रहा है। जांच कर लिजिये ये सब गलत है। इनका जो सल्फरडाई ऑक्साईट, नाईट्रोजन आक्साईट पार्टिकुलेट मेटर 2.5 और पीएम 10 ये ज्यादा फैलने का मतलब ये है कि इनका चिमनी काम नही कर रहा है। इनके यंत्र बेकार है या फिर प्राईवेट वाले की तरह कम उपयोग करते है। हमको अंदर जाने दे ना हम इंजीनियर एवं वैज्ञानिक लेकर जायेगे। पर्यावरण के अधिकारी और उनके यहां जो वैज्ञानिक है उनके साथ जायेगें। सब चोरी इनकी पकड लेंगे। मगर कलेक्टर अनुमति नही देते आप अनुमति नही देते। मुख्य मंत्री अनुमति नही देता है और एक बात है सर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये उच्च दक्षता क्वालिटी ईएसपी लगाना चाहिऐ। वे भी घपला होगा हम आपको बता देंगे। सरकार को केवल आपको दस्तावेज दिखाते है। जो कानून में होता है वे जमीनी स्तर पर सही होगा जारूरी नही है। ये कागज दिखाते है। लगाये है करके और इतना दाम भी बता देंगे इतना रूपये लगाये है। यहां सब कमिशन खा कर लगाये हैं। करोडों रूपये बिजली बिल आता है। रायगढ़ से जितने भी पायलेट उद्योग है जिंदल, अदानी, सिंघल, एनआर ये तमाम लोग चोरी करते है। बिजली चोरी करते है। ये ईएसपी नही चलाते। गांव तक प्रदूषण फैल रहा है और कुछ घुसखोर अधिकारियों को थोडा थोडा खिलाते भी है। गांव के लोगों ने बताया कि रो रो कर बता रहे थे गांव वाले बहुत परेशान है। आप को हम बताये प्लांट से निकलने वाले धुआ को रोकने के लिये बैग फिल्टर भी लगायें हैं। लगाये होंगे ये भी निर्देश है। हम भी प्रमाण पत्र दे दिये की चलो लगाये है। क्योंकि उसको दिखाना पर्यावरण विभाग को और सरकार को है। मगर पानी का छिड़काव भी नहीं करतें पुरे क्षेत्र में गावं में छिड़काव नहीं करते। जहां राख निकल रहा है

वहां छिडकाव नही करते। ये जग जाहिर है। इनका बैग फिल्टर भी काम नहीं करता। प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश निचले क्षेत्र के भूमि में पाटना चाहिए ये शर्त था ये सब का उल्लंघन कर रहे है। कांदागढ़ व झिनकीडांड के निस्तारी तालाबों को पाट दिये है और उसमें राखड़ का गंदा पानी उसमें जा रहा है। सूखा फ्लाई ऐश राख बांध में डालना चाहीये ये सब गीला फ्लाई ऐश डाल र हे है वहां। मैं आपको एक चीज बता दू सर ये शर्त में हैं राखड़ बांध में फ्लाई ऐश डालने के पहले हाई एवं लो डेनसिटी का प्लास्टिक सीट डालना था। चाहे व कितने भी एकड़ का हो। आप सुखा डालेगें तो बरसात में पानी तो गिरेगा ही ना। ये तो नियम है कि सुखा डालना चाहिऐ पर ये गीला वाला डाल रहे है तो वे पानी रिस कर नही जाना चाहिऐ ऐश पॉण्ड के नीचे में और इसी कारण गांवों खेतो, तालबों एवं नाले में गंदापानी रिस रहा है और फसल और लागों को भी नूकसान हो रहा है। निस्तारी का जगह नही मिल रहा है। इन्होने शासन का आदेश है कि इन्होने फ्यूजिटिव गैंस से अगर कृषी और लोगों के जनजीवन को नुकसान हो तो पंचायतों से उसकी चर्चा करके किसानों को उनकी फसल नुकसानी का मुआवजा देंगे। परंतु सर ये कभी पंचायतों से चर्चा नही करते। हो सकता है ये बात मेरे को मालूम नही किसी सरपंच को सचिव को अपने प्लांट में बुला कर चाय नास्ता करा कर लिखा लेते होंगे। क्यो कि कार्पोरेट सेक्टर का आदत है। शोषण करने का इन लोगों ने आयोग से सिखा है ये अधिकारी ये अंग्रेज के औलाद और प्लांट के गाउंड वाटर उपयोग के लिये सेकड़ों टयूबवेल इन्होनें खोदा है और एनटीपीसी ने इस शर्त का उल्लंघन किया है। प्लांट से दूषित पानी के निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था नही है। पहले बताया मैंने कि तालाब पाट दिये इन्होने और बताया है कि आस पास के गांवों में सतही जल के लिये कार्य करना तालाब का नियमित जांच हो सफाई है और सिर्फ इसीलिये क्योंकि इन्होने कहां कि तालाब का नियमित हो सफाई हो तो इन्होने ठगा और मुर्ख बनाया की तालाब का गहरीकण कर देते है आपके गांव का सफाई कर देते है और उस नाम से पैसा खा दिये और थोड़ा सा दिखा दिये अरे तुमको तालाब का गहरीकरण के लिये नही बोला है। इसमें लिखा है कि तालाब का नियमित जांच होना चाहिऐ। जल प्रदूषित नही होना चाहिए, तो जल प्रदूषण को दूर करने के लिऐ इन्होने तालाब में निर्माण किया जाना बताया है। ये अहसान नही किया हैं, हमारे उपर ये भारत सरकार आदेश के तहत है। ये भी आदेश है, भूमिहीन ग्रामीण किसानों को मुआवजा देना होगा उनके आजीविका के लिये रोजगार चलानी होगी और ग्रामीण किसानों को आजीविका के लिये रोजगार दिया जाना चाहिऐ। मैंने आपको बताया कि गांव व स्कूलों में पेयजल पानी पहुचाना और कितने 05 किलो मीटर के गांवों और स्कूलों में। मैंने आपको बताया कि ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं किया है। कितना गलत है। इस कंपनी को बंद कर दिजिये सर और उसमें ये भी बताया है कि ग्रीन बेल्ट विकसीत करना होगा 2012 में आदेश किया है। 10–11 साल हो गया। और उसमें 2500 नग पेड़ प्रति हेक्टेयर होना चाहीये और उसका घनत्व जो है 80 प्रतिशत होना चाहिऐ। कितने पेड़ लगाया है इन्होने। बंद कर दिजिये सर इन तमाम बातों को ले कर के। पहले बताया कि 07 वर्ष में इनको प्लांट चालु करना था नहीं किया है और ये जो वैधता अवधि है उसके आदेश का उल्लंघन किया है। और इन्होने उस आदेश के कंडिका 07 में ये भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के

शर्तों के तहत् वैधानिक अवधि में कुल उत्पादन नही हो सका है। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त किया जाये और पर्यावरणीय स्वीकृति कानून 1986 के तहत् कार्यवाही होनी चाहिऐ। कोयला परिवहन में धंधली नही होना चाहिऐ और ये जो ईआईए जो बनाया है तीन साल पुराना है ये भी गलत है कि तीन साल पुराने ईआईए पर लोकसुनवाई नही हो सकती। ये भी लिखा है भारत सरकार के पर्यावरणीय स्वीकृति में। आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं सर ये जो टीओआर जारी हुआ है और ईआईए है उसमें ये भी है कि क्षेत्र की जो आदिवासियों की आबादी है उसको सूनिश्चित किया जाये की कितने है। उनके अधिकार अच्छी तरह सुरक्षित रहे। आदिवासियों की भूमि परियोजना के लिये नहीं लिया जा सकता है परंतु परियोजना ने टीओआर के शर्तो का उल्लंघन किया है। एनटीपीसी ने अपने प्लांट एरिया में आदिवासियों की जमीन बड़े स्तर पर अधिग्रहीत किया है। सर इन्होने जमीन मांगा और जिला प्रशासन शासन ने कार्यवाही किया। अगर ये भारत सरकार के पर्यावरण नियम को बताते तो कभी भी जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण करके नही दे पाती तो मेरा यही कहना है सर कि एनटीपीसी अधिकारी, पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार, आपको अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पर्यावरण विभाग को और कलेक्टर महोदय को धोखे में रख कर धोखे में रखकर भूमि अधिग्रहण किया है। भूमि अधिग्रहण का नियम है कानून है। उसने आवेदन लगाया उद्योग ऑफिस में दिया फिर आप लोगों ने कर दिया। उद्योग विभाग को भी नही मालूम की पर्यावरण का क्या नियम है। आदिवासियों के हक के लिये क्या है। इस क्षेत्र में यह सामान्य तहसील ब्लॉक हो सकता है। लेकिन यहां सेकड़ों आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों का कानून और संविधान में अधिकार है और उन लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। उनको नौकरी दिया कितने आदिवासियों को दिया। ऊंची जाति वाले लोगों को मिल गया। मैं आरोप नही लगा रहा हूं। यहां का दुर्भाग्य है कि यहां के आदिवासी व दलित लोगों को नौकरी नहीं मिलता। प्रभावित किसानों को नही मिलता है और एक चीज आपको बता रहा हूं सर ध्यान देंगे नोट करेंगे इसमें लिखा है टीओआर के शब्दो के अनुसार रेल्वे ट्रेक और राष्ट्रीय राज्य मार्ग की दूरी प्लांट की सीमा से 500 मीटर से कम नही होना चाहिऐ अधिक होना चाहीये और आपको मैं बता दूं ये रेल्वे मार्ग से भी कोयला लेने लगे है। इनका रेल्वे का जो चौड़ीकरण है नेशनल हाईवे के निचे से 03–04 ट्रेन से जा रहा है ये भी उनके प्लांट से 500 मीटर से कम दूरी पर है और एक महत्वपूर्ण बात सर राष्ट्रीय राज्य मार्ग ये यहां से निकलता है वे भी 500 मीटर से कम दूरी पर नही होना चाहिऐ उससे अधिक होना चाहिऐ। जब 500 मीटर में इनका राष्ट्रीय राज्य मार्ग है तो कारखाने को हटा देना चाहिऐ। बंद करिये इस कारखाने को सर। ये तमाम बात है जो अरे गांवों का फायदा देखने वाले लोगों 12 साल में कितना फायदा दिया। लूटा है यहां के लोगों के स्वाभिमान को कुचला है। स्वाभिमान और सम्मान से बड़ा कोई चीज नही होता है और अपमान से बड़ा घटिया बड़ा नाम नही होता है। मैं जेल जाने को तैयार हूं पर अपना स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी नही रख सकता। समझ गये। ये गांव का कितना सम्मान किये इन लोगों ने स्वाभिमान को कुचला है यहां के लोगों का। धन्वाद सर हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कि आपने ध्यान से सुना। यहां

के गांव वाले एवं साथियों ने सुना और आपने बोला था आप बोल लिजिये फिर उनसे प्रश्न किजिये। अब आप उनको बुला दिजिये उनको। मगर प्रत्येक व्यक्ति को भी पुछने का अधिकार है।

2. अधीर अग्रवाल – जमीन का अधिग्रहण होने के बाद जिले के पर्यावरण के नियमों का पालन करने के लिये। एनटीपीसी के पिछले जनसनुवाई वर्ष 2011–12 में लगभग 1600 लोगों को नौकरी देगी। बाद में इनको याद आया कि सुपरपॉवर प्लांट है तो 1200 कर दिया लेकिन 69 लोगों को रोजगार दिया। उसमें भी 52 लोगों को नौकरी दि जो जिले प्रशासन को पात्र बनाया है। केलो नदी से पानी खिंच रही हैं। इसी प्रसाशन में लिख था कि नौकरी देगा। 10 साल में रोजगार पैदा हुयें। इतना जितना भी मशीन लगा है सभी मशीन फायनेंस पर है। यूपीए के तहत् रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर यूपीआई के तहत् नौकरी देगी। यहां से यदि नौकरी देगी या जो हेड ऑफिस से हैं। सभी आंदोलनकारी विस्थापित हैं। प्रभावितों को इन लोगों को ट्रेनिंग देना था। गांव वालों की कभी फोटो नहीं छपती। 1600 लोगों ने बोनस लिया है उसे नौकरी देना है बोन वापिस कर नौकरी देना चाहीये। 10 साल का प्रभावित 108000 रूप्ये से मिलना चाहीये तो 10 लाख उनका मुआवजा चालू हो जाना चाहीये था। लेकिन इन्होने जो नौकरी दिया उनको धमकी देकर के बोनस का पैसा वापिस लिया। केलो नदी के बारे में जो लिखा कि केवल यह केलो नदी है। इनका पैसा कमाने की व्यवस्था है। हम लोगों के लिये ये केलो मैय्या है। गांउड वाटर जो यूज कर रहें यदि नियमित रूप से उपयोग करेगी तो जल स्तर घट जायेगा और यहा की खेती मरूस्थल व रोगीस्तान से भी ज्यादा खराब हो जायेगी। नौकरी नही देगी, प्रताणित करेंगी, फर्जी केश लगायेगी। शासन छ.ग. का है ऐसा दबाव का काम न करें इनको निर्देशित करें। अब जनता की सरकार है अब ये अन्याय नही चलेगा।

3. चंदा सारथी– मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड का समर्थन है।

4. यशोदा– मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड का समर्थन है।

5.

6. संतोष बहिरदार–आपको मै पहली बार देखा हूं। हमारे जिले में पर्यावरण और उद्योगों के संबंध में आवाज उठाने वाले लोग है जो कभी बिके नही कभी झुके नही है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे ध्यान में जो बातें आई है मैं आपकों बता रहा हूं। जो संजय मदान थे जो ईडी थे उनके समय में इस क्षेत्र का विकास हुआ था। इनके द्वारा बताया कि जिल लोगों का जमीन गया है उनको नौकरी दिया जायेगा। ये प्राइवेट उद्योग की तुलना में 25 प्रतिशत ये विकास कार्य किया है। आपके पत्र का इन लोगों के लिये कोई नौकरी देगी। एसडीएम के पत्र का जवाब नहीं देते हैं। जब आप अधिकारियों की बात नही मानेंगे हमारें ग्रामीणों की बात को नही मानेंगे, हम जनप्रतिनिधियों की बात नही मानेंगे, तो अब हम क्या करेंगे। तो अब आप सुन लिजियें हजारों लोगों को इनको गेट को घेरेंगें। गैर संविधानिक बातें बोल रहा हूं। हमारे शोषण को चरम सीमा तक पहूचेंगा तो आपकों भी बहुत लंबा चौड़ा नुक्शान होगा। हम सीधे है तो 12 साल इन्तेजार कर लिये अब नही करेंगे। यदि आपका यह जनसुनवाई निरस्त नही होता है तो कानून में रहकर सभी वादों को निभाना पड़ेगा। यहां के लोग अंदर नहीं जा सकते है। जनप्रतिनिधियों से मिलते रहथें तो समस्या कम होती

और 100 में से 50 समस्या का हम होगा अगर ये लोग इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मिलते रहते तो 50 प्रतिशत समस्याएं कम होती।

7. सीता सोनी–03 वर्ष हो गया ना काम नही मिला है। हमको काम मिलना चाहीये।

8.

9. मुनुदाई यादव– हम जो काम कर रहें थे वे काम हमको मिल जाये।

10. सुकांती– मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड का समर्थन है।

11. ..... – हम लोगों का सीएसआर कुछ नहीं है। खाली काम करने नहीं आ रहें है।

12. सुशांत कुमार – हमारे यहां जो प्लांट लगा हैं जो कनकतुरा का जमीन है। सारा कुछ हम लोग सहते है जैसे कि जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। मॉनिटरिंग के लिये जो मशीन रखे हैं उसका रिडींग नहीं देता है। बहुत ज्यादा धूल डस्ट होने के कारण रहने नही पा रहा है ना खेती नहीं कर पा रहा है। केलो डेम है जो पानी छोड़ रहे हैं पॉल्यूटेड पानी छोड़ रहें हैं खेती के लिये पानी यूज हो रहा हैं। मछली का प्रोब्लम हो रहा है। फ्लाई ऐश वाले पानी को नदी में छोड़ने के कारण लोग बिमार पड़ रहे है। खराब पानी के कारण मछली पालन कम हो रहा है। कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है।

13. राधेश्याम शर्मा – आज ये जो जनसुनवाई हो रही है उसमें पीठासीन अधिकारी बदले हुये हैं। पीठासीन अधिकारी जो कर्तव्य व दायित्व है वे मैं विगत 02 वर्ष 06 माह से देख रहा हूं कि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि जो जनसुनवाई का जो प्रावधान व कानून बने हुऐ है। उन कानूनों का जानबुझ कर परिपालन नही किया जा रहा है। छ.ग. की जनता को गुमराह किया जा रहा है वे कानून का उल्लंघन कर रहे है और कानून का उल्लंघन संविधान का उल्लंघन है वे दण्डनीय अपराध है। मैं महोदय से निवेदन करूंगा ये जो कंपनी जो जिसके द्वितीय चरण के विस्तार की जनसुनवाई जो हो रही है उसकी अधिसूचना समाचार पत्रों में छापी गई और पर्यावरण में जो प्रावधान है 14 सितम्बर 2000 और उसके बाद जो संशोधित प्रावधान है उन प्रावधानों में ये उल्लेखित है कि अगर अध्ययन क्षेत्र या प्रभावित क्षेत्र में दूसरे राज्य या जिला आते है तो इसकी अधिसूचना एक ही दिनों में जारी होगी या दोनों स्थलों में जनसुनवाई होगी। इतने बड़े कानून का उल्लंघन क्यूं? माननीय पीठासीन महोदय मैं उस अधिसूचना की बात कर रहा हूं जो कानून की मान्यता लिया हुआ है उसके पैरा क्रमांक 04 के 2.0 व 2.1 को आप पढ़ लिजिये और साहू साहब बैठे हुऐ है। साहू साहब तो भक्त है चाहे सरकारी कंपनी या प्राईवेट हो। ये अपने को ताक में रख कर ताक में चलते है घर से ये पोस्टमेन है खाली बोलते है उपर भेजते है। पर्यावरण अधिकारी के कुर्सी पर बैठे है तो पर्यावरण नियमों का कहां पर उल्लंघन हो रहा है यह आपकी उत्तरदायित्व व कर्तव्य है। मैं पीठासीन अधिकरी को इस जनता के सामने कहूंगा कि ये जो चूक हुई है अगर ये जानबूझ कर नही हुई है तो जनता से क्षमायाचना करें और इसकी अधिसूचना दोनों राज्ये में होनी चाहिऐं। इसलिये इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करें। आप इसका शीघ्र निर्णय यही पर लें। न्यायालय से बड़ा और कोई नही होता है। हम आपको ईश्वर मानते है चलिये आप इस क्षेत्र के जनता के साथ न्याय करियें। ये जो कंपनी है एनटीपीसी ये केन्द्र

सरकार के उपकरण हैं इन्होंने पहले छ.ग. वासियों को ठगा है। जहां जहां भूमि अधिग्रहण दिया है कितना रेट दिया गया है। उड़ीसा में 22 लाख यहां 06, 08 व 10 लाख रूपया दिया गया है। छ.ग. के लोगों के मांग यहां पर दबा दी जाती है। और बाहर क्यो धरना देतो हो यही धरना दो जब तक ये वापस न चले जाये। मैं संविधान का उल्लंघन करते किसी को भी बर्दास्त नहीं करूंगा अगर राष्ट्रपति भी संविधान का उल्लंघन करता है तो वह अपराधी है उसके हांथ में हथकड़ी लगनी चाहिऐ वह बच कर नही निकल सकता। जो पुनर्वास निति है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कंपनी जब तक लोगों को नौकरी नहीं देती तब तक प्रतिमाह 6700 रूपये दिया जाना है। तो जो लोग यहां वास्तविक में नौकरी पाने के हकदार थे उन्हें क्या अब तक मिल रहा है और नही मिल रहा है तो आप आदेश करें। इस क्षेत्र में जो भूमि स्थापित है और वे जो नौकरी की प्रात्रता रखते है और उनके नौकरी नही दिया गया है तो उनको प्रतिमाह 6900 रूपये देना है। आप जिला दण्डाधिकारी है आप इनको निर्देश करे की इनको नौकरी दे और जब तक इनको नौकरी में नही लेते है तब तक उस राशि का भुगतान करते रहे। इन 2.5 वर्षों में जो पीठासीन अधिकारी थे ओ सभी करप्ट थें आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप न्याय करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसे ये साहू साहब ये तो बोलते है कि हम डाकियां है ये पोस्टमेन बन जाते डाकघर में रहते। काहे यहां पर्यावरण अधिकारी बने हुऐ है। इस क्षेत्र में रायगढ़ जिले में पर्यावरण की क्या स्थिति है इसे कोई नही बता सकता ये अपनी आंखों से देखा जा सकता है। यहां के वायु, पानी, यहां का जमीन आप एक चक्कर लगाई आपको सब समझ में आ जायेगा। यह जिला विगत 20 वर्षो से लाल रेखा (खतरे के निशान) से उपर है। नये किसी भी स्थापना या विस्तार के लिये यहां जनसुनवाई नही होना चाहिऐ। मैं आपसे यह अपेक्षा रखूंगा कि आप अपने स्पेशल टीप में केन्द्रीय एवं पर्यावरण मंत्रालय को लिखे कि यहां अब किसी भी उद्योग के विस्तार एवं नये स्थापना के लिये जगह नही है। केन्द्र सरकार पर्यावरण मंत्रालय इस जिले का मूल्यांकन कर ले कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैं न्याय की उम्मीद करता हूं अगर यह कानून वैद्य नहीं है हो इस जनसुनवाई को निरस्त करें। अन्यथा हम अपना विरोध करेंगे और यही धरना प्रदर्शन करेंगे और हम आगे चलने भी नही देगें। आप गिरफ्तारी का आदेश कर दें और यदि यह जारी रहता है तो आप भी अपराधी के श्रेणी में होंगें। मैं माननीय पीठासीन अधिकारी के सामने अपना पक्ष रख रहा हूं और संविधानिक तौर पर रख रहा हूं। पुरे विश्व में जब औद्योगिकरण का शुरूवात हुआ तो ब्राजील में पृथ्वी नामक एक संम्मेलन हुआ जिसमें 172 देशों ने सम्मेलन में भाग लिया जिसमें 108 देशों के राष्ट्रध्यक्ष उपस्थित थें और पर्यावरण के लिये प्रतिबध्द हो कर के हमारे इस संविधान में संशोधन हुआ और ये जो जितने नियम व अधिसूचना या संशोधित अधिसूचना बने है, जो आज किये जाने रहे है उस उपाय के लिये। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि अंधा धूंध औद्योगिकरण को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में जो बैठे है जिम्मेदार लोग वे आंख मुंद कर कुछ नही देखते वे केवल नोटों का वजन देखते है। इसको हमको अनुमति देना है इतना पैसा मिल गया कौन क्या किया है कौन क्या बोलता है उससे कोई लेना देना नही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो न्यायवत् संस्थाएं है वे संविधान का पालन नही कर रहे है। आपके भी मैं कई प्रश्न कर सकता हूं। आप बोलेंगे की 04 बज गया क्या 04 बच

गया। आप बता दिजिये ना ओड़िसा में प्रभावित जो गांव है वे 12 दर्जन से अधिक है। क्या आपने सभी ग्रामों को दस्तावेज प्रस्तुत किया है। आपके यहां के 10 कि.मी. के परिधी के क्षेत्र में मुनादि के जो प्रावधान पर्यावरण नियम में है तो लोगों को बताना है। उनको बता दिया है कि अपने बस्ते में रखना जनता के अवलोकन के लिये तुमको नही दिखाना है। मुनादि की जो प्रक्रिया है उस मुनादि की प्रक्रिया में उसमें कोटवार को बता देना कि बुधवार को जनसुनवाई है बस। मुनादी का जो प्रावधान पर्यावरण में है वे इस लिये है कि जनता को बताया जायेगी कि इसमें कितने वाहन चलेंगे। इस यूनिट में कितने राखड़ बनेगा कहां उसका निस्तारण होगा और जो उनका सरकार से अनुबंध है उसका क्या किया है और उनका उन्होंने कितना पालन किया है उन सब के जनजागरण के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक रखे लागों को इक्कठा करके समझाया जाता है। कौन से गांवों को समझाया गया है पर्यावरण को पुछ लिजिये आप। अगर आप पड़े है इस कानून को और इस जनसुनवाई में बैठे है तो आप यहां से वापस जाईये। यहां जनता का समाधान आप मत करिये कानून का अपमान मत करिये। अगर अधिकारी है तो माईक उठा कर बोलिये कि मैं कानून का उल्लंघन करूंगा कौन क्या करेगा। मौन मत रहिये। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप विचार करीये अपने कर्तव्यों की। इस देश का संविधान व कानून का सम्मान करिये। मैं किसी व्यक्ति का सम्मान करने को नहीं बोल रहा हूं। ये सब चोर है ये एनटीपीसी के अधिकारी है ना ये एनटीपीसी को चूना लगा रहें है। इनके सीएसआर मद के सारे चीज देख लिजिये सब फर्जी है ये जो कन्सल्टेंट कंपनी है उसके बुलाएं और पुछिये कि कौन कौन से गांवों से सेम्पल लिया है। मिट्टी, हवा, पानी कहां से लिया किस ग्राम पंचायत से लिया और उसका पंचनामा है या नही है और क्यों नही है। आप जवाब नही बता पायेंगे। और अगर एक जगह का भी पंचनामा बता देंगें आप तो मैं आजीवन सर्वजनिक क्षेत्र से संन्यास लूंगा। ये लोग दंडा चलाते हैं जेल भेजवातें है। यह 400 से 500 महिलाओं द्वारा नौकरी मांगने पर जेल भेजवा दिया उस जेल भेजवाने पर मैं भी जेल गया था। तो पूलिस व जिला प्रशासन इनके हिसाब से काम कर रही है। कलेक्टर साहब को हमारे कई समाजिक कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखा है। उनको पत्र को आगे बड़ाना चाहिऐ। और साहू साहब तो शुरू से मनमानी कर रहें है। उद्योगों को लाभ पहुचा रहें है। एक नम्बर के भ्रष्ट है। पैसे के लेन देन में ही ये सब कर रहें है। कानून का उल्लंघन जो कर रहें है ना ये एक नम्बर के भ्रष्ट है। बैईमान है लेकिन जनता मजबूर है ये क्या लगाये है। निष्पक्ष जनसुनवाई होती तो ये लगाने की जरूरत नही होती। ये मत संग्रहण है विचारों का संग्रहण है नागरिकों के अभिव्यक्तियों का अधिकार है कि ये कि वो क्या हो रहा है कानून वैध हो रहा है कि अवैध हो रहा है। उस पर बोलेंगे उस पर खतरा। ये छ.ग. में ऐसा बना हुआ है। इसका जन्मदाता रायगढ़ है। क्या ऐसा बना हुआ है? क्यों कि यहां गलत हो रहा है कानून व संविधान का उल्लंघन हो रहा है। आप लोग डरे हुऐ है कम्पनी वाले डरे हुऐ है। उनका आप साथ दे रहे है आप भी डरे हुऐ है। अगर ऐसा नही है तो निष्पक्ष न्याय करियें अभी यही पर न्याय करिये और ये जनसुनवाई अभी निरस्त करिये और मुझे इस क्षेत्र की जनता से मेरा अनुरोध है कि अब वो 22 लाख का जो है एनटीपीसी भारत में कही 50 लाख दिया है भू–अर्जन करने पर तो इनको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिऐं। नये सिरे से अपनी मांग

को रखनी चाहिऐ। उस समय बैकुफ बन गये अब तो मत बनों। उस समय तो तुम्हारे बगल में आडिसा है वहां 22 लाख इन्होंने दिया था। आप लोग काहे 06,08 व 10 लाख में ठगा गये। क्यो कि आपका नेता, जनप्रतिनिधि, विधायक इस लोगों का गुलामी करता है। आज इस जिले के विधायक मंत्रीय क्यो नही दिखते। इनको चंदा विधिवत मिलता है। इनको मिला घर में सो गये। अब आपकी बारी है हम आपकी शरण में है हमारी रक्षा करीयें। जनसुनवाई के लिये जो प्रक्रिया है उसमें कई प्रकार का संशोधन होना चाहीये। अत्याधिक संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि लोगों को उसमें पता ही नही है कि उसमें क्या करना है क्या नही करना है। प्रक्रिया बनी हुई है उसका परिपालन नही हो रहा है। तो उस प्रक्रिया का परिपालन कैन करवायेगा। पीठासीन महोदय साहू सहाब को गिरफ्तार करीये अपराधी है ये। ये 420 को संरक्षण देने के फर्जी ईआईए कंपनी को संरक्षण करने के ये दोषी है। तत्काल गिरफ्तार करियें इनको। इनको गिरफ्तार करने के आदेश जारी करें और इस जनसुनवाई को यही पर निरस्त करें। मैं इस क्षेत्र के जनता से अनुरोध करूंगा कि जब तक ये अवैधानिक जनसुनवाई निरस्त नहीं हो जाता तब तक आंदोलन करें। जब तक ये लोग घर वापस न चले जाये। यहां आप मनमानी नहीं कर सकते यदि ऐसा ही करना है तो केन्द्रीय वन पर्यावरण वहीं पर जनसुनवाई करा लें दिल्ली में। इतना पुलिसबल का दुरूपयोग, जनता के समय का दुरूपयोग क्यो ? आदरणीय पाण्डे सहाब यदि आपकों निराकरण करने में कठिनाई हो रही है या आप कानून को पढ़े नही है तो अभी भी पढ़ लिजिये। मैं कानून से हट कर बात नही कर रहा हूं। जनसुनवाई के प्रावधान से हट कर बात नही कर रहा हूं और 03 साल पुराना ईआईए रिपोर्ट जिसमें एमओयू होता है उसमें निश्चित रूप से उसका उल्लेख किया गया है। कि 01 वर्ष 06 माह से अधिक का ईआईए रिपोर्ट नही होना चाहिऐं। आप देख लिजिये 03 वर्ष में कितना वातावरण में परिवर्तन हुआ है। कितना जल एवं वायु प्रदूषण हुआ है। इसका क्या आकलन पुराने ईआईए रिपोर्ट से किया जा सकता है। यहां रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है आप अपने आंखों से ये सभी जिलों को देख लिजिये, जो 01 दर्जन जिला है छ.ग. में व सभी जिला को प्रभावित कर रहा है। और यहां सड़कों पर मर रहें है क्योंकि सड़के की क्षमता नही है जितनी वाहन यहां चल रहे है, जितना उद्योग यहां डाल दिया गया है। योजनाबध्द तरीके से विकास होना चाहिऐं वे भी नियंत्रित। बैग फिल्टर व आधुनिक मशीन लगाये गये है व चल रहा है या नही जिला प्रशासन के पास क्या उपाय है जानने का। क्या आप बता सकतें है। पर्यावरण व यहा के जनजीवन को सुव्यवस्थित बनाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप कानून व संविधान का उल्लंघन कर रहें है और क्षेत्र की जनता आप लोग जो आगे पिछे दौड़ते हो कि मेरे को नौकरी नही मिला है कह कर फेक्ट्री के गेट में बैठ जावें की काम बंद करें। मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारे अधिकार की लड़ाई न्यायाधीश बैठे है कानून का उल्लंघन हो रहा है वे न्याय नही कर पा रहें है, वे निर्णय नही ले पा रहे है इस क्षेत्र के जनता के साथ न्याय नही कर पा रहें है। इस अवैधानिक जनसुनवाई का मेरा पूर्ण विरोध है। क्योकि ये विधि अनूरूप व कानून के दायरे में नही है। आप कानुन का पालन करें प्रावधान के हिसाब से जनसुनवाई होना चाहिये। आप संविधान पढ़कर नहीं आये है तो आपके साहू साहब जानकार है उनसे पुछ लिजिये। आप सही कर रहे है या गलत कर रहे है वे बता देगें। क्या

आप जनता के सेवक है। आप कानून का परिपालन करेंगे व उड़िसा के जनता का सेवा व न्याय करेंगें। क्योंकि अगर प्रावधान है तो उस प्रावधान के हिसाब से ही जनसुनवाई होना चाहिए। आपको वेतन देने वाले हम जनता है और आप शासक बन गये और हम गुलाम बन गयें। आप बता दीजिये आप किस प्रावधान के तहत कर रहे है। किसी की इतनी हिम्मत नही है कि मुझे चुनौती देता हूं कि मेरे उपर ये मानहानि का दावा कर सकें इनको मैं चुनौती देता हूं इनको पुर्वजों कि कसम है मैं इनकों भ्रष्ठ चोर बेईमान बोल रहा हूं करने का नही करेंगे क्योंकि ये चोर है, बेईमान है, और ऐसे भ्रष्ठ अधिकारी से आप पूछ लिजिये आप कानून का पालन क्यो नही कर रहे है। क्या आपके संस्कार खराब हो गये। आप संविधान पढ़कर के नही आये है। आप जो अनुबंध को याद करीये। आप जनता के सेवक है। जिस सेवा के बदले आप लोगों को वेतन मिलता है और वेतन देने वाले ये हगारी जनता और आप शासक बन गये और हम गुलाम बन गये साहब आप बता दिजिये आप किस प्रावधान के तहत् कर रहें। अगर प्रावधान नही पढे है तो इनको पूछ लिजिये। ये राधेश्याम शर्मा यहा खड़ा हो करके बोलता है कि यहां का मुख्य मंत्री चोर है। ये चोर है भ्रष्ठ है यहां के सांसद चोर भ्रष्ठ है इनका पिठ्ठू लाल चड्डी धोने वाला है। खुले मंच में बोल रहा हूं। किसी का इतना आत्मबल है कि मुझे चुनौती दें। इन सरकारों की चुनौतीयों से जुझते मुझे 27 वर्ष हो गया मुझे कोई धमका व डरा नही सकते। ये ग्रामीण है डरे है आपको बोल नही पायेंगे कि आप गलत कर रहें है करकें मैं इस 62 साल की उम्र में क्या डारूंगा। एक दिन मैं भी एक दिन किसी सड़क दुर्घटना में मर जाउंगा या प्रदूषण का शिकार हो करके मेरा किडनी फैल हो जायेगा जैसे हो रहा है। भारत में रायगढ़ ऐसा राज्य है जहां सड़क दुर्घटना से सबसे अधिक मृत्यु यहां होती है क्यों ? क्योंकि यहा अंधाधुन व अनियंत्रित औद्योगिकीकरण है। उस सब के जिम्मेदार हम लोग ही है और हम लोग बोलते है कि इलाज नही हो रहा है और इलाज तो सरकार करवायेगा कैसे नही करवायेगा और इनके सीएसआर मद में पैसा है लाओ मरीज को और रख दो उनके दरवाजे में कैसे इलाज नही करवायेगा। सीएसआर मद को गोलमोल करके सब खाने में लगे है सब एनटीपीसी के सब अधिकारी और इनसे पुछिये 2011–12 में 22 लाख का मुआवजा इस उड़िसा में दिया है कि नही दिया है फिर छत्तीसगढ़ में ये भेदभाव क्यों। जब संविधान सामान्ता की बात करता है और ये केन्द्र सरकार का उपक्रम जो इस देश में संविधान और कानून के हिसाब से चलना चाहिऐ। प्रधानमंत्री भी दलाल है और यहा के मुख्यमंत्री भी दलाल है और ये पिठ्ठू लाल चड्डी धोता है। जो लोग बोल नही पा रहे है सहमें–सहमें है उनके बाल बच्चे मर रहें है। बेरोजगारी है पुरखें की जमीन छिन गया। जिस धरती माता को हम पुछते थे, जिसमें हमारे पुर्वज हल चलाते थे उसके कंपनी वाले छिन ले रहे है। दिल्ली व राजस्थान में 01 एकड़ जमीन के बदले 05 करोड़ रूपये मिलता है। इसको मै फिर से बोल रहा हूं कि वर्तमान में एनटीपीसी जो दर दे रही है अधिकतम और जब तक नही देता है कंपनी नही चलने दिजिये मैं भड़का रहा हूं सब के सामने में मुझे किसी का भय नहीं है। यहा के जितने उच्च न्यायालय में जितने भी बैठे है क्या उनको पता नहीं है कि छ.ग. राज्य कितना प्रदूषित राज्य हो गया। जो व्यक्ति यहा प्रश्न कर रहा है उसको यहा क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है। मै प्रश्न कर रहा हूं कि इन्होने सेंपल लेने के लिये कहां कहां

पंचनामा बनवाया है ? आप सचिव सरपंच से हस्ताक्षर लेंगें मैं उसको नही मानूंगा जिले गांव इस प्राभावित क्षेत्र में है ग्रामसभा से अनुमति लिया है क्या एनटीपीसी ने ग्राम सभा बैठक बुलाया था सभी क्षेत्र में। उड़िसा व छत्तीसगढ़ से अनुमोदन प्राप्त किया है ? ग्राम सभा से उच्चतम न्यायालय बड़ा नही है तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार नहीं है कि वो ग्राम पंचायत को निर्देशित कर सके। संविधान ने जो प्रावधान बनाया है वे आम नागरिको के हितों के लिये पंचायती राज की व्यवस्था किया है और उस पंचायती राज व्यवस्था का ऐसा मजाक उड़ाया गया है यहा का जिलापंचायत व जनपद का अध्यक्ष कहा है ? वहां उसने प्रस्ताव पारित किया ? कोई नही किया है। ये सारे लोग पिठ्ठू है, दलाल है, भ्रष्ट, चोर और बेईमान है, इस पर संविधान मूल होना चाहिये। साहब आप उसको देख लिजिये पैरा क्रमांक 04 के 2.0 व 2.1 अरे किसी कि राज्य सीमा में प्रभावित क्षेत्र है तो दोनो राज्य में जनसुनवाई के सूचना का प्रकाशन होना चाहिये। साहू साहब बता दिजियेगा इनको धोखे में ले आये है यहां पाण्डेय साहब को, कि मैं हूं तो आप तो है हम जानते हैं आप तो डाकियां है पत्र पहुंचाने वाले। साहब मेरा आपसे निवेदन है कि आप कानून, संविधान और जो अधिसूचना है का पालन करें। और अगर ये अवैधानिक है तो इसे आप निरस्त करिये। आप पहले अधिकारी नही होगें। इस जिले में 2 दर्जन से अधिक जनसुनवाईयां निरस्त हुई है और इसे सीधे कलेक्टर महोदय ने किया है ये। पिछले जो चोर लोग आ कर बैठते थे यहां उस पद पर ना चले। आप अपने पद का जो अभिमान है उसको बरकरार रखें। आप संविधान की गरिमा का पालन करे, पीठासीन अधिकरी महोदय का यह कर्तव्य होता है कि वह निर्णय करने व कानून का पालन करे। मैं आपके कनपट्टी में गन लगा कर तो नही बोल रहा हूं कि आप गलती कर रहें है करके। मैं संविधान, अधिनियम व कानून का आपको हवाला दे रहा हूं। कि उस अधिसूचना में 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना में पैरा क्रमांक 04 के 2.0 व 2.1 में यह स्पष्ट रूप से वह प्रावधान प्रावधानिक किया गया है क्यों ? एनटीपीसी को मालूम है। इसका कंसलटेंट फॉड आदमी है, जो इस रिपोर्ट को बनाया है। कही से सेम्पल नही लिया है कुछ नही किया है। कही कोई सर्वे नही हुआ है। उस फर्जी रिपोर्ट के आधार पर आप जनसुनवाई करवा रहें है। जीएम सीएम जितने है सब को गिरफ्तार करवाई और उस कंसल्टेंट कंपनी के अपराधी को भी, ये सब अपराधी है। छ.ग. में मनमानी कर रहें हैं यहा की जनता डरी हुई है क्योंकि आप पुलिस बल का आप गलत ढंग से प्रयोग करते है। संविधान में तो ये भी संशोधन होना चाहिऐ कि यहां जो–जो कर्मचारी व अधिकारी है वे आवश्यक रूप से अपना अभिमत दर्ज करें। क्यों कि आप भी नागरीक है, इस लिये आपका भी अभिमत यहां जाना चाहिऐं। क्यों नही जाना चाहिऐ आप बोल देते है ना निर्वाचन प्रक्रिया में आपको गलत पेपर मिलता है। आप यहां क्यूं नही डरते ऐसा करने पर कहीं रोक है क्या उस प्रावधान में नही है। तो आप करेंगें या नही करेंगे उसको बता दिजिये साहब कि आप संविधान का उल्लंघन करेंगे आप भी अपराधी की श्रेणी में जायेंगे आप भी भ्रष्ठ कहलायेंगे क्या कहलाना चाहेंगे आप बता दीजिये। मैं तो आपको हांथ पैर जोड़ लिया आप पीठासीन अधिकारी है। न्यायालय से बड़ा कोई नही है। इस देश में संविधान सर्वेच्च है। उसका परिपालन करने का दायित्व न्यायपालिका को है। आप न्यायिक पद पर है। उसकी गरिमा को खराब मत करियें। आप इस क्षेत्र की जनता, जीव जन्तु, वनस्पति के

साथ ये फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने वाले प्रभावित क्षेत्र में किस किस प्रकार के रोगी है उसका उल्लेख किये है क्या ? ऐसा प्रावधान में लिखा है क्या कि उसको नही करना है। दमा श्वास के रोगी पुरे रायगढ़ जिला में बहुत है। अगर यहां किडनी फैल हो रहा है और अन्य प्रकार के बीमारियां हो रही है। उसके जिम्मेदार ये कंपनियां और जिला प्रशासन है, जो पर्यावरण कानून का परिपालन नही करवा रहें है। आपको मैं 24 घण्टे का टाईम देता हूं आप 24 घण्टे के अंदर अपने आत्मा को जागृत करीये और संविधान का सम्मान करियें। इस अवैध जनसुनवाई का मैं विरोध करता हूं और मैं कल क्यो कि मैंने अपना पद रखा माननीय न्यायाधीश व पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किये जो अब मैं कोई भी आपको बोलूंगा नही 24 घण्टे के अंदर में केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय को सूचित कर दें और यहां के समाचार पत्रों को सूचित कर दें कि ये जो दिनांक कि जनसुनवाई थी गलती से हो गई। ये साहू जैसे चोर पर्यावरण अधिकारी के पद पर आ कर के बैठ गया है। अपनी गलती सुधार लिजिये। जय छत्तीसगढ़, जय हिन्द जय भारत।

14. लल्लू सिंह – मेरा एक बात समझ में नही आ रहा है कि बैंक जब हम लोगों को लोन देता है तो 50 प्रतिशत डिफाल्टर रहने से लोन नही मिलता है और इन 09 प्रभावित गांवों के लागों को जो वादा किये थे लेकिन नौकरी नहीं मिला है फिर भी आप इस जनसुनवाई को कैसे करवा दिये और इनको समय दे दिये है। अगर आप लोग हम लोगों को बेईमान समझ रखे हो और इस जनसुनवाई में जनसत्ता का कोई मतलब नही है तो इस जनसुनवाई को कराके संविधान का उल्लंघन कैसे कर रहे है। मुझे इसको बता दें। हमारे संविधान के बारे में बस 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोग जानते है और हमारे जवान लोग अपने जान गंवा कर आप लोगों को इस कुर्सी में बैठाये हैं, नही तो आप लोग भी बांकी अधिकारियों तरह रहते जैसे पहले के अधिकारी लोग थे। आप लोग भी हमारे इस लाईन में खड़े रहते। धिक्कार है आप लोगों को कि जैसा खाये अन्न वैसा होये मन। मैं एक बार एसडीएम शर्मा जी को बोल दिया फिर व खाना रायगढ़ से मंगवा कर खाये और किसी को खाने नही दिये और आज आप लोगों में हिम्मत है क्या बताईये ? एनटीपीसी का खाना व पानी और हम लोगों को बेईमान समझ रहें है। हम लोग किसान के बेटे है। आप लोग अधिकारी हो लेकिन आपके बेटे लोग अधिकारी बनेंगे इसका कोई गारेंटी नही है। लेकिन हम लोग किसान है हमारे बेटे लोग भी किसान बनेंगे और हम लोग किसान ही रहेंगे। किसान लोगों के जमीन को ले लिये 22 लाख ये भेदभाव के नीति कहां से आ गया हमारा एनटीपीसी वाले भी हमारे तरफ नही है इनको भी लज्जा नही आ रहा है। 22 लाख व दर्रीपाली सुन्दरगढ़ जिला वाले को दिये और बाकी को 6 लाख और 8 लाख व 10 लाख देकर लोगो को ठग लिया है। भारतीय संविधान किसी को ठगने को कहता है क्या ? ठगने का कोर्स किये है क्या अगर इसका कोई विद्यालय है तो बता दिजिये हम लोग भी अपने बच्चों का वहां भर्ती करवायेंगे। मुझे संविधान की बात करते है। आज लोगों को आज मांगना पड़ रहा है। कल तक आप लोगों को मांगना पड़ रहा था कि हम लोगों को प्रस्ताव दे दिजिये और मैं लारा वाले को धन्यवाद करता हूं कि अनुमति दिये है। ये जितने पंचायत है लारा वाले का मैं शुक्रिया करता हूं कि ये सबसे अंत में एसडीएम एवं कलेक्टर के बार बार दबाव डाल कर उनका अनुमति लिये है। हम लोगो को जनसुनवाई में बुलाया गया है और हमारी बातो को

सुनते नहीं है तो काहे जनसुनवाई करवा रहे है। आप लोग तो तय करके आये है कि एनटीपीसी के पक्ष में लिखना है चाहे हम लोग जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लें। अगर ये दूध के धुले रहते तो मानवता के नाते कंप्लेन करते लेकिन आप लोगों के में किसी में हिम्मत नही है और आप लोग छत्तीसगढ़ को बेवकुफ समझे है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छ.ग. में जन्म लिया अभी ये मांग अगर पूरा नही हुआ रहता तो यहां जनसुनवाई नही हुये रहता। आप लोग भी अपने परिजनों का इज्जत को ले रहें है। हतने बड़े–बड़े बात सुन कर जा रहे है। अगर इन लोगों को पकड़ के ले जावें तहसीलदार और न्यायालय को तो मैं मान जाऊंगा। पुलिस वाले बस देखते रहते है कि कौन हेल्मेट नहीं पहन कर आ रहा है और उसे जुर्माना करके तुरंत चालान काट देते है। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

15. छेन्द्रा, चारपाली – यहा मेरा जमीन है, खेती करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें फल नही आ रहा है और उनके द्वारा जो पानी छोड़ जा रहा है वह मेरे जमीन से हो कर जा रहा है। कुछ भी करने का मन नही कर रहा है। मैं क्या करूं। आप लोग बताईयें। परेशान हो गया हूँ, मेरा जमीन एन.टी.पी.सी. में गया है। रिज्यूम दिया हूँ फिर भी नौकरी नहीं मिला है पहले गेट के अंदर जाने देते थे किन्तु अब गेट से बाहर कर देते है। 5 साल से मेरा डाक्यूमेंट वहा जमा है लेकिन कुछ सुनवाई नही हो रहा है। मेरा जमीन गया है इनको नौकरी मांगने पर 50 हजार मांगते है। प्लांट में यहा सभी ठेकेदार पैसा खा रहे है। मेरे द्वारा 06 माह से अधिक हो गया है एच.आर. को फोन कर रहा हूं ठेकेदार का फोन रखा हूं। मैं दिन रात किसी भी वक्त काम करूंगा बोला था। काम देने के लिये कलेक्टर के पास जाऊंगा। कलेक्टर भी नही सुनतें है। हम लोग क्या करेगें। एच.आर. यहां पर ये सुनने नहीं रह रहें। जमीन में प्लांट का पानी जा रहा है। खेती भी नहीं कर पा रहा हूं। कलेक्टर आ कर देखे है जमीन को।

16. सुनील–गो बैक एनटीपीसी गो बैक यदि एनटीपीसी चले जायेगी तो हम सब साथी इस क्षेत्र में जितने भी किसान सभी जिन्होने ने अपनी जमीन खोई है। अगर एनटीपीसी चले जाये तो हम आपस में भाई चारे के साथ अपनी जमीनें बांट लेंगें और अपना ये सारा तंबू उठा कर चले जाओ। अभी ये जनसुनवाई हो रही है आज छत्तीसगढी एवं उड़िया भाषियों के लिये एक अलग से अधिकारी व मैनेजर बुलाया गया होगा एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा सेटिंग करने के लिये। इसका पुख्ता प्रमाण है एक वार्ड हिसाब से लोग यहां पर नहीं है। जनप्रतिनिधियों को जिला प्रशासन के द्वारा सेटिंग किया गया हैं यह पुख्ता उदाहरण है। ऐसे में इस प्रबंधन से कैसे न्याय की उम्मीद कहां से की जा सकती है। कौन न्याय की उम्मीद करेगा इस प्रबंधन से। मैं कहना चाहूंगा इन लोगो को जब एनटीपीसी घोटाला उजागर हुआ तो औपचारिकता मात्र के लिये एसडीएम को निलंबित किया गया था। एनटीपीसी से संबंधित जो अधिकारी वहां थे उनको बरखास्त क्यों नही किया गया। जिनके नाम से जमीन घोटाला भी उजागर हुआ था। इनका क्या है आज आये है कल चले जायेंगे। जिस दिन से इनको केन्द्र सरकार की नौकरी लगेगी केन्द्र सरकार ने जब से इनको नियुक्ति पत्र दिया है तब से ये केन्द्र सरकार के दामाद बन गयें है। अगर उनके बच्चे की तबीयत खराब होती है। उच्च शिक्षा लेना है या उनको विशेष अधिकार देना है तो केन्द्र सरकार उनको प्रदाय करती है। प्रभावित गांवों के लोगों

को बच्चों को यदि कुछ होता है तो इनके जैसे क्या सहायता नही मिलती है। कांटागढ़ के 06 साल के एक बच्चे को कैंसर हो गया था रायपुर में 2–3 महिनों तक इलाज कराया उनको समुचित उपचार की व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी व व्यक्ति अपनी सारी जमीन एनटीपीसी को दे दिया था। इलाज में उनका सारा पैसा खत्म हो गया था। उसको डॉक्टर से सुना दिया था कि इसके बचने की उम्मीद शून्य प्रतिशत है। लेकिन सामाज के कुल लोगों द्वारा उनकों जागरूक किया और उनका मदद किया और उनको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज किया गया। लेकिन इनके द्वारा उन्हे कुछ पैसे दे कर उनको शांत करा दिया गया। कहां का न्याय है ये। ईआईए रिपोर्ट में बताते है कि ये जो सारे डाटा रखा गया है आपके सामने में आप उसी के आधार पर जनसुनवाई करवा रहें है। मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को फ्लाईंग किस से मुहब्बत नही होता है अगर मुहब्बत करनी है तो गले लगाना पड़ता है क्या आपने जनता का दिल जीता है। पुराने कार्यकाल का एक भी कार्य पूरे तरीके से नही हुआ है और यह पुनः इस जनसुनवाई में किया जा रहा है। जस्टिस कहां है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था एक केक का तुकड़ा बराबर 12 लोगों में विभाजित होगा। यहां 12 लोगों में विभाजित होने की बात तो दूर किसी के कमिनिटी के हिसाब से विभाजित किया जा रहा है। अंकूर साहू साहब आपने आरक्षण के बल पर ये नौकरी पाई है। ये मत समझना की आप होशियार हो। यहां पर एनटीपीसी के दलाल बैठे हो कर्मचारी बैठे हो। आप ने भी नौकरी रिजर्वेसन के बल पर नौकरी पाई है। बराबर सभी को नौकरी मिलनी चाहिऐ बात यह नही होनी चाहिऐ कि वह पात्र है या अपात्र है इस लिये नही की वह खाने को सक्षम है या नही अपने हिस्से का वह कुछ भी करें चाहे वह दान करे। आप कौन होते है उसका निर्णय लेने वाले। धुल धक्कड तो हमारे गांव के लोग खाना होगा आपके बच्चे थोड़े ना आयेगे लेकिन यहां का बच्चा यह चाहता है कि यहां के बागवानी में नौकरी करें। यहां जिनकी भी जमीन जा चुकी है आप चाहते है उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाये। यह जनसुनवाई के लिये किस सीमा तक सेटिंग किया गया है उसका अनुमान लगा सकते हो। एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहूंगा। जो मातायें व बहने ब्लू–कलर का ड्रेस पहन कर के आई थी वे एनटीपीसी वाले के यहां बागवानी करने वाले का ड्रेस है। उनको बोला गया है कि आपको हमारे सहमती में बोलना है अगर नही बोलोगे तो तुम्हारी नौकरी जायेगी। उनको नौकरी की चिन्ता है बच्चों को पालना है व कैसे एनटीपीसी का विरोध करेंगे। अगर यहां के जनप्रतिनिधि द्वारा महिला समूहों को किस सीमा तक सेंटिंग किया गया है आप इसका अंदाजा लगा सकते है। एनटीपीसी से अगर काम करवाना है तो वहां 100–200 महिला समूह वहां पहूँच जाती है आज क्यो नही आई है। यह सब सेंटिंग है प्रबंधन है। यहां छत्तीसगढ़ी और उड़िया लोगों को सेटिंग के लिये एक अधिकारी आया होगा। यहां 09 गांव के सरपंच व जनप्रतिनिधि क्या नजर नही आते है क्यो कि इनको लागों से उनकों पाल करके रखा है। उड़िसा का निवासी यहां आ कर वे कहता है कि 50 हजार रूपये मंगा जाता है। बिलकुल मांगा जाता है यहां वे अधिकारी मांगते है। पैसा कहां जाता है संबंधित विभाग का जो अधिकारी है उनतक इनडायरेक्ट रूप से पैसा पहूंचता है। एनटीपीसी के ये दलाल यहां नौकरी लगवाने का काम कर रहें है। हमारा जमीन हमारा जायदात हमने लूटा दिया है और उसका लाभ ये लोग ले रहें है। सेंटिंग मिलीभगत हैं यहां पर गणेश पटेल

डॉक्टर बोलते हैं सांसे तथा फेफड़े के बीमारी की बीमारियां यहां बढ़ती जा रही है। क्यो जब पहले लोगों द्वारा धान मिसाई के लिये बेलन का उपयोग किया जाता था उससे क्यों बिमारी नही हुई। यहां के लोगों को और उड़िसा के लोगों को सांस की दमें की बीमारी होने लगी है किसकी देन है एनटीपीसी की देन है। जिला प्रशासन की देन है। आप जो यहां बैठे है आपके उच्चाधिकारी के द्वारा बोला दिया गया है कि 6–7 कान के ठेठी डाल कर बैठना है। धन्यवाद्। फिर से गो बेक एनटीपीसी गो बेक।

17. जनार्दन, उड़िसा–जो स्वीकृति के लिये काम हो रहा है। यहां मेरे भाईयों मे बहुत बेल दिये है। परंतु मैं 03–04 बिन्दुओ पर बोलूंगा। पहला प्रश्न है कि ये जो पर्यावरण के स्वीकृति के यहां बैठे है और जो जनसुनवाई हो रहा है इसमें खाली मनुष्य नही दुनिया के जितने प्राणी है यहां वे सब इससे प्रभावित है। मनुष्य को आप सर्विस दे देंगे। उनके लिये स्कूल व अस्पताल बना देंगे पंरतु बांकी जो प्राणी है उनके लिये आप क्या क्या कर रहे है इनके बारे में थोड़ा बताना होगा ? पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो सभी प्राणी जड़ से जतन तक उसका प्रभावित हो जाता है। इस लिये जो इस पर्यावरण का नाम लेकर जो स्वीकृति मांगते है ये तो पर्यावरण दूषित हो रहा है। ये सब आप भी जान रहे है और हम भी। इस लिये कैसे यह पर्यावरण दूषित नही होगा इसके लिये आप नये–नये टेक्नोलॉजी ले कर कराईयें। कोयले का डस्ट है जो राखड़ डस्ट नहीं होगा। तीसरा नंबर हमारे उड़ीसा का 6 पंचायत कोडेकेला, रेमता, चारपाली, पिथिंडा, कनकतुरा और बादीमाल ये 06 पंचायत प्रदूषित हैं। अभी अभी मैं सुन रहा था कि उसमें इनमें से पांच गांवों को ही लिये है, ये क्या है भाई ? दूसरी बात ये जो 06 पंचयत है उसमें सीएसआर फंड को लागू करियें। वर्ष 2015–16 में ही सीएसआर फंड मिला था अब नही मिल रहा है। आप यहां न्यायाधीश के रूप में बैठे हैं आपके जाने से पहले हमें वचन देते जायेंगे कि बाद में हम हमारा दूख दर्द किसकों बतायेंगे और कौन सही उसका इलाज कर पायेगा। इसका आप जिम्मेदारी देकर आप जायेगे। और एक बात यहां पर हम जितने भी आये है। और एक बात यहां हम लोगों के लिये सादा पंखे उच्च अधिकारियों के लिये और आपके लिये कूलर ये क्या बात है ये क्या लोकसुनवाई है। आप सब सुनने वाले है ये नही होना चाहिऐं। सभी के लिये एक व्यवस्था होना चाहिऐ आप जैसे खाते है वैसे हम भी खाते है। परंतु पैसा कमाने का तरीका अलग–अलग होता है, जो अपने लिये कमाता है जो दूसरे के लिये वे दूसरे के लिये कमाता है। लोकसुनवाई में सभी का समान अधिकार होता हैं व्यवस्था सब के लिये एक साथ होनी चाहीये। मेरा यह निवेदन है कि इस जनसुनवाई को बंद करें जब तक ये सब काम पूर्ण न हो जाये तब तक के लिये ये जो पर्यावरण स्वीकृति है बंद किया जाये।

18. वैदही साव–2016 में हम लोग हड़ताल किये थे लगभग 400 या 600 महिला थे और ये जो महिला कहां गये कह रहे थे तो हम लोग ऐसे महिला है जो किसी का खाते नहीं और किसी से डरते नही है। हम लोग हर पब्लिक को 90 हजार दिलाये है एनटीपीसी से लड़ कर अपना हक को दिलाये है। और 20–20 हजार का टॉयलेट हर घर में बनवा दिये है हम लोग जो चाहेगे वे होगा यदि बंद करना चाहेंगे तो बंद कर देंगें और चालू करना चाहेंगे तो चालू भी हो जायेगा। लेकिन हम महिलाओं का ऐसे अपमान बर्दस्त नही कर पायेंगे

ऐसा अच्छा नही लगता है। हम लोग मांग करते है सर कि जो 05–10 डिसमिल का मुआवजा एवं जो शेष राशि है उसको दिलाने का कोशिश किजिये। हम लोग दलाली का काम नहीं करते हैं। इतना कह कर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं।

19. एक खाता में एक नौकरी दिया जाये।

20. संजीता नाग–जनसुनवाई में आने का इच्छा नहीं थी लेकिन मजबूरी में आना पडा है क्यो कि एनटीपीसी के द्वारा कोई भी काम सही नहीं किया गया है। मैं बाहर रहती थी मेरे अनुपस्थिति में मेरे बिना अनुमति से मेरा जमीन लिया गया है और मुझे आज तक ना कोई राशि ना बोनस ना मेरे बच्चे को नौकरी दिया है। पांच एकड़ जमीन का पैसा मिला गया और 22 डिसमील में पैसा एसडीएम द्वारा रोक दिया गया है, जो आज तक नही दिये है। हमें कोई इच्छा नही है कि एनटीपीसी रहें। शांतिपूर्वक रह रहे है इसका मतलब यह नही है कि हमारा शोषण करें। एक खाता में एक नौकरी देंगे कर के बात कही गई थी। सब मांग को पूरा करेंगे तो सही है। लेकिन ऐसा नही किया गया है। जो गांवों में ऐश उड़ रहा है उसकी वहज से एक महिला का आंख खराब हो गया है। 50 बार आ गये ना इनके सामने में कि आंख का इलाज करा दे लेकिन आज तक नही कराया गया है। तो ये क्या करके अपना परिवार पालेगी और क्या करेंगी। पानी भी प्रदूषित हो गया है और राख की वहज से रह नही पा रहें है। 1.30 एकड़ जमीन में एक आदमी घुस नही पा रहा है आज 04 साल हो गया है। आज 03 साल बाद के बाद उसको मुवाबजा मिल है 02 लोगों के नाम से 25–25 हजार चेक मिला हैं तो वो आपना परिवार कैसे पालेगा वे अपने परिवार को कैसे खिलायेगा उसका हक है की नही है। झिनकीडांड में सबसे ज्यादा जगीन गया है। 500 एकड़ में 40 एकड़ जमीन बचा है। वे भी दूषित जल के कारण खेती करने लाईक नही है। तहसीलदार महोदय को सब पता है उनको जा कर सब बोल कर आये है कि सब बनवा दिजिये बचा मुआवजा दिला दिजिये। आज 03 साल हो गया सर तेंदूपता तोड रहे थे उसके जगह में एक छोटा मोटा सर्विस में रखा जायेगा और 05 लाख बोनस राशि देंगे बोले थे उसको देना चाहिऐ।

21. कृष्ण कुमार– जब प्लांट आता है तो यहां सब कुछ अच्छे से चलते है सबको रोजगार सब का घर परिवार अच्छे से चलता है। जब एनटीपीसी ने यहां पहले जनसुनवाई किया तो प्लांट स्थापना के समय लगभग 1600 नौकरी के लिये प्रस्ताव किया था, जिसमें से पहले वाली यूनिट को चालू करने के लिये जो नौकरी देना था वे था 212 लेकिन बाद में नहीं दिया। दूसरे चरण में कितने नौकरी दिया गया है। पहले फेस के लिये नौकरी नहीं दिया गया है और दूसरा फेज के लिये जनसुनवाई को निरस्त किया जाये। इनको किस आधार पर यह लोकसुनवाई किया जा रहा है। हमारे गांव के जो महिला वर्ग बोले जो लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। लोगों को अपात्र घोषित किया जाता है। यहां प्रति खाता धारक को नौकरी देना चाहीये। 425 नौकरी देना है उसमें से 55 ही दिया है बाकी का क्या हुआ है। तत्काल 800 नौकरी दिया जाये। विकास कहां नौकरी कहां नौकरी क्यों नहीं दिया गया है अभी तक। 400 नौकरी का आदेश करें नौकरी से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। बेरोजगारी को ध्यान देते हुये निर्देशित करें।

22. राई बाई–चावल न हीं मिल रहा है कैसा चलेगा। मेरे घर में बिजली नहीं है। घर मिल जाये।

23. रामकुमार साव–एनटीपीसी के द्वितीय चरण में पधारे सभी अधिकारी, मचस अधिकारी और हमारे एनटीपीसी के अधिकारीगण, अंचल के गणमान्य नागरिकगण को हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। बंधुओं पूर्वांचल क्षेत्र में जब एनटीपीसी का आगमन हुआ। तब मैं उसका हार्दिक दिल से स्वागत किया था आज भी करता हूं और विकास की नयी आशा लेकर एनटीपीसी का कृत्यज्ञता भी प्रकट करता हूं। बंधुओ मुझे ये उम्मीद है कि ये कंपनी महारत्न कंपन है। पुसौर क्षेत्र में जबसे एनटीपीसी का आगमन हुआ तब से चहूंमुखी विकास हुआ है। एनटीपीसी लारा का भूविस्थापित किसान हूं। आप लोगों ने तपोबल से यह सिद्ध करके दिखा दिया है। आने वाल कल भी आप लोगों का रहेगा। यदि मेरा आह्वान करता हूं। एनटीपीसी के द्वारा औद्योगिक मापदण्डों के आधार पर लिया गया है। प्रत्येक परिवार को स्थाई नौकरी प्रदान करने की कृपा करें। मेरा आपसे निवेदन हूं कि जो काम का निष्पाद कर सकते हैं उस काम को प्रत्येक परिवार को स्थाई नौकरी प्रदान की जिये। आज कंपनी मुर्त रूप में आ गई है। आपने जो सर्कुलर बनाया है उसमें आप परिवर्तन किजिये। आपका यह दायित्व व कर्तव्य बनाता है कि आप हमें काम दिजिये। बोनस मुआवजा व रोजगार से जो परिवार वंचित है उसे प्रदान करने का कष्ट करें। प्रभावित गांवे के प्रत्येक स्कूलों में एक गणित एक अंग्रेजी की शिक्षण शिक्षा सत्र में प्रदाय किया जाये।

24. सविता स्थ, जन चेतना मंच– विगत 22 सालों से जल वायु परिवर्तन और खास कर के मेरा सामाजिक लोगों के बीच काम करती रही हूं। श्रीमान पीठाशीन अधिकारी एवं पर्यावरण अधिकारी महोदय जिला प्रशासन स्थानिय किसान ये ईआईए बनाने वाले साथी उन सब को मैं सादर प्रणाम करते हूऐ आज की इस जन सुनवाई का आपत्ति दर्ज करवाने मैं आयी हूं। आदरणीय महोदय हम जिस जनसुनवाई को कराने बैठे है सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहती हूं कि जितनी ऊर्जा इस ईआईए को पढ़ने में टीप को बनाने में और जो स्थानिय साथियों के बीच में चर्चा परिचर्चा करने के बाद जिन बिन्दुओ को बोलने के लिये आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूं क्या आप नेशनल थर्मल पॉवर लिमिटेड यूनिट–02 में 1600 मेगावाट की स्थापना हेतु क्या इस जनसुनवाई को करने का अधिकार रखते हैं क्या ? आप जानते होंगे यह पुरा प्रोजेक्ट सेन्ट्रल का है। दो व्यक्तियों का मामला है। आपके साथ उड़ीसा राज्य के जिला कलेक्टर कहां बैठे हैं वहां के पर्यावरण अधिकारी यहां कहां है। जब वहां के 18–20 गांव प्रभावित है तो ये चूंकि दो राज्ये का मामला है और यह केन्द्र का मामला है तो राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप क्या कर रही है। ये जनसुनवाई अपने आप में अवैधानिक है। यहां न तो कोई केन्द्र सरकार ना कोई राजस्व अधिकारी बैठा है। अगर 10 कि.मी के क्षेत्र में देखा जाये तो यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। 08 अगस्त 2022 को राज्य सरकार के द्वारा पेशा कानून की नीति बनाई है। क्या आपने उस नीति को पढ़ करके उसका पालन करके छत्तीसगढ़ राज्य एवं उड़िसा राज्य के सहमति ग्राम सभा से लिया गया है। जिसमें 33 प्रतिशत महिलाओं की क्या भागीदारी थी। आपको यह अधिकार है ही नही यह जनसुनवाई करने का और आप ये जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करके केन्द्र सरकार को आप लिखिये की यह केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना 14 सितम्बर 2000 के अनुसार किसी भी कपंनी के 45 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन किया जायेगा। साहब आप 1 साल 06 माह

बाद करा रहें है और वे भी सही नही है जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नही है। यह मामला चूकि 45 दिवस के बाहर ये जनसुनवाई कराई जा रही है। केन्द्र सरकार दोनो राज्यों को सूनने के लिये एक स्वतंत्र कमेटी बनायेगी जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज उसके अध्यक्ष होंगे और इसका सुनवाई दोनो जगह को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ साथ सामाजिक प्रभाव आकलन के डाटा के साथ एकत्र करके जो ये ईआईए बनी है। चूंकि आपने दो भाषाओं में मेरे हांथ में थमा दिया है। आदरणीय जिस जनसुनवाई को आप करा रहे है उस स्वतंत्रा कमेटी में उड़िसा राज्य का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहां नही है। तो क्या आपने उन लोगों को लिखित आमंत्रित किया था वहां के जिला अधिकारी को वहां के जिला पर्यावरण अधिकारी को और उन 20 गांवो में जहां पेशा कानून लागू है 1996 को उसको क्या वहां से आपने विधिवत ग्राम सभा कराके अनुमति ली है। आप आज किस आधार पर यह जनसुनवाई करवा रहें है। यह जनसुनवाई चूंकि आपके कार्यक्षेत्र से बाहर का मामला है। यह जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करे। आपके शायद मालूम नही होगा साहब यहां महानदी पानी का लंबा विवाद उड़िसा राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहा है। महानदी के पानी के बटवारे को ले कर। जिस एनटीपीसी में जिस साराडीह बैराज से पानी लेने की बात करते हैं। वही पानी जाकर हीराकुण्ड डेम में मिलता है जो आजिविका का साधान है। वहां पे बिजली सयंत्र वहां पे उगता है। आप बताईये की आप महानदी के पानी का जो विवाद है उस विवाद को जब तक आप पुरा तरीके से दोनो राज्यों में खत्म नही करेंगे तब तक आप को किसी केन्द्र सरकार से आयोजित किसी परियोजना में जनसुनवाई कराने का अधिकार है क्या ? आदरणीय आप जिस जनसुनवाई को कराने बैठे है वास्तव में देखा जाये मेरी कोई इच्छा नही है यहां आने की मैं सिर्फ चंकि ये ड्राफ्ट ईआईए है और इसमें कुछ चीजें आपको दिखा दे रही हूं कि ये किस तरीके से उड़िसा भाषा में आपने समरी बनाई है। अब ईआई तो भगवान जाने क्या क्या होगा वे तो 500 पेज का होगा। इसके बाद आपको बता दूं साहब कि हम जिस जगह गें जनसुनवाई करा रहे है। यहां पे आपके पिछे जो बैनर लगा है उसमें इन्हें ने उड़िसा के उन गांवों के नाम को शामिल नही किया है। क्यूं नही किया गया है जब वहां के 20 गांव प्रभावित होगा। आपके जगह पर अगर मैं होती तो सबसे पहले ये ही करती कि ये जो बैनर का साईज है उसे बड़ा करवाती। और छत्तीसगढ़ एवं उड़िसा राज्य के कितने गांव प्रभावित होगों इसका सदर्शिता व स्पष्टता के साथ यहां पे ये जनसुनवाई करवाने आती। यू बिना ईआईए ले कर मुह उड़ कर नही चले आती। आप लोग जो भी नोट कर रहे है आपके लोगों की मैं लिखने वाली हूं आपको मालूम होना चाहिऐ की ये किस तरीके से ये शासकीय होते हुऐ भी चलो छोट प्राईवेट सेक्टर की जनसुनवाई होती तो। अभी सार का जनसुनवाई हुआ एक किसान का हार्टटेक के कारण वही पर मौत हो गया। आपको मैं बता देती हूं कि इस जनसुनवाई में चूंकि व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, ना ही इसके पहले जो इसका एसआईए बनता है सामाजिक प्रभाव आंकलन दोनो राज्यों का कहा है। कहां है एस.आई.ए. आपका। एसआईए में जो होता है उसको बता देती हूं एसआईए में लिखा होता है कि उस क्षेत्र मे कितने आंगनबाड़ी केन्द्र प्रभावित होंगे, कितने स्वास्थ्य, कितने शिक्षा से संबंधित स्कूल, कॉलेज व सुरक्षा से संबंधित कितने प्रभावित होंगे इसमें डेटा कहीं

भी आपके आकलन में नहीं है। आप चार पन्ने अंग्रेजी में लिख कर चले आये जनसुनवाई करवाने समरी बनाके। एसआईए कहां है इनका। आपको बता दूं कि मेरी भाषा बहुत ही संयत है लेकिन इस ईआईए को देख का मुझे बहुत घुस्सा आ रहा है। मुझे उम्मीद रहती है कि स्पष्ट एवं पारदर्शिता के साथ ईआईए बने। क्या नही आप ऐसे फर्जी ईआईए बनाने वाले कन्सल्टेंसी के खिलाफ एफआईआर हुआ अभी तक। मेरे पूर्व वक्ता अभी तक जो बोल कर गये ये ईआईए व जनसुनवाई गलत है तो क्या इस जनसुनवाई को करते रहना चाहिऐ या इसे उठा कर इसे चले जाना चाहिऐ। आप बोलिये कि ये जनसुनवाई तत्काल निरस्त किया जाता है चूंकि ये जनसुनवाई मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नही है। मैं गलती से आ गया हूं मैं राज्य सरकार का अधिकारी हूं केन्द्र सरकार का नही हूं और ये केन्द्र सरकार की परियोजना है। जब भी यहां के युवा आंदेलन करते है तो एनटीपीसी बोलता है कि यह केन्द्र सरकार का मामला है। तो केन्द्र सरकार आ कर मामला सुलझाये राज्य सरकार आ कर क्यू बैठी है जिनके क्षेत्र अधिकार का मामला ही नही है। आपको बता दूं ये जो आप ईआईए बनाये है साहब आपके बहुत दिक्कत जायेगा हम नही छोडने वाले। चूंकि जल वायु परिवर्तन के आकलन के जो इन्टर गवमेंटल प्राईवेट क्षेत्र आईबीसीसी के अकणों अंतर्गत कार्यक्रम युवा लिपि और विश्व मौसम डब्ल्यूएओ द्वारा जो 1918 में पर्यावरण आजिविका अर्थशास्त्र जल एवं वायु परिवर्तन विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिये जो नीति बनी है। उस निती का जब आपके परियोजना का स्थापना हुई तब प्रथम चरण में आपने एक चरण तो उठाया नही है। जब व चरण नही उठाये है तो ये चरण कैसे रख लेंगे और हम रखने क्यों देंगे। वही पे वन प्रबंधक, संस्थागत प्रबंधक तकनीकी हस्तांतरण जैव विविधता और सतत् विकास की बात होती है। कहा है एस.आई.ए. आपका, कितने गर्भवती प्रभवित होंगे, कितने बच्चे प्रभावित होंगे, कितने सरकारी विभागे है उन विभागों चाहे पुलीस विभाग, शिक्षा विभाग, अन्य विभाग इन सब में कार्य करने वाले लोग हमारे लोग है साहब क्या आपने इन सब कार्य करने वालों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराया क्या। क्या आपको मालूम है जो ये सतत् विकास कर रहे है, जिनका जनता से कोई लेना देना नही है। इस विकास में महिलाओं के गर्भाशय का कैंसर का मामला आ रहा है। दूसरा चिज है आप साराडीह बैराज का पानी ले रहे है। पूर्व के जो जितने भी बडी परियोजना है सारे पानी ले रहे है उनके द्वारा उनके क्षमता आदि का आकलन डाटा है। साराडीह बैराज से और कितने लोग पानी ले रहे है कहां हैं इसका आंकड़ा, भू–गर्भ जल का उपयोग किसानों और पीने के लिये उपयोग करते है। भू–जल का उपयोग केवल कृषि एवं पेयजल में उपयोग होता है। और इन्होने ईआईए में जो 10 कि.मी. का रेडियस में जो अध्ययन किया है उसमें ईब नदी का जिक्र है। छोटी बड़ी इन नदियों का जो सरल व सहज तरीके से बनाया जाता है। उस सारांश बनाने वाले जो लोग है उनका कही जिक्र नही है। जबकि ईब नदी भी प्रभावित है महानदी भी 10 कि.मी. के रेडियस में प्रभावित है उससे वो भी प्रगावित होगा। इसके अंतर्गत जो सहायक जल धाराएं व सहायक नदियां है उन सब में प्रदूषण होगा। आदरणीय आपको बाता दूं कि आपके जो लिख रहे है ईंधन के स्त्रोत के रूप में एन.टी.पी.सी. तलाईपाली खदान का भी नहीं है। ये जो ट्रेन चला रहे है। उस कोयला खदान का भी अभी तक इनके द्वारा कोई समाधान नही किया गया है। ये जो बोल रहे है कि एनटीपीसी के प्रथम चरण में 1600

मेगावाट पहले से है और 1600 मेगावाट ये अभी करेंगे। मतलब 3200 मेगावाट यहा बीजली जलेगी उसके लिये फ्लाई ऐश डाईक की व्यवस्था आपके पास ना था ना है। ना आपके पास बनाने की कोई परियोजना है। आप जो जिस ट्रेन से क्रेन ले कर गये है उसका आज भी एनटीपीसी को फॉरेस्ट की अनुमति नही मिला है। आप पता करियेगा। इन्होने कहा है कि द्वितीय चरण के लिये जो इनके पास 2400 एकड़ जमीन है इसके अंदर में कम से कम 20–22 गांव में आदिवासी जमीन 170 का जमीन का निराकरण भी अभी तक नहीं हुआ है। अब जब ये जनसुनवाई करा देगें और वे जमीन को मिला दिया होगा तो आपको बता देती हूं की उस जमीन की पहचान भी शायद आपको न मिले। यहा के आदिवासी निजी कंपनी के विकास से त्रस्त है, और आज सरकार झुठी ईआईए बना कर झूठी जनसुनवाई करा रही है। इस कॉपी पेस्ट ईआईए के उसके आधार पर करा रहे जनसुनवाई जिसमें यहा के सामाजिक लोगों ओडिसा राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों पर क्या प्रभाव पडेगा उसका कोई आकलन नही है। उसको जब तक आप ग्राम सभा में नही रख लेते और ग्राम सभा पुरी विधिवत आपको नही समझा देती तब तक आपको ईआईए बनाने का अनुमति नही है। आप कैसे बना लिये बैठे बिठाये ई.आई.ए.। इससे बेहतर तो हम ईआईए बनाते है। हमसे सलाह ले लिया करीये सच्ची ई.आई.ए. बनेगी। दूसरा चीज जो आप बोल रहे है 5137 घनमीटर प्रतिघंण्टा पानी चाहिऐ कितना पानी है इसका पीएचई विभाग से जांच कराई है क्या। कोई रिपोर्ट है कोई आंकड़ा है। तो आप किस आधार पर कर रहे है। आपको बता दूं कि फ्लाई ऐश में 13 किस्म के वे ही मैटल पाये जाते है और अभी तक इनका फ्लाई ऐश का निस्सारण की व्यवस्था नहीं है। इससे ओडिंसा राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य दोना प्रभावित हो रहे है चूंकि यह ओड़िसा राज्य के अनुपस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार ये जनसुनवाई करवा रहा है इसे निरस्त कीजिये। एक पत्र लिखिये और दोनो राज्यों की ज्वाईट कमेटी बने और ईआईए बनाया जाये। कि आज कि तारीख में दोनो राज्यो में क्या प्रभाव पडेगा। अपके स्वास्थ्य, आपने आने वाले भविष्य की सूरक्षा की बात हम कर रहें है। इनका खदान भी है आर थर्मल पॉवर प्लांट भी है। आप बताई कि इनका सीएसआर के तहत् क्या विकास कर दिये है हमारा। आपने कितने कॉलेज, स्कूल कम्प्यूटर शिक्षा दे दिया। जब तक आप प्रथम चरण के विवाद के है तब तक के आपके द्वितीय चरण के स्थापना की अनुमति दे देंगे। जब तक पूर्व का विवाद नही सुलझायेगें तो कैसे सुलझेगा। यहा की पानी में मछलिया नहीं है लिखा है। भाई साहब यहां के मछलियां से ही लोगों का रोजी रोटी चलती है। हीराकुंड के पानी पे डब्ल्यूएचओ का डाटा कहता है कि 05 प्रतिशत मछली में 10 साल पहले कैंसर के तत्व पाये गये थे। अब बताईये ये इतनी बड़ी थर्मल पॉवर प्लांट जिसके फ्लाई ऐश व पानी के निस्तारण की व्यवस्था नही है और उसके लिये क्या फिर से जनसुनवाई करवायेंगे। मछली ही हमारी आजिविका है आपने उनके चार, महुआ, तेंदू को सत्यानाश कर दिया है और आपको बता दूं कि आपके छत्तीसगढ़ एवं ओडिसा राज्य में सामुदायिक वन अधिकार पट्टा मिला हुआ है। उसकी जांच हुई क्या। आजिविका के साधनों का बिना अध्ययन कराये बिना जनसुनवाई करवा रहे है इसलिये जनसुनवाई तत्काल निरस्त किया जाये। ये इतना नुकसान करने के बाद 112 लोगो को ठेकेदार के अंदर नौकरी देंगे इसमें कही भी महिलाओं का कही नाम निसान डाटा की बात नहीं किया गया है। क्यो नही

किया गया जब एसईसीएल द्वारा अपने ही खदान में 36 स्थानीय महिलाओ को रोजगार दिया तो जिनकी जमीन गई भू–स्वामी महिलाएं थी क्या आप पुरूषों को नौकरी देंगे। ये किसान जमीन के मालिक है आपके दरवाजे में गिड़गिड़ाते है, कितने शर्म की बात है। उड़िसा से लोग आकर बोलता है कि नौकरी के लिये मुझे 50 हजार मांगते है। कितने शर्म की बात है कि एक किसान 5 बार अपना डाक्यूमेंट जमा कर दिया। आपने इस जनसुनवाई को करवाने के पहले आपने ज्वाइंट सिविर क्यों नहीं लगवाया, पहले शिविर लगनी चाहिये, नौकरी के लिये जिनकी जिनकी जमीन गई है चाहे वह महिला हो या पुरूष। एन.टी.पी.सी. की अपनी कानून तो नहीं है आपको कानून बनाने का अधिकार नही है। कानून बनाने के लिये हमारे लोकसभा और राज्यसभा है। महिलाओं के लिये रोजगार क्यों नहीं है। ये कहते है 4–5 हजार इस बिजली परियोजना में सिधे तौर पर सहायक उद्योग व स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, कहां से होंगे। कोई डाटा नही है और सरकार के आंकणे इतने सर्वनाक है। आपके पास कोई स्थाई रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है क्या। सरकार भी इतना बेबस है जब बेबस है तो कह दिजिये की हमें यह जनसुनवाई नही करवानी यह हमारे बस की बात नही है। यहां तो सविता रथ और राधे श्याम शर्मा जैसे लोग आते है। आदरणीय इसमें जो रासायनिक उर्जा के साथ थर्मल उर्जा दहन के दौरान जो गर्मी बढ़ेगा, जो तापमान बढ़ेगा। आपको बता दूं कि विश्व में जो पर्यावरण के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहे है तो जितना जल्दी हो सके संरक्षण करने के लिये योजना बनाने की बात थी। बड़ी–बड़ी योजना को बनाने की नही थी। तो इतना ज्यादा उर्जा को रखने के लिये आपके पास तो बैंक नही होगा। कहां रखेंगे उतनी उर्जा को। इतना गर्मी बड़ेगी इससे पहले रायगढ़ के तापमान को आपने देखा है। क्या यहां पर स्तनपाई जंतु जैव विविधता कि उपर यहां पर प्रभाव नही पडेगा। ये जो फ्लाई ऐश के बारे में पहले चरण में बोले थे अब तक कर लिये होंगे है ना कर लिये होगे। पानी का उपयोग भाप बनाने के रूप में पुनः उपयोग किया जोयगा। आपके वाटर फिल्टर भी लगाने की जरूरत न पडे और यहा के लोग और जैवविविधता जो तापमान में झुलसे। जानकारी के लिये बता दूं कि अब तक धरमजयगढ़ लैलूंगा और तमनार हाथी प्रभावित क्षेत्र था और आज के तारीख में आप जहां बैठे है यह भी हाथी प्रभावित क्षेत्र है यह आपके ईआईए में नही दिया गया है और ओडिसा के जो 20 गांव आ रहे है वे भी हाथी प्रभावित क्षेत्र है। तो उनके लिये जो ओडिया में ईआईए कराये है तो वहां भी प्रचार प्रसार करते और वहां के पीठासीन अधिकारी आते और आप 02 के जगह 04 बैठ जाते और आज के ही तारीख में उड़िसा की भी जनसुनवाई होनी चाहिये थी। आपको बता दूं कि इन्होंने जो मृदा का उपयोग, चाहे मृदा संरक्षण हो या चाहे परिवेशीय के मामले है इन सब चिजों को हम एनजीटी ले जायेगें। इसके अलावा इन्होंने भूमिगत जल की गुणवत्ता बताया है। इसके अलावा और एक बात बता दूं कि इन्होने ने भूमिगत जल की गुणवत्ता बताया है और इन्होने ने कहा है कि ये जो पानी का लेवल है अभी भी पानी लेने की स्थिति में है, क्या हमारा पीएचई विभाग ने परीक्षण किया है और इसमें किसने ईआईए बनाया है उसमें टीम का नाम नही है केवल कंपनी का नाम दे दिया है। पानी 140–200 तक चला गया है। महोदय जितने भी इन्होने पेपर दिये है यह पेपर जनसुनवाई करवाने के लिये पर्याप्त नहीं है। माफ किजिये हम यहां के अनाज, फसल खास करके यहां के धान का डाटा

देख लिजिये यहां जब एनटीपीसी के प्रथम चरण में कितना क्वालिटी व क्षमता का धान था और कितना इनके आने से प्रदूषण के कारण कितना इसमें गिरावट आयी है, चाहे वन की चीज हो, वायु की गुणववत्ता हो, चाहे पालतू जीव हो, चाहे जैव विविधता में यहा तितलियां, केंचुआ, घोंघी आदि की बात है जिसका यहां कोई भी उल्लेख नही है। एक नदी में केवल मछली नही है लिख कर फूर्सत हो गये है ये लोग। आपको बता दूं कि केलो नदी का डाटा जो है डिग्री कॉलेज ने अध्ययन कराया था। आप वहां से डाटा लेकर इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करियें। ये बोलते है जल प्रदूषण के निवारण के उपाय बनायेंगे। क्या करेंगे भैया रिसाईकल किया जायेगा। क्या प्रथम चरण का रिसायकल हो गया क्या ? ये बोलते है कि फ्लाई ऐश के 80 प्रतिशत का कोई हिसाब किताब नही है। ये बोलते है कि फ्लाई ऐश को सीमेंट में बेचेंगे, अरे भैंया हमारे रायगढ़ में यहां तहां सड़क, नदी व खेतों में फ्लाई ऐश को डाल दे रहें है। इसे कौन खरीदने आयेगा। आपको बता दूं कि कोयले से जुड़े जितनी भी परियोजनाएं है विश्व भर में उसे नकारा गया है। सुझाव ये है इस जनसुनवाई में कि उर्जा के अन्य श्रेतो पर भी केन्द्र सरकार अध्ययन करें और जो और उन्होंने जो अपना 2023 तक पर्यावरण प्रदूषण कम कर लेने का जो वादा किया था उस वादा को पुरा करें और किसी किस्म की नये परियोजना को और नये विस्तार को अनुमति न दें। आदरणीय आप ने मुझे सुना मैंने अपनी बात रखा और आप इस गलत जन सुनवाई में आ गये है आपका कोई अधिकार नहीं है इस जनसुनवाई में आने का। आप इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करें और मेरा लिखित में भी आपत्ति है। मेरा बोल एक–एक बिन्दु लिखे। क्यो कि मैं आपके पास आरटीआई भी लगाउंगी। वे कुछ नही लगायेंगे सोलर प्लांट नहीं लगायेंगे, वाटर प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाटर ट्रिटमेंट भी नही लगायेंगे। महिलाओं के लिये कोई पुख्ता रोजगार की कोई व्यवस्था नही लगायेंगें। तो काहें की ये जनसुनवाई हो रही है। इस जनसुनवाई को साहब आप तत्काल निरस्त करियें। मेरे बाद और किसी को ना सुना जाये। ये ईआईए पूर्णतः मजाक है। इसमें हम अपनी उर्जा नही दे सकते। आपके मेरे आने जाने का खर्चा भी देना चाहिऐ। जितने आये है सब का खाने पिने की व्यवस्था करनी चाहिऐं और दूसरा जो हमारे सरकारी अधिकारीयों का दुरूपयोग करते है ना जनसुनवाईयों में आज चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे राजस्व हो सबको आज के एक दिन का उनके पद अनुसार एनटीपीसी से एक दिन का वेतन दिलवाईयें उनके खाता में सीधे तौर पर। सभी अधिकारी कर्मचारियों चाहें वह कोई भी हो। इतना बोलते हुऐ इस जनसुनवाई निरस्त करने की अपील करती हूं। आप ने मुझे सुना मुझे मौंका दिया। इस क्षेत्र एवं आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त किया जायें। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

25. सतवीर सिंह सत्ते, नेतनागर – इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ, श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त कर देना चाहिये। क्योंकि यह जो 2011–12 से मामला चल रहा है केवल 52 लोगो को स्थाई लोगो को नौकरी दिया गया है। क्या इतने बड़े उद्योग में 09 गांवों से लगभग 1600 लागों को नौकरी मिलना चाहिऐ लेकिन केवल 52 लोगों को दिया गया है। ये दो यूनिट में इतना ही नौकरी दिया है तो आगे क्या उम्मीद करें। जितने पुराने पैंडिंग मामले है पहले उन सब को निपटाया जाये, तभी आगे की

सुनवाई हो और आप लोग जनसुनवाई चालू कर दिये है यह नही होना चाहिऐ था। स्थानीय लोगो को प्राथमिकता देना चाहिऐ, जैसे भाई बोल जो अस्थाई नौकरी है उसके लिये 50 हजार रूपये देकर नौकरी लग रहे है और उनके 06 माह के लिये नौकरी दिया जा रहा है और 06 माह बाद उनको निकाल दिया जा रहा है। ये कहां का न्याय है बताईये ? इसी के लिये यह उद्योग आया है यहां पे। यहां के स्थानिय लोग अपनी जमीन दिये है ये बोल के की यहां का विकास होगा। लेकिन अभी तक विकास नाम की चीज नही दिख रही है। किसका विकास होगा ये एनटीपीसी वाले जाने और अधिकारी जाने। इस लिये जनसुनवाई को निरस्त कर देना चाहिऐ। यहां पे जो एन.टी.पी.सी. की स्कूल है उसमें ग्रामीण छात्रों को कोई रियायत नही है। जबकि प्रभावित लोगों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिऐ। पुरा फीस लेते है और भर्ती भी नही होता है। इसी प्रकार का स्वास्थ्य में भी सुविधा नही देते है। लगभग 2400 लोग प्रभावित है। आस–पास के गांव में भी सीएसआर मद के तहत् विकास होना चाहिऐ लेकिन कोई फण्ड नही दिया जा रहा है। डस्ट से पुरा क्षेत्र खराब हो गया है फ्लाई ऐश को कोई भी कही भी गिरा दे रहा है। आप मेरे साथ चाहिऐ मैं प्रत्येक गांव में 50–100 ट्रिप डस्ट दिखाउंगा। जिसका कही का अनापत्ति नही है। ये गलत है कि सर बताईये। यहीं पर फ्लाई ऐश को डाल दिया जा रहा है और भाड़ा वहां के नाम से लिया जा रहा है। रात में गिराते है उसकी भी जांच होना चाहिऐ। यहां को जो प्रदूषण लेवल है वे 2021–2012 में क्या थी और अब क्या है इसके स्पष्ट करके बताऐं। ताकि ग्रामीणों के जानमाल का नुकसान न हो और सभी लोगों को जागरूक करना चाहिऐ। बस इतना कहना चाहता हूं और हमारे बहनों का समर्थन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

26. अजीत कुमार शर्मा, नवापारा – सर एन.टी.पी.सी. को आये 10–12 साल हो गया है। हम छोटे–छोटे थे तब एनटीपीसी चालू हुआ। हम सोचते थे कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास होगा बहुत अच्छा कार्य होगा लेकिन इसके महोदय उसका उल्टा हो रहा है। आज हम यहां द्वितीय चरण के जनसुनवाई करा रहे है। क्या एनटीपीसी अभी तक उनके पूर्व मांग व अपने दायित्व को निभा पाई है ? अगर वे नही निभा पाई है तो आगे के लिये जनसुनवाई क्यूं करवा रहें है। क्या वो हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दे रहा है, उनका जमीन जो गया है उसके बदले उनको मुआवजा दिया और दिया भी तो कुछ लोगो को। जितने भी लोगों को रोजगार दिया जाना था क्या उनको रोजगार दिये है। ये तो केवल 09 गांवों के है महोदय तहसील पुसौर व रायगढ़ जिले के युवा रोजगार के हकदार है या नही। ये मैं एनटीपीसी से जानना चाहता हूं। ये जो 09 गांवो के ठेकेदार क्या एनटीपीसी उन्ही को खुश करता है। आम जनता आम लोगों के लिये उनका कुछ दायित्व है या नही। अगर दायित्व है जो एनटीपीसी नौकरी के लिये कोई ठेकेदार गया जो इसके चरण चाटते है। उनके यहां जाते है तो नौकरी के लिये 25–50 हजार लिया जाता है और उसके 1 साल बाद उसे निकाल दिया जाता है। वे व्यक्ति फिर से ठेकेदारों के बीच घुमता रहता है। लेबर ग्रेड के आदमी को जीने का हक नहीं है क्या उनसे भी धोखा देकर 10–15 हजार लिया जा रहा है, ये गरीब का आवाज उठने नहीं देते है। और उठाते है तो ये लोग बोलते है हम लोग है सब करवा देंगे। दूसरी बात सर ठेंगापाली से बोरोडिपा चौक तक फ्लाई ऐश को वहां 02 महिना पहले भी बंद करवाने के लिये हड़ताल किये। एनटीपीसी पहले का राखड़

नही फेंक नही पा रहा है आप भी जानते है महोदय। कचड़ा तो दूसरे के लिये क्यों परमिशन दिया जा रहा है। यहा समस्या का अंबार लगा हुआ है इसके बाद भी दूसरा फेस लगाया जा रहा है। कुछ भी दिक्कत होता है तो पहले हमें निकाला जाता है पर क्या ये लोग पहले हल निकाले है। कि हम लोग सब किड़े मकुडे हो गये। एनटीपीसी मैत्रीनगर जायेगे तो स्पीड लिमिड लिखा रहता है 20 कि.मी. थोड़ा सा गाड़ी तेज हो जाता है तो आवाज आती है। लेकिन जब इनका फ्लाई ऐश का गाड़ी गावों से गुजरता है तो रोज 5से 10 हजार बच्चे व अन्य लोग आना जाना करते है। इस वहज से कितने दुर्घटना हुआ है ये सब उनको पता है। इनको बार बार अवगत करवाया जा रहा है। फिर भी इनके द्वारा कोई हल नही निकाला गया है। यहां तो बहुत सारी समस्या है सर फिर भी द्वितीय चरण की जनसुनवाई क्यों ? किसके अनुमति से हो रहा है जब ये लोग पहले का काम नही किये है तो। नवा गांव में आप लोग क्या–क्या किये है ये लोग खड़े हो कर बताऐ। क्या गेट बना देने से हो जाता है गेट बना देने से आमजनता को क्या फायदा हुआ है। आप लोग डस्ट लेकर जा रहे है उसमें कितने लोगो का जान जा रहा है। इसका कोई मतलब नही लेकिन आप फिर से विस्तार कर रहे है उसका डस्ट कहां जायेगा। आप लोगों से विकास के नाम पर इस तरीके से दोहन मत कीजिये। प्रकृति का दोहन बहुत हो रहा है। तहसीलदार साहब बोलते है कि कन्हैया दास जी यहा से गाड़ी मत ले जाईये लेकिन हां सर बोलते है फिर भी उसके बाद भी गाड़ी को दौड़ाया जा रहा है तहसीलदार की भी नहीं सुनते है। ये लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और। एसडीएम सर 2–3 बार जांच कर चुके है। इसका मतलब एक नोटिफिकेशन आप जारी कर दिजिऐ सर कि इस क्षेत्र को छोडकर चले जावे ये एनटीपीसी का है आम जनता का नही है। एनटीपीसी में इनसानियत भी नही है। आप ही बताइऐ की हम लोग क्या करे कि हम लोग मर जाये कि इन लोगों का दोहन सहते रहे। नौकरी मांग रहे है नही मिल रहा है, मुआवजा मांग रहे है नहीं मिल रहा है, ठेका के नौकरी के लिये भी दलाली कर रहे है। आज जनता के लिये एन.टी.पी.सी. कुछ नहीं किया है। इस लिये यहां कोई भी नही आये है। केवल कुछ विशेष लोगो को ही सेवा दे रहा है। ये कंपनी कितने लोगो को नौकरी दिया है। हमारे इस क्षेत्र का ध्यान दीजिये और पहले का कार्य पूर्ण करने के बाद फिर दूसरा कार्य करेंगे। एनटीपीसी खुद बोला है कि मैं नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। लेकिन अभी तक नही दिया है और फिर उसके बावजूद दूसरा काम क्यों चालू कर लिया है। आप से निवेदन कर रहा हूं सर कि आप विशेष इसको ध्यान दे और हमारे क्षेत्र के जन नेताओं का विश्वास जो आप लोगों के उपर है। आपके ही उपर है सर कि जनता को मारना चाहते है कि तारना चाहते है। धन्यवाद सर। मैं इतना ही बात रखना चाहता हूं।

27. गौरीशंकर, छपोरा – मेरा जमीन 4 बार अधिग्रहण हो गया है लेकिन आज भी जब मैं कंपनी जाता हूं तो मुझे काम नही मिलता है। मेरा जमीन 04 बार से अधिग्रहण हो गया लेकिन आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। जमीन का सीमांकन नही हुआ 2016 से 23 हो गया सर। आज तक सीमांकन मेरे को नही मिला है। पुसौर से रोंगालपाली जो रोड़ है सर मेरा 1275 हेक्टेयर जमीन मे से 70 डिसमिल जमीन गया है लेकिन मेरे पास जीरो है और नौकरी के लिये बोलने पर बोलते है कुछ और करते है कुछ और। बच्चो को पढ़ाउंगा,

लिखाउंगा सब बोल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा 02 जमीन का तो नंबर ही नही है। तहसीलदार सब हो जायेगा बोलते है लेकिन पटवारी क्या हस्ताक्षर होगा बोले थे भुल रहा हूं वह हस्ताक्षर होने के बाद सीमांकन हो जायेगा बोले थे लेकिन आज तक नही हुआ है। एन.टी.पी.सी. के रोड जो ठेंगापाली से एनटीपीसी रोड़ में मेरा जमीन गया है उसमें भी मेरा जमीन गया है। आज तक उसका भी कुछ नहीं हुआ है। जब मैं रोकने गया था तब मुझे मारे थे जिसके कारण मेरा कान अभी तक दर्द कर रहा है। इतना अत्याचार। मेरे बच्चे है उनको कैसे करेंगे सर। अगर नौकरी भी नहीं दे रहा है एवं जमीन का पैसा भी नही दे रहा है। 1 डिसमील को 7 लाख में लेने के लिये तैयार है लेकिन 90 डिसमिल को ये 7 लाख बोल रहे है। मेरो इतना जमीन गया फिर भी मेरे जमीन का कोई मूल्य नही है इनके लिये। मेरे को और मेरे बच्चे को भले ही वे कम पड़े लिखे हो हमें नौकरी चाहिऐ मतलब नौकरी चाहिऐ। अगर गलत है तो बोल दिजिये सर। हम लोक पूर्खो से जमीन में कमाते आये है तो क्या 10 साल में जमीन भी गया और बच्चे भी जायेगे। बस इतना बोलता हूं।

28. अंजली चौहान, देवलसुर्रा – मेरा जमीन गया है एनटीपीसी मे। मैं दो साल से नौकरी मांग रही हूं अब तक नही मिला है। मेरा पति भी नहीं है सर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी है। मैं चाहती हूं कि मुझे नौकरी मिलें। बिलते है कि एनटीपीसी वाले की मिल जायेगा मिल जायेगा लेकिन 02 साल से दौड़ा रहे है बस और मेरे पास अच्छी शिक्षा भी है। मैं बस इतना चाहती हूं की मुझे नौकरी मिले। बस इतना कहना चाहती हूं।

29. संकिर्तन साव, – सर एन.टी.पी.सी. लापरवाही का कर रहे है। इसका सबसे बडा उदाहरण मै इस छोटे से बैनर में देना चाहता हूं जिसमें गांव का नाम सही नही है सर। इतने पड़े लिखे लोग है सर फिर भी देख लिजिये की बोडाझर कैसे लिखा है। इसके बात से रोजगार के बात पर आउंगा सर। हम लोग जब से ये स्थापित हुआ है तब से आवेदन देते आ रहे है लेकिन हम लोगों को यही आसवासन देते है कि हो जायेगा आवेदन जमा कर दें। लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला है। हम लोग कलेक्टर महोदय के पास भी कई बार जा चुके है सर। हमारे गांव में रोशनी होना चाहिये। सर मैं तेदूपत्ता संग्रहण करने वाले परिवार से हूं और उसमें केवल एक ही बार मुआवजा मिला है सर जबकि हर साल मुआवजा देना चाहिये और स्थाई नौकरी भी देना चाहिऐ। सर पहले बेच के एसिस्टेंट नौकरी हेतु आवेदन किया था सर तो उसमें मैं पात्र हुआ था और मेरा वेरिफिकेशन भी हो गया था। लेकिन प्राईवेट पढ़ाई होने के बाद अब मुझे अपात्र बोल के निकाल दिया गया। और अभी जो वेकेसी निकला था उसमें आवेदन करता हूं तो मुझे अपात्र बताते है सर। तो सर मैं पुछना चाहता हूं कि मुझे किस तरह से अपात्र किया जा रहा है।

30. सावित्री निषाद – मैं ज्यादा देर पैर मे खड़ी नही हो पाती हूं। मेरी बेटी बोली न कि हम नौकरी के लिये चाह रही हूँ।

31. सेवती विश्वास – मेरी गांगी पैर से परेशान है 4 साल से मैं अपनी रोजगार की बात कर रहा हूँ। इस संबंध में हमने कलेक्टर जी से भी मिला था और उनकों बताया था कि हमारा जमीन गया है एनटीपीसी में और मैंने अपनी रोजगार की भी बात रखा तो उन्होने मिटिंग में हां कही थी। मैं तब से नौकरी के लिये आवेदन

कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल रहा है और माता जी का दिनों दिन पैर की समस्या बड़ती जा रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे माता जी के नाम से बीएपी कार्ड बनवा देंवे। मेरा नौकरी लग जाये ताकि मै अपनी माता का इलाज करवा सकूं। मैंने मेरे माता जी के नाम से बीएपी का बनाने हेतु ओवदन किया था सर लेकिन व अभी तक लंबित है। बचपन में सर जब पता चला की एन.टी.पी.सी. हमारे गांव झिलगीटार के जगीन को अधिग्रहण करेगी। मेरे को बहुत उत्साह था कि एनटीपीसी आयेगा तो हमारा बहुत विकास होगा। लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है। आप लोगो से निवेदन है कि मुझे नौकरी में आ जाउं और मेरे माता जी का इलाज करवा पाउं।

32. गणेश राव – जब हाईवे में ट्रक चलता है तो हाईवे रोड को क्या बंद किया गया है और हमारे गांव में कैसे ट्रक चल रहा है। बिना हाईवे रोड़ बनाये डस्ट से भरा गाड़ी हमारा गांव से जा रहा है जिससे प्रभावित हो रहा है। हमारा गांव का तालाब से हो कर जा रहा है कैसा हगे सोने के परेशानी हो रही है आकर देखीये। आकर देखना चाहिये कि हमारे गांव का तालाब का क्या स्थिति है कितना भी बारिश होता है फिर भी क्यों नही भरता है। हम लोग कैसे पानी में नहाते है एक बार भी आ कर देखे है क्या आप लोग। उसके बाद जनसुनवाई करवाया जाये बताई आप लोग। कितना धुल डस्ट आ रहा है आ कर देखना चाहिऐ। मैं आईटीआई करके भी पात्र हो कर भी रोज जाकर गेट के पास बैठता था लेकिन मेरे को धक्का मारकर निकाला गया है और बोलते है पुलिस बुलवायेंगे करके जबकि मेरा जमीन गया है। हम लोग जमीन इसी लिये दिये है क्या सर ताकि हम लोग 10 हजार का काम भी नही कर पायें। सास लेने में हम लोगो को बहुत दिक्कत हो रहा है। रविवार को छुट्टी होता है उस दिन आ कर देख लिजियेगा कि कितने मात्रा में डस्ट छोडते है। आपको भी डस्ट खाना पडेंगा तब फेस–02 को चालू कर सकते है। दादागिरी करते है एन. टी.पी.सी. वाले, जब भी काम के लिये बोलते है धमकी देते है अंदर करवा देगें बोलते है तो मार खाने के जमीन दिये है क्या। और बोलते है ठेकेदार से बात करो और उनसे बात करने पर बोलते है कि हो जायेगा तो कितना दिन तक हो जायेगा। हम लोगों को अंदर जाने के लिये 02 घण्टा लाईन में लगना पड़ता है। स्टेज–02 आने पर हम किस अधिकार से जमीन देंगे। कुछ भी सुविधा नही कराया जा रहा है। थोडा सा ध्यान दिजियेगा सर बस इतना ही बोल रहा हूं सर। खास कर नौकरी और डस्ट को देखियेगा सर। किसी को अपना जमीन बेंच कर गिरना ना पड़े बस। हमारे जमीन ले कर हमारे माता बहने लोग वहां के टाउन शीप में झाड़ू पोंछा करने का ही काम बाकी था सर। वे लोग बाहर से आकर बैठ कर हमको पॉवर चलायेंगे सर। पात्र हो कर भी हमको नौकरी नही गिल रहा है इस बात को नोट करके रखिये।

33. गौरांग गुप्ता, नवापारा – सबसे पहले मैं पर्यावरण अधिकारी से बोलना चाहूंगा कि आपके पर्यावरण संबंध में कोई दिशा उठाई है, एनटीपीसी जो ये कार्य कर रही है। पहले फेस समाप्ति के बाद दूसरा फेस लगाया जा रहा है क्या पर्यावरण की दिशा में आपके कोई ठोस कदम उठाया है। इसका समुचित जांच क्या आपने किया है। मैं इसका उत्तर जनना चाहूंगा। हमारे बच्चे आज कहते है कि आज यहा से पर्यावरण का सब्जेक्ट हटा देना चाहिये क्यों कि पर्यावरण का अर्थ इस जिले व तहसील में समाप्त हो चूका है। पर्यावरण की परिभाषा

ही बदल गई है। ये एनटीपीसी के कारण बदली है। पहले हमारा क्षेत्र स्वच्छ पर्यावरण था लेकिन जब से एन.टी.पी.सी. आई है पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। बच्चे क्यो कह रहे है यह जानने का क्या हमको हक नही है। क्या बच्चे झूठ कह रहे है उनके मान में जो बात आई है क्या वह गलत है। पर्यावरण अधिकारी से कहना चाहूंगा कि वह निश्चित ही जांच करें। साथ ही साथ यह कहना चाहूंगा कि एन.टी.पी.सी. के द्वारा ओवरलोड फ्लाई ऐश बिना ढके यहा की छोटी सड़को से लेजाया जा रहा है और आस–पास के क्षेत्र में फैलाया जा रहा है क्या यह पर्यावरण प्रदूषण नही है। क्या इनको पर्यावरण प्रदूषण करने के लिये अनुमति दिया गया है। इसकी शिकायत तहसीलदार और एस.डी.एम. से की गई लेकिन इसके बाद भी उनके आदेशों का पालन अभी तक नही किया जा रहा है। तहसीलदार एवं अधिकारियों द्वारा निर्देशित करने के बाद भी उस रोड से फ्लाई ऐश की गाड़िया क्यों जा रही है। हमे इसका जवाब चाहिऐ अन्यथा इसके पश्चात् इस कार्यक्रम को रद्द किया जाये। जनसुनवाई को यही से ही बंद किया जाये यही मैं आपसे मांग करता हूं। गो–बेक एनटीपीसी गो बेक।

34. जमीन गया है पापा का पर घुमा रहे है यहां से वहां वे बोलते है कि चरित्र प्रमाण पत्र लाओ कहां बनेगा बोलने से रायगढ़ में बोलते है। कार्यालय में पुछने से बोलते है कि फिर एनटीपीसी जावें। मैंने अपना आवेदन के साथ हर चीज जमा करके दे दिया फिर भी कुछ नही हो रहा है। जो गांव वाले की समस्या है वही मेरी भी समस्या है।

35. शहनवाज खान, रायगढ़ – इस रायगढ़ जिले का एक जिम्मेदार नागरीक होने के नाते यहां खड़ा हूं। एनटीपीसी से हमारे संबंध में जो भी मजदूर है हमारे स्थानीय मुद्दा एक ओर रखे है। तो अब से मैं आया हूँ तब से यहा बैठा एक एक नागरिक यहा खड़े होकर भीखमंगो की तरह यहा रोजगार के लिये भीख मांग रहा है, अपनी ही जमीन देकर आपने ही गांव मे आज हमारी ये हालत हो गई है। ऐसा लगता है यहा लड़को को एनटीपीसी द्वारा चाहे स्थाई या ठेका के तौर पर जो कर्मचारी चाहिऐ वे क्वालिफिकेशन तो हमारे लड़को में है ही नहीं। क्वालिफिकेशन दिल्ली के किसी सेन्टर से आपके द्वारा दि जायेगी। माननीय कन्हैया जी कहा गये सामने आईये। उनको बुला दिजिये उनसे कुछ सवाल करना है क्यो कि पिछले बार कोई दुसरे अधिकारी थे और अभी कोई दूसरे है लेकिन इनके विडियों में इनके जगह एक साहब थ टोपनो साहब उस समय कुछ वादे किये थे उन्होंने तो तो आज उस कुर्सी में आप बैठे है एक बार सामने आयेगे। क्या हमने जमीन दी और रोजगार के लिये भीख मांगे। क्या आपके जो दिखावें के लिये यहा स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य कैंप आयोजित होता है जबकि फैला तो आप हैजा और चर्म रोग रहे है। पानी को प्रदूषित कर रहें कि आदमी बिमार पड रहे है। खांसी, सर्दी, बुखार की दवा दे रहे है। और शिक्षा के लिये सरकार ने सरकारी स्कूल बनाई है तो महान भारत के नवरत्न कंपनी इतना बड़ा प्लांट लगाकर लोगों को वादे करके अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाई करवा रहे है। यहा महलोई में फेस 2 में बिल्डिंग भी नहीं है और आप जनसुनवाई करवा रहे है। यहां बैठ करके झूठे ईआइए जिसे कॉपी पेस्ट करके के हर जनसुनवाईयों में रखा जाता है। अभी तो हमारे भाई लोग केवल माईक और कैमरे के सामने ही बोल रहे थे तो अब सूचना का अधिकारी भी है और हमें इसके साथ साथ जो

भी अधिकार हमे प्राप्त है उसके लिये हम लड़ेंने का अब प्रयास करेंगें। यहां जो पहले एसपी व कलेक्टर साहब थे जो पहले फेस की जनसुनवाई करवाई थी। इन्होंने ये वाद किया था कि हमारे लोगों के बच्चो के लिये स्कूल बनायेंगें लेकिन इन्होंने कुछ नही किया या तो आपको ये बात को तय करना पड़ेगा आज ही इसी मंच के माध्यम से जनसुनवाई के अंत में कि आप हमारे बच्चों को आगे शिक्षा देगें नही तो हम द्वितीय फेस का विरोध आज से बिगुल फूंक कर करेंगें। हमारी औकात नही है हमारे बच्चों को बड़े स्कूलों में पड़ाने की। तो इन्होने अपनी जमीन दी है तो आप लोगो को शिक्षा और रोजगार देना होगा। जन सुनवाई तो आप करा देगें और ये उसे दिल्ली से पास भी करवा कर ले आयेंगे। इसमें प्रशासन की बहुत अच्छी भूमिका रहती है। मैं बोलना ये चहाता हूं साहब कि इस जगह में खड़े होकर के ये तय करें कि हर एक गरीब युवा जो 10बी, 12वी पड़ा है जिन्होंने एमए की डिग्री लिया गया है इन सभी युवाओं को क्वालिफिकेशन के आधार पर कन्हैया जी आप जहां कहीं भी है मेरी आवाज सुन लिजिये। इस सब के आधार पर आने वाले फेस 2 में ठेकेदार के अंदर जब तक की रोजगार नही मिलेगा तो यहां से जनता द्वारा एनटीपीसी का विनोध करेंगे। और उसके लिये बाध्य होंगे। कुछ दिन पहले आपने कुछ गाड़िया पकड़ी थी जो फ्लाई ऐश का इधर उधर फेंके थे। तो मै आप लागों से ये आश्वासन चाहता हूं कि जो ये फ्लाई ऐश बहुत खतरनाक तत्व बन कर निकलता है। जिसके पैमाने आपने और एनजीटी ने तय किये है उसके तहत् अगर फ्लाई ऐश का सही तरीके से भण्डारण सही तरीके से नहीं होता तो उसके लिये भी यहां के युवा और स्थाई लोग चक्काजाम एवं रोड़ जाम करने के लिये बाध्य होंगे। इसके साथ साथ ये जो एनटीपीसी मेडिकल के नाम पर केवल खानापुर्ति कर रही है एन.टी.पी.सी. साहब। यहा पर हार्ट के लिये कोई कैंप लगाया है, क्या कोई फेफड़े के रोग के लिये कैंप लगाया, नहीं लगाया गया है नाक व गले का चेकअप करवाया नही करवाया कि किस तरह से व प्रदूषण का शिकार हो रहे है। मैं चाहता हूं की केवल खाना पूर्ति न हो स्वास्थ्य सुविधा मिले और इस क्षेत्र का सर्वे कर मुनादी किया जाये और उन लोगो के स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाये उसका ईलाज भी डॉक्टर बुलाकर संबंधित बिमारियों का जांच भी एन.टी.पी.सी. द्वारा करना पड़ेगा क्यो कि जब बिमारी जब आप दे रहे तो इलाज भी आपको कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी कफी देर से सुन रहा था कि पैसा लेकर रोजगार दिया जा रहा है चूंकि मैं इस क्षेत्र के यूनियन से और यहां का वरिष्ठ प्रदेश सचिव होने के नाते ये मामला गेरे संज्ञान में है कि आपके यहां पैसा लेकर के रोजगार दिया जा रहा है। इस पद्यति को बंद कर दीजिये वरना यहां के युवा इस पध्दति को अच्छे से बंद कराना जानते है। प्रशासन इस बात को संज्ञान में ले। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपके यहां श्रमिकों को लेकर के मामले ऐसे है कि वे हेलमेट पहने की नही पहने की जुते फटे और मैं इसके साथ साथ मैं इस मंच के माध्यम से प्वांट टू प्वांट बात कर रहा हूं। यहा आये दिन दुर्घटना होती है कोई भी एंबुलेंस सुविधा नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो जाये तो यहां से रायगढ़ ले जाने तक उस व्यक्ति की मृत्यु होनी निश्चित है। क्यो कि अच्छे एंबुलेंस जिसमें पूरी सुविधा हो इनके द्वारा यह सुविधा उपलब्ध नही कराया गया है। सर शर्म की बात है कि भारत की नवरत्न कंपनी एनटीपीसी और उसके प्रबंधन इसके बारे ना कोई विचार कर रहे है ना कुछ बोल रहे है ना कुछ चिजे तय

कर रही है। सर ये चीजें इस जनसुनवाई के बाद दोहराई गई तो इस मंच और हमारे युवाओं के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये जनसुनवाई आपको फिर से एनटीपीसी के गेट पर करवाना पड़ जायेगा। क्योंकि अब हम किसी भी स्थिति में इस द्वितीय फेस 2 में अब ये सब को होने नहीं देंगे, हम अपनी जमीन देकर कर के शिक्षा और रोजगार के लिये भीख नहीं मांगेंगे ये हमारा अधिकार है ये संविधान है और एनटीपीसी के आने से पहले नियम और कानून पढ़कर देख लिजिये कि जो नियम और कानून निश्चित किये गये थे उस समय स्पष्ट तैर पर लिखा गया है। जब एनटीपीसी नियम की बात करेंगी तो हम भी करेंगे। स्थानिय लोगों को जो बचे हुये बेरोजगारों को रोजगार देना सुनिश्चित करें और सभी युवा भाईयों के लिये आने वाले समय में सर इस जनसुनवाई के बाद तय करे कि जनसुनवाई के बाद क्वालिफिकेशन कहा सबमिट करें ताकि लोगो को रोजगार मिले और इनके पास ये पैरामीटर तय किये जाये कि किस हद तक ये प्रदूषण यहां पर फैला रहे है और आने वाले समय में फ्लाई ऐश का डंपिंग यार्ड कहां पर क्या होगा। ये सूनिश्चित करके तत्काल इस जनसुनवाई के साथ जो न्यूज आयेगी उस समाचार के हम पड़ना चाहते है। और उसका कागज आपके कार्यालय से प्राप्त करना चाहते है। जैसा की मैनें रोजगार के लिये भी बोला साहब ये आपके सामने एक रिजूम है सर एनटीपीसी कर क्या रही है ये बताना चाहता हूं। ये युवक 2–3 बार यहां आवेदन किया एनटीपीसी ये बोल करके इनको अप्राप्त कर दे रहे है कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास रोजगार नही है। केन्द्रीय विद्यालय में इनकों पढ़ाने का अनुभव है। तो जब वहां उनको बुलाया जा सकता है तो आपके लोगों के स्कूल में भी इनकों चूंकि मैं इसको जमा कर रहा हूं और हम इसका अपने माध्यम से पता करते रहेंगें इसके साथ हमारे क्षेत्र के युवाओं को भी आने वाले समय में रोजगार देगें या नही देंगे इसका टेली तो हम करते रहेंगे। यदि आप रोजगार नही देते है तो हम आगे की कार्यवाही करेंगे। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

36. डी.पी. प्रधान, महलोई – एन.टी.पी.सी. के सभी यहा कोई बिल्डिंग नहीं है, स्कूल नहीं है, 300–400 बच्चे 09 गांवों से आ रहें है। यहां कोई जगह नही है। आपके प्रार्थना है कि तत्काल स्कूल, बनवाने का अनुरोध है। मेरी पत्नी सरपंच थी। मंत्री से हांथ पैर जोड़ कर महलोई में 10+2 स्कूल बनवाया। मेरा आपसे अनुरोध है सर कि ये बिल्डींग नही होने से आपके गांव के बच्चे बहुत तकलीफ में है। साहब।

37. पितांबर गुप्ता, महलोई – डाक्यूमेंट कम्प्लिंट होने के बाद स्कील टेस्ट पास करने के बाद बुलाया गया और मेडिकल टेस्ट के लिये नही बुलाया गया। उसके बाद भी वेटिंग में लिया गया है। जब कि एनटीपीसी द्वारा मुझे कहा गया कि ओबीसी में सीट नही होने के कारण नही बुलाया गया। जबकि द्वितीय स्टेज में प्रज्ञा में उर्त्तीण होने के बाद भी 02–03 लोगों को वेटिंग में लिया गया है। मैं पहले स्टेज में उर्त्तीण था इसका मेरा सब दस्तावेज है।

38. राजनंद चौहान – मैं सन 1991 से कंपनी में काम करता हूँ, मेरे द्वारा एन.टी.पी.सी. में 2016 से कोशिश किया काम नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार से बात हुआ और ठेकेदारी के अंदर काम करता हूं। 2019 से कर रहा था और 01 अगस्त 2022 में उसका काम खत्म हुआ। 07 दिन के वेतन का भुगतान नही किया गया है ना

बोनस दिया। बात किया तो बोलते है कि मिलेगा बस मिलेगा लेकिन कभी नही मिलता है। हम लोग गरीब लोग है, जब कमातें है तब खाते है।

39. ईतवार सिंह साव, छपोरा – मैं कोसाबाड़ी से प्रभावित परिवार का एक व्यक्ति हूँ, कोसाबाड़ी में कार्य करने वाले 36 महिलाओं में से 13 महिलाओं को कुछ दिनों से कार्यो से वंचित रखा गया है। तो मैं एनटीपीसी से निवेदन करता हूं जो उन 13 के जो बागबानी में जो काम दिया जाना है उसे महिलाओं को दे। ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। बस इतना कह कर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।

40. सरोज कुमार, आरगुड़ा – मैं एक प्रभावित व्यक्ति हूं। मेरा 2.5 एकड़ जमीन कंपनी में प्रभावित हुआ है और आज तक मुझे स्थाई रोजगार प्रदान नही किया गया है। जिसका पूरा जिम्मेदार एनटीपीसी लारा प्रबंधन है। प्रथम चरण के भर्ती में 79 पदो हेतु आवेदन जारी हुआ था, जिसमें मैं आवेदन प्रस्तुत किया था और पात्र होने के बाद भी परीक्षा से वंचित रखा गया एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। मैं जिला प्रशासन और एनटीपीसी को बार बार अवगत कराता रहा तब भी सर मुझे परीक्षा से वंचित रखा गया। ये सब एनटीपीसी लारा का संयंत्र है कि वे मुझे रोजगार देना नही चाहता है। उसका कारण मैं आपके माध्यम से एनटीपीसी को पुछना चाहता हूं कि मेरे को वहां पे रोजगार क्यू नही मिल रहा है ना कोई बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है।

41. सुशील सेनापती–मेरे को भूमि ही नही मिला है और काम के लिये जा रहे तो काम नहीं मिल रहा है। ठेकेदार को बोलते है तो 20–25000 रूपये मांग रहें है। ऐसे में हमारा जमीन नही है। काम में जा रहा हूं तो पैसा मांग रहे हैं। ठेकेदारी में करूंगा बोल रहा हूं तो भी पैसे मांग रहें है। इतना कहना चाहता हूं सर मैं।

42. भोयराम सिदार – मेरा खेत गया है मेरे को काम मिल रहा है ग्रास कटिंग के लिये और जो मेरे द्वारा काम नही लेगा ना तो अभी जाउंगा इसी रास्ते में पॉवर प्लांट बंद करूंगा मेरा 30 लाख दे दे मुझे और अगर नही देगा न तो इसी रास्ते में उनका धज्जी उड़ा दूंगा। वादा कर रहा हूं।

43. भगत राम–कितना मुआवजा बचा है 09 एकड़ का बोनस बचा है। जितना बोनस बचा है जमीन का हो सब दिया जाये और हमारे को भी नौकरी दिया जाये।

44. प्रकाश गुप्ता, झिलगीटार–मेरा कुछ प्रश्न है और उनका उत्तर चाहिऐ मेरे को। फेस 02 एवं 01 में मेरा गांव लाखा ग्राम में मेरा जमीन ग्रसित हैं और उसमें दिनरात फ्लाईऐश उड़ने के कारण विभिन्न किस्म का रोग उत्पन्न हो रहा है। एनटीपीसी उसके लिये क्या कर रहा है। झिलगीटार से कांदागढ़ से लारा जाने के लिये कोई रोड नही है। आज वर्ष 2012 से एनटीपीसी बैठा है और हमको रोड मुहया नहीं करा रहा है। दुर्घटना होती रहती है राखड़ डेम से जो पानी निकलकर बह रही है वे तालाब में जा रहा है उस तालाब की साफ सफाई क्यों नही कर रहा है उस तालाब के पानी का उपयोग पशु जीव मनुष्य सभी कर रहें है और उस पानी को हम नहाने में उपयोग करते हैं। उस पानी से खुजली और अन्य प्रकार का रोग हो रहा है। उनका निराकरण क्या नही कर रहा है। अपने गांव 58 खातेदार है जिनके द्वारा इनकों दिया गया जमीन है उनका बोनस पुनर्वावास नहीं दिया जा रहा है। क्या वे पात्रता में आते है या नही आते है उसका स्पष्टिकरण नही देना है।

45. सोमती सिदार, कांदागढ़–पहली बात तो जो भी भूमि अधिग्रहण हुआ है उसका मुआवजा पूर्ण किया जाये तथा नौकरी दिया जाये। कई हमारे गांव से ही सुने है कि अधीग्रहण हुऐ जमीनों का ना बोनस और मुआवजा नहीं दिया गया है और उस जमीन पर कार्य चालू कर दिया गया है। मैं सामने वाली पड़ोसी की बात ही बता रही हूं कि जो सरोजनी सिदार है वे विधवा है। फिर भी उसके जमीन का फसल मुआवजा नहीं मिलता है वे कई बार इधर उधर कलेक्टर आदि को भी आवेदन दे चूंकी हूं तो कहा जाता हूं की फिर से जब होगा तब उनका बोनस और मुआवजा दिया जायेगा वह किस तरह से अपने परिवाहन का पालन पोषण करेगी। उनके बच्चों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात हम महिलाएं कलेक्टर महोदय से जो फ्लाई ऐश का वाहन जाता है उस जनसुविधा में 10 चक्के वाला भारी वाहन ट्रक जाता है। स्कूल, आंगनबाड़ी के अगल बगल से भारी वाहन जाता है जिससे वहां के हमारे बच्चे एवं शिक्षक सब प्रभावित हो रहे है। जिसके लिये आवेदन किया गया था लेकिन कोई सुनवाई नही हुआ। जब मैं सरपंच थी तो एनटीपीसी ने विधवाओं एवं परित्यकत्ता महिलाओं का सर्वे का नाम मांगा था और हमने नाम दिया भी था लेकिन एनटीपीसी ने आज तक इसके लिये क्या किया। रोजगार हेतु जितना भी दस्तावेज मांगा जाता है उसको जमा करने के बाद भी काम नही दिया जाता है। काम नहीं मिलता तो मैंने जीएसटी बंद करवा दी। तो ये सब सारी चिजे एनटीपीसी गलत कर रही है। सारे दस्तावेज बनवाते है हमारे पैसे से भुगतान करते है हम कहां से भरे। सरकार को हम बिना काम के कहां से टेक्स दे। 2021 दिसम्बर में रायगढ़ में जब प्रेसकॉफ्रेंस हुआ था तब उस समय कलेक्टर भीमसिंह थे और एनटीपीसी के लोग थे एवं प्रभावित लोग थे। वहां एनटीपीसी के द्वारा कहलवाया गया कि एसईएसटी के लोग योग्य नही है। आप संविधानिक पद पर बैठे है तो उनको शोभा नही देता कि ऐसे बात करें ये कहना क्या उचित है। ये हमारे समाज का अपमान है। पानी का स्तर बहुत ही कम हो जा रहा है जब से कंपनी आयी है। आने वाले समय में हमको पानी मिलेगा या नही मिलेगा ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यो कि ये एनटीपीसी सब पानी का दोहन कर रही है। हम सिर्फ धुल धक्कड़ खायेगें। पुसौर आईटीआई खोला तो गया है जबकि एनटीपीसी जब कंपनी लगता है वेल्डर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन लगता है ये सारी चिजे क्या नही रखा गया है आईटीआई खोला गया है उसमें। हमारे बच्चे लोग उड़ीसा जाते है आईटीआई करने हैं। वहां से प्रमाण पत्र लाते है और यहां नौकरी करते है। तो फिर ये क्या सुविधा दे रही है एनटीपीसी मैं पुछती हूं यही सब मैं कहना चाहती हूं और इस जनसनुवाई का विरोध करती हूं।

46. भोजराम चौहान लारा – एनटीपीसी के जो अधिकारी है ये वैसे सिस्टम बनाये हुऐ है। लारा गावं में जो पानी टंकी बना है आज तक पानी सप्लाई नहीं हुआ है तो कैसे दूसरा काम करेगे ये बहुत सोचने की बात है। ये कंपनी प्रभावित क्षेत्र में क्या होता है। हर परिवार में 01 लाख रूपया दिया जाना चाहीये हितग्राहियों परिवार के लिये और जितने भी प्रस्तावित परिवार है उनका सर्वे करते उनके काम के लिये बच्चे मांगने आते हैं तो 2–4 साल लग जाता है। अभी आप लोगों को देखना चाहीये। ये सिस्टम व्यवस्थित होना चाहीये। स्कूल नहीं बना है। पारदर्शिता लागी चाहीये। रोजगार दिया जाना चाहीये।

47. सनातन गुप्ता, छपोरा–मेरा जमीन गया है किन्तु आज तक पुनर्वास निती नहीं दिया गया है। तो ये क्यो हो रहा है। तो पुनर्वास हमको दिया जाये। इसके लिये कुछ उपाय करिये।

48. शिवशंकर गुप्ता, लारा–सब से मेरा प्रार्थना है कि जो एनटीपीसी लारा द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है चरमसीमा पार कर लिया है। वास्तव में यहां में सब का बात सुना जो भी प्रभावित व्यक्ति है जो भी बोले है सब सही है। हमारे जो लल्लू सिग भैया है कि लारा के व्यक्तियों का ध्यावाद करता हूं कि उनके द्वारा एनओसी दिये गया है सरकार व प्रशासन के दबाव में दिया गया है। इस संबंध में दो शब्द बोलना चाहता हूं कि जो अनापत्ति लारा को दिये है इसका मतलब ये नही कि दबाव में करके दिये है। हमारा मतलब ये था कि हम एनओसी नही देगें मतलब नही देंगे। अमित कटारिया साहब हमारे गांव आये थे। उन्होने सभी व्यक्तियों का विकास होगा सभी को 05 लाख बोनस मिलेगा रोजगार मिलेगा इतना सुविधा दे दिये कि बातों बातों में इसके लिये हमें प्रालोभन दे कर के एनओसी लिया गया है। आज मैं सबके सामने विरोध कर रहा हूं सर्वप्रथम अपने कई बार आये बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा। जो रोजगार कर रहे हैं ओ भी आज दुखी है। पैमेंट किसी को सही समय में पैमेंट नहीं मिल रहा है। एनटीपीसी में छुट्टियां नहीं दिया जा रहा है। आवेदन दिया गया है मेरे द्वारा कई बार। नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है लेबर वर्ग आज खून पसीना देकर कर रहा है। आज मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं रोजगार के नाम से जो पैसा वसूली की जा रही है। मजबूरी में पैसा देकर रोजगार लिया जा रहा है। सेटिंग करके नौकरी दिया जा रहा है। पैसा लेने वाले हैं जो सामने वाला बोल भी नहीं पा रहा है कि मैं पैसा ले रहा हूं। मनीष साहब बोले की यहां पर नौकरी करना है तो करों नही तो जाओ नौकरी से निकालने की बात कही गई। आवेदन मेरे द्वारा दिया गया है आप ठेकेदार का शिकायत सुनाया गया। लोकेश हॉस्पिटल के द्वारा मेरे द्वारा एक्स रे लिया गया है जिसकों एनटीपीसी के द्वार नहीं चलेगा कहा गया हैं फिर बाद में लोकेश हॉस्पिटल से बात कर एक्सरे चलने की बात बताई। एच आर से बात नहीं होने पर गेट से सीआईएसफ वाले अंदर नही जाने देते। एनटीपीसी में मेरा बीपी 160 बताया गया डॉक्टर के द्वारा बताया गया। बाहर में जब चेक कराया तो 129 निकला बीपी कम आ गया। फिर मैं एनटीपीसी के डॉक्टर से चेक कराया तो बीपी 170 बताया। फिर सीएचसी छपोरा में बीपी नॉर्मल आया। ठेकेदार बोल रहा है मेडिकल जल्दी दो नही तो गेटपास बंद हो जायेगा मैं काम करने के लिये नही आ पा रहा हूं। पांच साल के बाद मुझे अयोग्य घोषित किया गया है। इसके बाद एनटीपीसी में एक आवेदन दिया गया मुआवजे के लिये। इसके बाद बीपी चेक कराने के लिये तो सभी नॉर्मल हो गया। एनटीपीसी में रोजगार कर रहा था। जो डॉक्टर मेरा बीपी चेक किया थ उसको सबक सिखाना आवश्यक है। एनटीपीसी हॉस्पिटल गया तो उसने सीएमओ साहब से बात करने के लिये बोले हैं। एनटीपीसी में हाई बीपी एवं नॉर्मल बीपी कितना में देते हैं। इसका जवाब सीएमओ साहब देगें बोले। वहां बोले बिना परमिशन यहां नहीं आ सकते है। लल्लू भैया जो बोल रहें हैं यहां पर भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर ली गई है। बहिदार साहब का मैं समर्थन करता हूं। एनटीपीसी के गेट का ताला लगाया जा सकता है। मैं प्रण कर रहा हूं कि

एनटीपीसी को बंद करने के लिये मैं अपना जीवन बलिदान दे दूंगा। इतना कहा कर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिन्द।

49. शत्रुघन छपोरा–लारा संघर्ष समिति का सदस्य है लारा के लागों का काफी संघर्ष के बाद लोगों का एनटीपीसी में नौकरी लगा है। जिसमें से मैं 01 हूं और बाकी 56 लोगों को रोजगार दिया गया हैं। किन्तु मुझे दूख है कि मेरे कई भाईयों को रोजगार नहीं मिल रहा है और वे अभी भी वे आंदोलन करने को बाध्य है जिसके क्वालिफिकेशन है फिर भी रोजगार के लिये परेशान है। तो मैं जो प्लांट लग चूका है उसका विरोध तो नही करूंगा सर क्यों कि इसका विरोध करूंगा तो नुकसान हमारा ही होगा हमारे क्षेत्र का होगा। आप देखते है कि प्लांट में हजारों लोगों का रोजगार चल रहा है तो अगर अभी आप बंद कर देगें तो उस दिन की कल्पना करियें। कितने लोग बेरोजगार हो जायेगें सब को परेशानी होगी। मैं यह कहता हूं आप अधिकारीयों से कि इसकी व्यवस्था बनाया जायें और जितने भी हमारे बेरोजगार साथी है सब को नौकरी दिया जायें स्थायी रोजगार दिया जाये ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सकें। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा।

50. कमलेश साव– गैं भी लारा संघर्ष का साथी रहा हूं। वर्तगान गें मुझे एनटीपीसी लारा में स्थायी नौकरी प्राप्त हुआ है। जिससे गेरा परिवार बहुत खुशहाल है। लेकिन दुख कि बात है कि हमारे साथी जो हैं वह नौकरी से वंचित है। वैसे एनटीपीसी प्रायसरथ है कि जितने भी बेरोजगार साथी है उन्हें भी रोजगार दिया जाये। हमारे कुछ ओबीसी साथी लोग 22 पोस्ट खाली है। वैसे संविधान को ना तो एनटीपीसी, जनता ना तो शासन प्रशासन बदल सकतें है। सभी वर्गो के लिये पोस्ट था जिसमें हमारे कुछ साथी छुट गये थे। मैं एनटीपीसी से निवेदन करूंगा कि उस पोस्ट को बड़ा दे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सकें। यदि एक युवा को एक स्थायी रोजगार गिल जाता हैं तो वह सुखी जो जाता है। एनटीपीसी लगातार विकास की ओर चल रही है। मैं भी इसका निन्दा व आलोचना नही करूंगा। बस हमारे द्वितीय यूनिट आने से पहले हमारे जितने लारा संघर्ष के साथी है एवं हमारे जितने प्रभावित गांव के साथी है उनकों भी नौकरी की प्राप्ति हो जाये। बांकि एनटीपीसी का विरोध हम लोग करेंगें तो भी कुछ नही होगा। बस इतना ही कह कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितने भी हगारे बेरोजगार साथी है उनको रोजगार दिया जाये।

51. हिमांशु चौहान, एकताल सरपंच– और गैं गांधीवादी विचारधारा का आदमी हूं। हल्ला गूल्ला उंची आवाज में उठा देना फेंक देना ये सब नही बोलूंगा और ना ही मुझे भाषण देना आता है। मैं कम शब्दो में अपनी बात रखूंगा। मेरे शब्दों को ध्यान ना देकर मेरे भावनाओं को समझेंगें। ऐसी आशा के साथ मैं अपनी विचार रखूंगा। जैसे कि गाईड लाइन में है कि 15 किमी. तक प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहीये। लेकिन हमारा ग्राम पंचायत एकताल जो विश्व प्रसिद्ध शील्प कला के नाम से जाना जाता है। भले ही हम लोग जंगली है। हमारी उतनी पहुंच नही है। परंतु हमारा पंचायत का नाम विश्व में है। विश्व के लोग हमारे गांव में आते हैं चाहे वे वैज्ञानिक नेता व्यापारी पूंजीपति सारे लोग आते है। लारा प्रबंधन द्वार हमारे एकताल में 04 कि.मी. में रेल लाईन बिछाया गया है। परंतु बिना जनसुनवाई के रेल चालू कर दिया गया। वहां के गांव लोगों को कुछ पता नही था 4–5 वर्ष हुआ है मैं भी आया हूं। गांव वालों ने मुझे सरपंच पद पर चुना हैं लगभग 03 वर्षों से

मैं 03 कलेक्टर को मैं आवेदन देता रहा है। लगभग 120 लोगों का जमीन गया है। इंगलिश में लिखा रहता है गांव वाले के पड़े लिखे नही होने के कारण उनका हस्ताक्षर करवा के उनको नौकरी देंगे आपको मुआवजा दिया जायेगा यह कह कर जमीन अधिग्रहण कर लिया गया। जो तेंदू पत्ता होता था उसमें भी किसी प्रकार का मुआवजा नही दिया गया। अभी तक हमारे पंचायत के लगभग 120 किसानों का जमीन लिया गया है लेकिन 05 किसानों के लड़कों नौकरी दिया गया है। तो मैं प्रबंधन से मांग करता हूं कि जो 120 किसानों को जमीन लिया है उनके बच्चों को नौकरी दिया जाये। हमारा गांव विश्व प्रसिध्द गांव है। हमारे गांव में रोड नहीं है पानी की व्यवस्था नहीं है। लाईट नहीं है मात्र 10 लाईट दिया गया था जो मात्र 03 माह में ही खराब हो गया मैंने कई बार इसका शिकायत किया लेकिन अभी तक कुछ नही हुआ। हमारे जिनका जमीन गया है प्रभावित पंचायत में जोड़ा जायें हमारे जो 120 किसानों के जमीन गया है उनके बच्चों को नौकरी दिया जाये। जो जिस योग्य है उनके योग्यता के आधार पर नौकरी दिया जाये। हमारे पंचायत को विकास कार्यों से जोड़ा जाये। मेरे पिछे बहुत लोग है जिनका 01 एकड़ जमीन गया है किन्तु उनको मात्र 60 डिसमिल का ही पैसा दिया गया है। हमरे द्वारा 15 दिन पहले ही एसडीएम साहब को आवेदन दिया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपका मुआवजा जल्दी मिल जायेगा। अभी यहां पर भी आवेदन दिया गया है तो उसको गंभीरता से लेते हूये। चूंकि मैं जंगली हूं कबरा पहाड़ के नीचे रहते हैं। कबरा पहाड़ को खा गये। हम लोग सीधे साधे है लेकिन उल्टा पुल्टा काम जो है रात को करते है। पटरी को हम खा सकते हैं मैं आंदोलन कर देंगें। हम डकार भी नही लेंगे। आपका चूल्हा नहीं चलेगा तो बिजली कहां से आयेगा। और अभी शूरूवात हुआ है हमको 10 लाख का काम दिये हैं हम यहां स्वतंत्र आंदोलन करेंगें। मां कसम मैं बहुत सीधा आदमी हूं। आप हमारी बात को विशेष ध्यान दिजियें। वाद करता हूं हम लागों को कोई नही पकड़ पायेंगे। आप हमारा काम करियें हम आपका सहयोग करेंगे। आप हमारे एकताल पंचायत को सपोर्ट करियें हम भी करेंगें।

52. गुरूचरण, महलोई– मैं किसान हूं। स्वास्थ्य, सड़क, बिजली की सुविधा करें। नियमित रोजगार बच्चों को दिया जाये। यही हमारी मांग है हम एनटीपीसी का समर्थन है।

53. गोविन्द गुप्ता– आज मैं सिर्फ गांव की समस्या की बात कर रहा हूं और गांव की जो जमीन बची है उसका बात कर रहा हूं। प्रत्येक परिवार को स्थाई नौकरी प्रदाय किया जाये। जिन परिवार को आज तक बोनस राशि नही दिया गया है उनको मुआवजा दिया जाये। एनटीपीसी का समर्थन है। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

54. जीत्ते, नेतनांगर–हमारे ग्रांम पंचायत में एनटीपीसी के द्वारा कुछ भी कार्य नही किया गया है। इसके अंतर्गत आस पास के जितने भी गांव है उनको भुलना नही है। उन सभी गांवों में रोजगार दिया जाये। स्वास्थ्य, शिक्षा विषय में काम करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा।

55. रघुनाथ दर्रीपाली– कंपनी का जो पहले यूनिट में जनसुनवाई हुआ था लारा में उसमें कंपनी के द्वारा बहुत सारे वादे किये थे जिसमें कुछ काम हुये हैं तथा कुछ काम नहीं हुआ है। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि

जो प्रभावित गांव है वहां के लोगों को नौकरी दे और मुआवजा दिया जाये तथा जितने भी युवा है सब को स्थायी रोजगार दिया जाये। आस–पास के जितने भी गांव है प्रभावित 09 गांव है लेकिन जितने भी गांव है वहां पे पानी, स्वास्थ्य आवश्यक है उसको भी देखना चाहीये। क्यो कि प्रभावित में 09 गांव ही आ रहे है किन्तु आसपास के सभी गांवों को सुविधा मिलना चाहिऐ। मै समर्थन करता हूं।

56. देवार्चन गुप्ता, लारा– हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी विस्थापित होने से हमारे क्षेत्र के बेरोजगार लड़को रोजगार मिला है। हम इसका स्वागत करते है। हम विकास चाहते हैं।

57. गौरांग विश्वाल–मेरा जमीन गया हुआ है। जैसे कि 2011 से हमारा सपना था एनटीपीसी में हमारा जॉब लगे। मैं एनटीपीसी में काम करने के लिये परीक्षा दिया और पास किया फिर मेरा चयन हुआ सर। कही पर प्लांट आने से इसके दो पहलू होता है सर कोई प्लांट आने से केवल प्रदूषण नही हो ता है। विकास के लिये भी रोजगार दिया जा रहा है सभी लागों को। गैं एनटीपीसी से निवेदन करता हूं कि प्रदूषण को रोकने के लिये समूचित व्यवस्था करें। हमरा समर्थन है। लेकिन जो प्रदूषण हो रहा है। विकास की बात है सर अच्छे से काम ना होना, पानी टंकी बन रहा है तो पानी नहीं आना तो विकास कार्य होने चाहीये। नौकरी करने के लिये पैसा देना पड़ता है लोगों को। हसमें बहुत दिक्कत है सर जिनके पास है वे दे देतो है लेकिन जो गरीब है व कहां से देंगे। मैं एनटीपीसी से निवेदन करता हूं कि इसके दूर करें और पर्यावरण प्रदूषण उचित उपाय करें। हमारा समर्थन है।

58. पोटवन गुप्ता, लारा – गैं सुबह 10 बजे से आकर सुन रहा हूँ, सब का मै सूना लेकिन मुझे 04 बचे ऐसा लगा कि नवा गांव के 70 प्रतिशत बाहर से बोले है। मैं अपने नवागांव के प्रभावित किसान और जितने भी भूमिहिन है सब के उत्थान के लिये बोलना चाहता हूँ, नवागांव में निःशुल्क बच्चो की शिक्षा की व्यवस्था किया जाये, नवयुवको को रोजगार दिया जाये क्यो कि किसानो का जमीन एनटीपीसी में जा चुका है उनके पास एनटीपीसी में काम करने के अलावा कोई रास्त नही है। प्रत्येक परिवार को पी.ए.पी. माना जाये। हमारे गांव में पी.ए.पी. बनने के लिये बहुत से बाहर वाले जमीन खरीदे है। जबकि उनका ना तो जमीन व खेती गया है। नवागांव में जिनका जमीन व खेती गया है उनको पहले प्राथमिकता माना जाये। नवागांव के लोगो के नौकरी मिलने के बाद बाहर के लोगो को नौकरी दिया जाये। नवागांव के लोगों का जो भूमि अधिग्रहण की समस्या है उनका तत्काल निराकरण किया जायें। हम अगर विरोध करते है तो हमारा जमीन तो चला गया है तो हम क्या करेंगे। तो भी नूकसान तो हमारा ही है अगर एनटीपीसी चाले जायेगा तो। इसलिये एनटीपीसी चाहे जो लगाना है लगा है लेकिन हगारी मांगों को पूरा करें। मै समर्थन है।

59. नरसिंह प्रधान – हम किसान आदमी है हम किसानों का जमीन कलेजा है, हम इसका स्वागत करके जमीन दिये है हमारे गांव का व्यवस्था किया जाये, जितने भी प्रस्तावित 09 गांवों के बच्चो को काम दिया जाये आने वाले बच्चों को भी काम दिया जाये। हमारे जमीन से एनटीपीसी ने यहां पर विद्युत उत्पादन किया है। बिजली भी फ्री में दिया जाये। प्रदूषण से हमारा फसल नुकसान हो रहा है इसका कुछ विचार करके फसल क्षतिपूर्ति दिया जाये। हगारे बच्चो को पढ़ने के लिये निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था किया जाये। इस प्रकार

हमारे जो 09 प्रभावित गांव है उनको एनटीपीसी द्वारा सुविधा दिया जाये। बस इतना कहा कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

60. चतुर्भुज, लोहाखान – जो 09 प्रभावित गांव है वो भी प्रदूषित हो रहे है। हम किसानो को खेती कर रहे है पर फसल खराब हो जा रहा है। एन.टी.पी.सी. से जो प्रभावित गांव है उसमें हमारा गांव भी है नवापारा को जितना प्रदूषण आ रहा है हमारे यहां भी प्रदूषण हो रहा है। हमारें गावं के लोगो को भी योग्यतानुसार नौकरी दिया जाये। घर दिवाल सब काला हो जा रहा है। बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी पड़ लिखे है उन सब को उनके योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाये।
61. सुदामा गुप्ता, लारा – मैं इस जनसुनवाई के विस्तार का समर्थन करता हूं। कंपनी के आने से बहुत विकास हुआ है, सभी को सहायता हुआ है।
62. हरीकिशन पटेल, आरमुड़ा – अभी हम लोग 02 अगस्त 2021 से हड़ताल में बैठे हुये है और हमारा अभी तक समस्याओं का कोई भी हम नही किया गया है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हम एनटीपीसी के गेट पर ताला मारने के लिये बाध्द हो जायेगे। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी एनटीपीसी प्रबंधन की होगी।
63. नारायण साव – गेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड का समर्थन है।
64. श्यामकुमार प्रधान, कांदागढ़ – पिछले 10 साल से हम संघर्ष करते आ रहे है सिर्फ हमको नौकरी चाहिऐ। अभी हमारी मांग यही है कि रेगुलर वेकेंसी बढ़ाया जाये और हम लोगों को नौकरी दिया जाये।
65. कौशिक – हम लोगो का एक ही मांग है स्थाई नौकरी दिया जाये। हम लोग आंदेलन कर रहे है।
66. राजाराम चौहान – 1991 से काम कर रहा हूँ लेकिन इतना घटिया कंपनी मैं नहीं देखा। ठेकेदार के काम में ठेकेदारो से पैसा लेते है। ऐसे घटियां कंपनी मैंने नही देखा है।
67. शुभम कुमार मिश्रा, महलोई – जितने भी पी.ए.पी. भू–स्थापित है उनको स्थाई नौकरी दिया जाये। क्यों की एनटीपीसी में स्थाई नौकरी मे आश में दुसरे परीक्षा नही दे पा रहे है। पोस्ट नहीं बढ़ाया जा रहा है और नौकरी भी नहीं निकाला जा रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि गांव में जितने भी विकास के कार्य हो रहे है। उन सब का अच्छी तरफ से निगरानी किया जाये।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 05:30 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसालटेंट द्वारा बताया गया कि आज की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले लोगो जो सुझाव दिये है उनपर उचित कदम उठाया जायेगा। कंपनी का प्रचालन 2019 में किया गया था उस समय पर्यावरणीय स्वीकृति

नहीं थी पर्यावरण स्वीकृति के वैध रहते किया गया था। ई.आई.ए. रिपोर्ट में मूल डाला 03 साल से कम का है और अधिसूचना के अनुसार जनसुनवाई किया जा रहा है। देश की 70 प्रतिशत बीजली की आपूर्ति की जाती है। उत्सर्जन का ऑनलाईन मॉनीटरिंग किया जा रहा है जिसका प्रसारण किया जाता है। ई.आई.ए. में डाटा लेने का प्रावधान एन.ओ.सी. ग्रामपंचायत से नहीं है। साराडीह बैराज से पानी लेने का अनुमति प्राप्त है, जमीन का अधिग्रहण नियमों के अनुसार किया गया है। राख निस्तारण के लिये एक कम पानी के लिये किया जाता है और दूसरा बाटम ऐश के लिये ग्रीन लगाया गया है दोनो ही सूचारू रूप से चल रहे है। ई.आई.ए. का तीन भाषाओं की थी जिसकी प्रतियां सभी ग्रामपंचायतों में रखवा दी गई थी और मुनादी के लिये उचित व्यवस्था की गई थी। यह कंपनी एक राष्ट्रीय कंपनी है। कंपनी की चिमनी की उचाई 75 मीटर है। राख बांध के लिये उचित निस्तारण किया जायेगा। सारे जल उपचार संयंत्र लगा दिये गये थे एवं सुचारू रूप से चल रहे है फेस 1 के लिये। ग्रीन बेल्ट विकसित किया जा रहा है फेस 1 के लिये ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था की गई है एवं फेस 2 के लिये भी किया जायेगा। रेल लाईन में राष्ट्रीय रेल लाईन का पालन नहीं होता है। उड़िसा पालुशन कंट्रोल बोड झारसुगुड़ा में भी सुचित किया गया था एवं ई.आई.ए. की कॉपी भी प्रदान की गई थी। नदी के संबंध में भी जानकारी लोगो को दी जाती है पर्यावरण प्रबंधन के लिये भी जो लगायेंगे उसकी भी जानकारी दी जाती है। पानी हम बहुत कम निकाल रहे है, कोयला और पानी की खपत बहुत कम होगी है, हम पानी सारा साराडीह बैराज से उपयोग कर रहे है। कंपनी उर्जा उत्पादन कर रही है जिसके लिये ताप विद्युत की आवश्यकता है इसलिये फेस 2 की आवश्यकता है। सारांश में कुछ ही बाते सार में दिया जाता है बाकी ई.आई.ए. में विस्तृत रूप से दिया जाता है। किसी तरह का वाईलेशन इन्वायरमेंट पर नहीं हो रहा है। 12 ट्रैक्टर टैंकर स्प्रिंकलिंग के लिये किया जाता है। शासन से प्राप्त सूची के अनुसार 1.61 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है। कुल 289 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शासकीय आत्मानांद का जीर्णोधार भी कंपनी द्वारा किया गया है। संयंत्र की कार्यक्षमता तकनीकी आवश्यकताओं के कारण रोजगार सीमित है। प्रथम चरण के दौरान 4000 लोगो को कुशल और अकुशल लोगो को रोजगार दिया गया है। 89 से 57 लोगो का भर्ती पूर्ण कर लिया गया है। फेस 2 में भी आवश्यकता अनुसार रोजगार दिया जायेगा।

सुनवाई के दौरान 334 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 05 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। लोक सुनवाई में लगभग 400–500 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 79 लोगों ने हस्ताक्षर किये। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई है। लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद! आज की लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की जाती है।

(अंकुर साहू)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(राजीव कुमार पाण्डेय)
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)